ISSN-0971-8397

योजना

फरवरी 2017 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 22

कमनगद अर्थव्यवस्था

विमुद्रीकरणः गत दो माहः एक नजर में
अरुण जेटली

नगदी अर्थव्यवस्था से कमनगद अर्थव्यवस्था की ओर
प्रभाकर साहू, अमोघ अरोड़ा

साइबर सुरक्षाः मुद्दे व भावी राजनीति
बी एम मेहत्रे

नगदरहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर
समीरा सौरभ

फोकस

विमुद्रीकरणः चुनाव पर प्रभाव
एस वाई कुरैशी

विशेष आलेख

कमनगद अर्थव्यवस्थाः दुनिया के बरक्स भारत
अर्पिता मुखर्जी, तनु एम गोयल

मेरा मोबाइल.... मेरा बैंक.... मेरा बटुवा....

सड़कों के लिए विश्व का सबसे बड़ा एलईडी प्रकाश कार्यक्रम

दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल लागू एलईडी आधारित *सड़क रोशनी राष्ट्रीय कार्यक्रम* (एसएलएनपी) को 09 जनवरी, 2017 को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया। सड़कों पर रोशनी के लिए यह विश्व का सबसे बड़ा वैकल्पिक कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त उपक्रम, *एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड* (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

एसएलएनपी कार्यक्रम फिलहाल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और राजस्थान में चल रहा है। देश भर में कुल 15.59 लाख स्ट्रीट लाइटों को बदल कर एलईडी बल्बों से सुसज्जित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 20.66 करोड़ किलो वॉट घंटा डब्ल्यूएच ऊर्जा की बचत होने के साथ-साथ प्रतिवर्ष 1.71 लाख टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। अभिनव कार्यों और कार्यान्वयन प्रारूपों के माध्यम से मौजूदा उपभोग के 20 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत होने की

संभावना से भारत में ऊर्जा दक्षता बाजार का कारोबार 12 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 7 वर्षों में कुल मिलाकर 135 करोड़ रूपये और उसके बाद प्रतिवर्ष 50 करोड़ रूपये की बचत होने से सामाजिक विकास कार्यक्रमों में निवेश करने में मदद मिलेगी, जिसमें लोगों द्वारा कोई अतिरिक्त धन लगाने की जरूरत नहीं है। ❑

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क सम्पर्क में सुधार लाने के उद्देश्य से *वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना* को अपनी मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना को सीधे तौर पर *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के अधीन कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें सुधार और संचार की दृष्टि से संवेदनशील व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों तथा उनसे सटे 44 जिलों में आवश्यकता पुल और पुलिया सहित संपर्क उपलब्ध कराना है। ये सड़कें सभी मौसमों के लिए अनुकूल होने के कारण पूरे वर्ष आवागमन कराएंगी।

परियोजना के अधीन, उपर्युक्त जिलों में 11,724.53 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 5,411.81 किलोमीटर लंबी सड़कों और 126 पुलों/क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण/उन्नयन किया जाएगा। *वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सड़क परियोजना* की निधि हिस्सेदारी प्रणाली पीएमजीएसवाई के समान होगी यानि केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होगी। इन राज्यों में आठ पूर्वोत्तर राज्य और तीन हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड) शामिल नहीं हैं। जहां यह अनुपात 90:10 है। परियोजना के क्रियान्वयन की संभावित अवधि 2016-17 से लेकर 2019-20 तक

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित 35 जिलों सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में चलायी जा रही हैं, जिनमें देश की कुल 90 प्रतिशत वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं होती हैं और इनके आस-पास के सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील 9 जिले भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय की ओर से संबंधित आंकड़े और सड़कों/जिलों की सूची उपलब्ध करायी गई है। योजना के अधीन कार्यान्वित की जाने वाली सड़कों में सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और मौजूदा प्रमुख जिला सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील 100 मीटर तक लंबे पुलों के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। ❑

योजना

वर्ष:61 • अंक 02 • फरवरी 2017 • माघ-फाल्गुन, शक संवत 1938 • कुल पृष्ठ:60

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह

(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनी. ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महा. निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही www.publicationsdivision.nic.in तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- विमुद्रीकरण: गत दो माह: एक नजर में
  अरुण जेटली..... 9
- नगदी अर्थव्यवस्था से कमनगद अर्थव्यवस्था की ओर
  प्रभाकर साहू, अमोघ अरोड़ा..... 13
- फोकस
- विमुद्रीकरण: चुनाव पर प्रभाव
  एस वाई कुरैशी..... 17
- कालाधन पर कारगर अंकुश
  रोहित देव झा..... 21
- साइबर सुरक्षा: मुद्दे व भावी राजनीति
  बी एम मेहत्रे..... 25
- विशेष आलेख
- कमनगद अर्थव्यवस्था: दुनिया के बरक्स भारत
  अर्पिता मुखर्जी
  तनु एम गोयल..... 29
- नगदरहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर
  समीरा सौरभ..... 33
- पुनर्मुद्रीकरण: कमनगद अर्थव्यवस्था की ओर कदम
  डी एस मलिक..... 37
- ई-विनिमय: सुरक्षा व स्वदेशी का सवाल
  शिवानंद द्विवेदी..... 41
- क्या आप जानते हैं? 43
- बाजार के सहयोग से बनेगी नगदरहित अर्थव्यवस्था
  अविनाश चंद्र..... 45
- रीमोनीटाइजेशन: अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर
  पूर्णिमा शर्मा..... 47
- नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन से गरीब कल्याण
  स्वदेश सिंह..... 49
- सामाजिक विनिमय: कमनगद अर्थव्यवस्था का आधार
  पवन कुमार शर्मा..... 53

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली	500001	040-24605383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी	781003	030-2665090

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

आपकी राय

आपदाएं रोकी नहीं, कम की जा सकती हैं

वर्ष 2017 की *योजना* (हिन्दी) का प्रथम अंक मेरी नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपदा हमारी नियति है। इसका सही प्रबंधन उतना ही जरूरी है। मगर शासन का इस ओर उचित ध्यान नहीं है। कहते हैं जब गांवों में आग लगती है, तब लोग कुआं खोदने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास आपदा के लिए मजाक करने के बराबर हैं। *योजना* पत्रिका ने अपने विशेष अंक के जरिए आपदा प्रबंधन पर सरकार और समाज, दोनों का ध्यान आकृष्ठ किया है। ताकि आपदा प्रबंधन पर लगातार ध्यान दिया जा सके।

राज्य सरकार में भी आपदा प्रबंधन विभाग है। मगर यह विभाग भी आपदा आने के बाद केवल हायतौबा मचाता है। बिहार में कुछ वर्ष पहले कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। इससे बिहार के कई जिले तबाह हो गये थे। उस समय सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने हायतौबा मचाया। इतनी हलचल हुई कि लगा अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद कोसी क्षेत्र के लोग चैन से रह सकेंगे। मगर ढाक के तीन पात। उसके बाद आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। कभी-कभी बिहार का आपदा प्रबंधन प्राधिकार छोटी-मोटी गोष्ठियां आयोजित करके अपनी पीठ जरूर थपथपा लेता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी कोसी क्षेत्र की करोड़ों जनता बरसात के मौसम में भगवान के भरोसे रहती है। अचानक उसका सब कुछ लुट जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग कुछ नहीं करता है। जबकि उसे लोगों को आपदा से निबटने के लिए सावधान करने का समय सालों भर मिलता है। लोगों को शिक्षित करने, बचने के उपाय बताने एवं आपदा के समय जरूरी सावधानी बरतने का प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन प्राधिकार का है।

योजना ने अपने संपादकीय में इस ओर इशारा करके आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराया है। संपादकीय ने सही लिखा है। *'आपदाए तो आएंगी। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके विनाश को घटा जरूर सकते हैं।'* काश! आपदा प्रबंधन प्राधिकार की नजर इन पंक्तियां पर जाये।

–गोविंद शर्मा, प्रेम विहार, इंद्रपुरी, रोड नं.-1
पटना, बिहार

दिसंबर अंक जानकारियों से भरपूर

मैंने *योजना* का दिसंबर अंक पढ़ा, जो कि विज्ञान पर केन्द्रित था। इस अंक में काफी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थीं। यह बात सच्च है कि विकास के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है। आज विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों को अंजाम देकर ही दुनिया काफी तरक्की कर चुकी है। स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, सूचना, संचार और परिवहन सभी क्षेत्रों में आज विज्ञान के द्वारा ही तरक्की हुई है। पहले तेज संदेश भेजने के लिए केवल तार (टेलीग्राम) हुआ करते थे। टेलीफोन कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास ही हुआ करते थे। अगर टेलीफोन करना होता था तो लोग तार-घर आकर टेलीफोन किया करते थे। लंबी दूरी की कॉल बुक कराई जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के द्वारा नई-नई तकनीक आ गई है। लोग घर बैठे या फिर कहीं भी खड़े होकर मोबाईल फोन द्वारा अपनों से बात कर समते हैं। इंटरनेट के जरियें तुरंत कहीं से कहीं भी संदेश भेज सकते हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई-नई टेक्नॉलोजी भी आधुनिक विज्ञान की ही देन है। आज मनुष्य के पूरे शरीर को स्केन किया जा सकता है। जिससे शरीर की बीमारियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। आविष्कार के द्वारा ही नई-नई दवाईयां बनाई जा सकी हैं। जो कि विभिन्न घातक बिमारियों को ठीक करने में सहायक है। फसलों में कीड़ा लगने से बचाते हैं। और ज्यादा उपज देते हैं। विज्ञान की ही देन है कि आज हम घंटों का सफर मिनटों में तय

कर लेते हैं। बुलेज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, रफ्तार में हवा से बातें करती हैं, और चंद मिनटों में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। आज विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, कि कोई सोच भी नहीं सकता पर हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी विज्ञान का इस्तेमाल भलाई के लिए ही करना चाहिए। लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए। विज्ञान का उपयोग जरूरी और अच्छी जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए ही करना चाहिए। विज्ञान की देन नई टेक्नॉलोजी का सही इस्तेमाल ही विकास का रास्ता खोलता है। विज्ञान का गलत इस्तेमाल ही नुकसान लाता है।

इस अंक में आलेख *'भारत में कृषि विज्ञान प्रयासों की प्रबलता एवं सामाजिक योगदान'*, *'स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव'* *'जन सामान्य के लिए अंतरिक्ष का उपयोग'* काफी अच्छे लगे।

–महेंद्र प्रताप सिंह, मेहरागांव, अल्मोड़ा

विश्वास का निर्माण करती योजना

योजना का *विकास के लिए विज्ञान* पर केंद्रित दिसंबर, 2016 का अंक पढ़ा। इस अंक से विज्ञान के सभी आयामों के संदर्भ में जानकारी मिली। प्रकाशन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका आज के अविश्वास के माहौल में प्रतियोगियों में विश्वास का निर्माण करती हैं। उन्हें उचित कीमत पर इस अनमोल पत्रिका के रूप में 'ज्ञान का संसार' उपलब्ध कराती हैं। इस पत्रिका के नियमित अध्ययन से विविध विषयों पर एक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता हैं। विज्ञान, वह ज्ञान हैं, जो प्रेक्षणों और अन्वेषणों पर आधारित हो। हर वह विषय विज्ञान हैं, जो तर्कशास्त्र पर आधारित हो। देखा जाए तो सभी विषय विज्ञान ही हैं, क्योंकि विज्ञान का अभिप्राय सिर्फ विषय मात्र से नहीं हैं, अपितु वैज्ञानिक व आधुनिक दृष्टकोण से हैं। विज्ञान अच्छा भी है और बुरा भी। कहने का तात्पर्य यह हैं कि यदि विज्ञान का प्रयोग मानव के भले के लिए हो तो वह वरदान हैं और यदि उसका प्रयोग मानव के संहार के लिए हो तो वह अभिशाप हैं। वर्तमान समय में विज्ञान ने जीवन को अत्यंत आसान बनाया हैं तो साथ ही मानव के अस्तित्व पर संकट भी उत्पन्न किया हैं। विज्ञान की विभीषिका हम 6 अगस्त, 1945 व 9 अगस्त, 1945 को जापान के दो महत्वपूर्ण शहर जापान व नागासाकी पर परमाणु हमले के रूप में देख चुके हैं। इससे सीख लेते हुए विश्व के देशों ने परमाणु हमले को रोकने के लिए विभिन्न संधिया भी की हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की हैं कि इन संधियों में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और विज्ञान का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अंत में,

हैं यह समय की मांग,
करे डिजिटल भुगतान,
हैं यह बेहद आसान,
करे डिजिटल भुगतान।।

–अमित कुमार गुप्ता, रामपुर नौसहन, हाजीपुर वैशाली, बिहार

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think DRISHTI

Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ एथिक्स पेपर के लिये हर महीने विशेष सामग्री।
- ☑ साक्षात्कार की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 59

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

संपादकीय

वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर

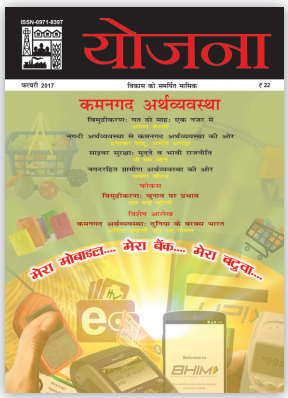

प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर, 2016 की रात को जब 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की तो देशभर में पहली प्रतिक्रिया हैरत और अविश्वास की थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कालेधन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर अंकुश लगाना था। महंगाई और वस्तुओं के दाम दिनोंदिन ऊपर जाने के साथ ही खरीदारी में 50 और 100 रुपये के नोट लगभग गायब ही हो गए थे। चुटकुले बनने लगे थे कि 10 रुपये के नोट दो ही लोग लेंगे- भगवान और भिखारी!

भारत में पहले भी दो बार विमुद्रीकरण किया गया है, पहले 1948 और फिर 1978 में लेकिन उन दोनों मौकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जीवंत नहीं थी। जिन नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, वे बहुत बड़ी कीमत वाले थे और बहुत कम लोगों के पास ही इतने बड़े नोट हुआ करते थे। इसलिए आम आदमी को तब ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इस बार विमुद्रीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक रहा। इस समय 500 और 1000 रुपये के नोट सबसे ज्यादा चलन में थे, इसलिए उनके विमुद्रीकरण से लोगों के पास ब्रेड, दूध, अंडे, सब्जियां और फल जैसे रोजमर्रा के सामान खरीदने तक के लिए नगदी नहीं बची। आम आदमी को रोज इसी बात की चिंता होती कि फीस कैसे दी जाएगी, वेतन कैसे बंटेंगे। बैंकों और एटीएम में नगदी की किल्लत ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी। बैंक खातों में नगदी जमा करने, पुराने नोट बदलकर नए नोट लेने और एटीएम से थोड़ी-सी नगदी निकालने के लिए होहल्ला होने लगा।

आम आदमी को सांत्वना देने वाली केवल एक ही बात थी और वह थी विमुद्रीकरण के पीछे बताया गया उद्देश्य: कालेधन का पता लगाना और आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में घोषणा की, कि इस कदम से भ्रष्टाचार, कालेधन तथा जाली नोटों के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी के हाथ मजबूत होंगे। कालेधन की अर्थव्यवस्था से पैदा होने वाली परेशानियों और कालेधन से वित्तीय मदद पाने वाले आतंकवादी संगठनों की हिंसक गतिविधियों से व्यथित आम आदमी इस बात से प्रसन्न था कि इन गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए कोई कठोर कदम उठाया गया है।

विमुद्रीकरण के पीछे सरकार का एक और उद्देश्य नगदरहित अर्थव्यवस्था तैयार करना था। नगदरहित लेन-देन में पारदर्शिता का लाभ है, जिसमें सभी प्रकार के लेन-देन का पता लगाया जा सकता है और उन पर नजर रखी जा सकती है। इससे आतंकी संगठनों तथा अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए दी जा रही रकम का पता लगाने में सरकार को मदद मिलेगी। इसके साथ ही लोगों के पास मौजूद सफेद धन बैंकों में रहेगा और सरकार को उसकी जानकारी भी रहेगी, जिससे यह रकम वापस तंत्र में जाएगी और जरूरतमंद लोगों को ऋण दिए जा सकेंगे।

लेकिन ऐसे देश में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा निरक्षर है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नगदरहित बनाना संभव नहीं है। इसलिए अब कमनगद अर्थव्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है यानि अर्थव्यवस्था की ऐसी प्रणाली तैयार करना, जिसमें कुछ लेन-देन नकद में हो और बाकी डिजिटल भुगतान हो। डिजिटल भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और उन्हें भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जो डिजिटल तरीकों से भुगतान लेने की व्यवस्था कर रहे हैं।

कमनगद अर्थव्यवस्था में साइबर अपराधों का खतरा चिंता का एक बड़ा कारण रहा है। डिजिटल तरीकों से भुगतान के साथ जुड़े खतरे कम होते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरे तो मौजूद रहते हैं, लेकिन साइबर अपराधों से निपटने के ठोस समाधान भी मौजूद हैं। अक्सर प्रौद्योगिकी से नहीं बल्कि उपयोग करने वाले की लापरवाही से साइबर सुरक्षा के खतरे पैदा होते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा के ऊंचे मानदंड सुनिश्चित करने तथा लोगों को जोखिम कम-से-कम करने के लिए उठाई जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने के लिए अधिक सख्त नीतियां बनाने की जरूरत है।

विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण किया गया है, कहीं यह सफल रहा है और कहीं-कहीं ज्यादा सफल नहीं रहा है। अभी तक का सबसे सफल प्रयास स्वीडन में रहा है। भारत में यह कितना सफल रहेगा, यह इस बात पर निर्भर होगा कि भारत की भारी भरकम निरक्षर और अर्द्धसाक्षर आबादी में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जागरूकता उत्पन्न की जाती है, जहां इंटरनेट की सुविधा न के बराबर है। साइबर सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी सरकारी नीतियों तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए व्यापक पैमाने पर जागरूकता के अभियानों से भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक ताकत बनते हुए देखने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ❑

MIT-SOG MIT School of Government
Kindling the flame of Democratic Leadership...

MAEER's
MIT SCHOOL OF GOVERNMENT | Estd.: Sept. 2005 | PUNE | INDIA
S. No. 124, Paud Road, Kothrud, Pune 38.

First ever
Leadership Program
in India & Asia
for a Career in Politics

Founder & Initiator:
Rahul V. Karad

One-year full time residential
Master's Program In Government
MPG- 13, 2017-2018

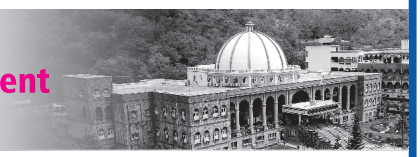

ADMISSIONS OPEN : BATCH -13 COMMENCES August 1, 2017

CAREER PROSPECTS:

Apart from Career in Electoral Politics, there are various attractive career opportunities in the field of functional politics as Research Associate, Political Analyst, Policy Associate, Political Strategist, Political Consultant, Election management, Election Research & Campaign management, Social media managers, Constituency management, Assisting in Parliamentary Affairs etc.

COURSE SYLLABUS:

- Political Marketing and Branding
- Political Economy, Public Policy
- Law, Public Administration & Governance
- Research Methods for Contemporary Political Issues
- Social Media handling, Global Politics

ELIGIBILITY:

Graduate from any faculty is eligible to apply for the selection process of MPG-13. The upper age limit is 35 years as on July 31, 2017.

More than 350 alumni successful in political arena

9850897039, 7720061611
9146038947
www.facebook.com/Mitsog
Apply @ www.mitsog.org

Supported by UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Peace & Tolerance World Peace Centre (Alandi) Pune, India

In Academic Alliance with TISS Tata Institute of Social Sciences

POLITICS AS THE BEST CAREER OPTION!

India needs leaders who are dynamic, proactive, capable and knowledgeable. All professions including Medicine, Engineering, Pharmacy, Management, Law etc. employ educated & skilled people in their respective fields. Then why not in Politics, which is as crucial as it concerns the wellbeing of nation and its populace at large. We have under graduate and post graduate programs to address the challenges of other sectors but none for those who envision to enter into politics in a professional way. When we look at the present political scenario, we all feel that India needs Leaders who have a fair idea about what is happening and what they need to do when they take over the mantle. But how do they go about it? Like getting proper guidance, training, knowledge whereby they can form their own perspective, and giving better guidance when leading the country and its citizens. Today's political environment demands knowledge & skills- like Foreign Policy, Political Economy, International relations, Public Policy, Constitution, Five Tier Structure and grass root politics required to win the elections, Election Management, Constituency Development etc.

The political leaders in their active public life are concerned mostly with Social Work focusing on policies related to betterment of the masses. They require trained/skilled manpower to assist them in this endeavor in the following areas- Political Analyst, Political Strategist, Election Consultants, Constituency Managers, Public Relation officer, Social Media analyst, Brand consultants etc.

All these positions require good analytical, research, managerial, leadership & communication skills along with good decision making power. Many professionals work for government and make excellent money, enjoy security in their positions. Think tanks and private firms also provide job opportunities, although the pay in such cases can vary, depending on the grants received and the group's political affiliations. These professionals represent the country in international forums, indulging in debates of grave importance, having meetings with international leaders, passing of bills in parliament etc. They assist to resolve the internal problems and issues as well as we need to make good relation with the other nation.

As professionals work for a corporate organization to enhance its brand equity, a healthy balance sheet and a good customer feedback, politicians are striving hard for their respective political parties and constituency. MIT School of Government, Pune established in 2005, is the only institute in the country to provide experiential learning and training to the young, dynamic leaders of India to take up challenging positions and leadership roles in the democratic fabric of the nation.

विमुद्रीकरण: गत दो माह: एक नजर में

अरुण जेटली

दिक्कतों का दौर खत्म हो रहा है। आर्थिक गतिविधियां बहाल हो रही हैं। बैंकों के पास विकास के लिए ऋण देने की खातिर काफी पैसे हैं। चूंकि यह पैसा कम लागत वाली जमा रकम है, इसलिए इससे निश्चित तौर पर ब्याज दरें कम होंगी। दोनों चीजें पहले ही हो चुकी हैं। जो लाखों करोड़ रुपये ढीली मुद्रा की तरह बाजार में इधर-उधर थे, वे अब बैंकिंग प्रणाली में आ चुके हैं। इससे न सिर्फ पैसे की गोपनीयता खत्म हुई है, बल्कि इसके मालिक कर देकर इस रकम का ज्यादा प्रभावी उपयोग कर पाएंगे

बड़े नोटों के वैधानिक टेंडर अमान्य किए जाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री के ऐलान को दो महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाद इन नोटों का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। देश की 86 फीसदी मुद्रा (जीडीपी का 12 फीसदी) को बाजार से निकालकर इसकी जगह नयी मुद्रा लाने के फैसले का जाहिर तौर पर बड़ा असर होगा। अब पुनर्मुद्रीकरण पर काम आगे बढ़ चुका है, ऐसे में इस फैसले और इसके असर की वजहों का विश्लेषण उपयुक्त होगा।

कालेधन के खिलाफ कदम

मौजूदा सरकार का रवैया पहले दिन से इस बात को लेकर साफ था कि वह कालेधन और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसका पहला फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत एसआईटी बनाना था। प्रधानमंत्री ने ब्रिसबेन में जी-20 के दौरान प्रस्ताव किया था कि *बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग* (कंपनियों की कर बचाने की एक रणनीति) के मामले में सूचनाएं साझा करने पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग तेज होना चाहिए। अमेरिका के साथ समझौते ने इस मकसद को और आगे बढ़ाया। सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ अपना समझौता पूरा किया, जो वर्ष 2019 से लागू होगा। इसके तहत स्विट्जरलैंड में मौजूद भारतीय नागरिकों की संपत्तियों और भारत में मौजूद इस मुल्क के नागरिकों की संपत्तियों के बारे में दोनों देश एक-दूसरे को जानकारी देंगे। मॉरीशस के साथ 1996 से दोहरे कर बचाव संधि में बदलाव को लेकर बातचीत चल रही थी। दरअसल, इस संधि से *राउंड ट्रिपिंग* (कंपनियों द्वारा कर बचाने का एक और तरीका) को बढ़ावा मिलता है। इसमें बदलाव किया गया। साइप्रस और सिंगापुर के साथ भी इसी तरह के समझौतों में बदलाव किया गया है। भारत से बाहर कालेधन और अवैध संपत्तियों का खुलासा होने की सूरत में संबंधित कानून में 60 फीसदी कर और 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है।

द *इनकम डेक्लेयरेशन स्कीम (आईडीएस)* 45 फीसदी कर के साथ काफी सफल रही। दो लाख से ज्यादा के नकदी लेन-देन के लिए पैन कार्ड जरूरी किए जाने से कालेधन के जरिये खर्च पर लगाम लगी। बेनामी कानून को 1988 में तैयार किया गया और इसे कभी लागू नहीं किया गया। इसे संशोधित कर लाया गया है। *जीएसटी* को इस साल लागू किया जाना है। यह अप्रत्यक्ष कर का बेहतर प्रशासन मुहैया कराएगा और कर चोरी की जांच में ज्यादा सक्षम होगा। बड़े नोटों का विमुद्रीकरण इसी दिशा में बड़ा कदम था।

नयी शुरुआत

वित्त वर्ष 2015-16 में देश की कुल 125 करोड़ आबादी में से 3.7 करोड़ ने आय कर रिटर्न भरा। इनमें से 99 लाख ने 2.5 लाख से कम आय बतायी और कोई कर भुगतान नहीं किया। 1.95 करोड़ ने 5 लाख से कम आय का ऐलान किया। 52

लेखक केंद्र सरकार में वित्त एवं कपंनी मामलों के मंत्री हैं।

लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना

सरकार उपभोक्ताओं और व्यापारियों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए हाल में उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजि-धन व्यापार योजना शुरू की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य फायदे की पेशकश के माध्यम से डिजिटल लेन-देन के अधिकाधिक इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन योजनाओं के अधीन केवल उन्हीं लेन-देनों को शामिल किया जाएगा, जो रूपे कार्ड, यूएसएसडी, यूपीआई और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से किए गए हैं।

लाख ने अपनी आय 5 से 10 लाख बताई और सिर्फ 24 लाख लोगों ने 10 लाख से ज्यादा आय घोषित की। यह बताने के लिए इससे बेहतर प्रमाण की जरूरत नहीं है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों लिहाज से भारत बड़े पैमाने पर कर नियमों का पालन नहीं करने वाला समाज बना हुआ है।

कर नियमों का पालन नहीं होने से गरीबी खत्म करने, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए जरूरी खर्चों से समझौता करना पड़ेगा। करीब 7 दशकों से 'सामान्य' भारतीय 'कुछ नकद' और 'कुछ चेक' में सौदे करते रहे हैं। 'पक्का' और '*कच्चा*' खाते कारोबारी भाषा का हिस्सा रहे हैं। कर चोरी को बेईमानी या अनैतिक नहीं माना गया है। यह जीने का तरीका है। प्रधानमंत्री के फैसले का मकसद नयी शुरुआत करने का है। इसका मकसद भारत और भारतीयों के खर्च का अंदाज बदलना है। यह फैसला परेशानियों भरा है, लेकिन सभी सुधार ऐसे ही होते हैं। वे पुरानी यथास्थिति को बदलते हैं। विमुद्रीकरण ने ईमानदारी को अहम बनाया है और बेईमान हरकतों को दंडित किया है।

नकद के प्रतिकूल परिणाम

कागजी मुद्रा शून्य ब्याज देने वाला बेनाम बॉन्ड है। इसके साथ कोई नाम या इतिहास जुड़ा नहीं होता। अपराध नकदी के माध्यम से भी हो सकता है या इसके बिना भी, लेकिन विनिमय के लिए अत्यधिक नकदी का प्रयोग होने को भूमिगत अर्थव्यवस्था द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इससे कर के भुगतान में नियमों का पालन नहीं होता है। परिणामस्वरूप, गरीब और वंचितों के मुकाबले कर चोरी करने वाले अन्यायपूर्ण ढ़ंग से फलते-फूलते हैं। बड़ी मात्रा में नकदी हवाला के जरिये *टैक्स हैवन* माने जाने वाले देशों और ठिकानों में पहुंचती है। नकदी के जरिये भुगतान के बारे में पता लगाना मुश्किल है। नकदी ऐसा माध्यम है, जिससे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा और आतंकवाद को धन मिलता है। विकसित देश तकनीक के सहारे बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन की दिशा में लगातार आगे बढ़े हैं। कागजी मुद्रा कई गड़बड़ियों के लिए दरवाजे खोलती है। जब सरकार कर चोरों से ज्यादा कर इकट्ठा करने में सक्षम होगी, तो वह हर किसी से कम कर लेने के लिए बेहतर हालत में होगी। नकदी को कम कर अपराध और आतंकवाद को निर्मूल करना भले ही मुमकिन नहीं हो, लेकिन इससे ऐसी चीजों को तगड़ा झटका दिया जा सकता है। कई देशों ने दिखाया है कि नकदी की दुकान खुद से गायब नहीं होती। ऐसा तब तक नहीं होता, जब तक सरकार कागजी मुद्रा को कम करने के लिए जोरदार कदम नहीं उठा लेती।

फैसले की व्यापकता

बड़े नोटों को बदलने और आखिरकार इसके विमुद्रीकरण के प्रधानमंत्री के फैसले के लिए साहस और क्षमता की जरूरत थी। इस फैसले के अमल के कारण मुश्किलें हुईं। छोटी अवधि में यह आलोचना और मुश्किलों का कारण हो सकता है। पुनर्मुद्रीकरण अवधि के दौरान मुद्रा की किल्लत के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से अर्थव्यवस्था पर तात्कालिक असर हुआ। यह फैसला लेने और पर्याप्त संख्या में नोटों की छपाई और बैंकों, पोस्ट ऑफिसों, बैंक मित्र

समता की स्थापना में सहायक 'भीम'

सरकार ने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, भीम राव आंबेडकर के नाम पर अपने देश में तैयार किया गया नया भुगतान एप 'भीम' (भारत इंटरफेस फॉर मनी) की शुरुआत की है। भीम से कालेधन पर रोक लगेगी और समानता कायम होगी। भीम एक ऐसा बायोमैट्रिक भुगतान प्रणाली 'एप' है, जो आधार प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और बैंकों के माध्यम से सीधे तौर पर ई-भुगतान की सुविधा के लिए यूनीफायड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर आधारित है। प्रौद्योगिकी के महत्व और डिजिटल लेन-देन पर जोर देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। सभी मोबाइल फोनों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह स्मार्टफोन हो अथवा कोई फीचर फोन हो, जो इंटरनेट-सहित अथवा इंटरनेट-रहित हो।

'भीम' एप द्वारा आधार गेट-वे से किसी बैंक खाते को जोड़ देने के बाद केवल अंगूठे के निशान से ही भुगतान किया जा सकता है। भीम के माध्यम से प्रौद्योगिकी द्वारा निर्धनतम व्यक्ति, छोटे व्यापारियों और सीमांत वर्गों का सशक्तीकरण हो सकेगा।

इस नए एप से प्लास्टिक कार्डों और सेल मशीनों के स्थानों में कमी आने की उम्मीद है। इस एप से मास्टर कार्ड और वीजा जैसे सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क भुगतान से भी छुटकारा मिलेगा, जिसे डिजिटल भुगतान की ओर लोगों के झुकाव में एक प्रमुख बाधा है।

इस एप का इस्तेमाल स्मार्टफोनों के माध्यम से धन भेजने और प्राप्त करने में किया जा सकता है। गैर-यूपीआई समर्थित बैंकों में धन भेजने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके माध्यम से बैंक बैलेंस की भी जांच की जा सकती है।

पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए निःशुल्क भुगतान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार ईंधन खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान पर ग्राहकों अथवा पेट्रोल पंप डीलरों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

नवंबर में विमुद्रीकरण से पहले उपभोक्ताओं को बैंकों द्वारा डिजिटल भुगतान पर लागू किए गए शुल्कों का भुगतान करना पड़ता था। देश को कम-नगद अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से ले जाने के सरकार के प्रयासों में पेट्रोल पंप एक प्रमुख सहयोगी बन गए हैं। अपने अधिकांश खुदरा आउटलेटों, राज्य की तेल कंपनियों में डिजिटल वॉलेटों को तेजी से अपनाए जाने और क्रेडिट तथा डेबिट कार्डों का इस्तेमाल बढ़ाने से जहां एक ओर ग्राहकों की सुविधा बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सरकार के डिजिटल एजेंडे को काफी बल मिला।

एवं एटीएम के जरिए वितरण में उच्च स्तर की गोपनीयता रखने की जरूरत थी।

हकीकत यह है कि बड़ी मात्रा में बड़े नोट जो बैंक में जमा हुए हैं, उनके सिर्फ जमा होने से ऐसी सभी रकम वैध नहीं हो जाएगी। कालाधन सिर्फ बैंक में जमा होने से अपना रंग नहीं बदलता है। इसके उलट इसकी गोपनीयता खत्म हो जाती है और इसके साथ उसके मालिक की भी पहचान हो सकती है। राजस्व विभाग अब इस पैसे पर कर लेने का हकदार होगा। आयकर कानून में संशोधन में भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित रकम चाहे स्वेच्छा से घोषित की गई हो या जबरन इसका पता लगाया गया हो, इस पर ऊंची दर से कर और जुर्माना लगेगा।

मौजूदा हालत

दिक्कतों का दौर खत्म हो रहा है। आर्थिक गतिविधियां बहाल हो रही हैं। बैंकों के पास विकास के लिए ऋण देने की खातिर काफी पैसे हैं। चूंकि यह पैसा कम लागत वाली जमा रकम है, इसलिए इससे निश्चित तौर ब्याज दरें कम होंगी। दोनों चीजें पहले ही हो चुकी हैं। जो लाखों करोड़ रुपये ढीली मुद्रा की तरह बाजार में इधर-उधर थे, वे अब बैंकिंग प्रणाली में आ चुके हैं। इससे न सिर्फ पैसे की गोपनीयता खत्म हुई है, बल्कि इसके मालिक कर देकर इस रकम का ज्यादा प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। बैंकिंग लेन-देन और अर्थव्यवस्था का आकार निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। मध्यम और लंबी अवधि में जीडीपी बड़ी और साफ होगी। बैंकिंग प्रणाली में पैसा आने और इसके आधिकारिक लेन-देन से ज्यादा कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के लिए गुंजाइश बनेगी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इससे फायदा होगा। साथ ही बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन-देन से अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। ❑

SARVODAYA IAS

सामान्य अध्ययन

भारतीय अर्थव्यवस्था

Pre-cum-Mains

A.K. Arun

Fee @ 9500 only

कक्षा जारी

9 am

Venue : A-20, Ground Floor, Behind Batra Cinema.

011-47039432, 8750918822-99

IAS 2017-18

ICS

www.icsias.com

अशोक सर के नेतृत्व में भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक एक साथ एक मंच पर

UPSC/PCS में सफलता के लिए वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति

विशेषज्ञों द्वारा Designed Course

उच्चस्तरीय Test Series एवं Special Class Tests

CSAT, ESSAY एवं Optional Subjects में सटीक मार्गदर्शन

सामान्य अध्ययन

प्रत्येक माह नया बैच प्रारंभ

UPSC Pre-2016 में ICS Test Series से 35 प्रश्न आए हैं....!!

TEST SERIES

FOR PRELIMS-2017

Starts from: 15th JANUARY

समसामयिक घटनाक्रमों पर ICS की अनूठी प्रस्तुति

- समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नजरिये से विश्लेषण तथा उनकी बिन्दुवार प्रस्तुति।
- हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए समसामयिक घटना चक्र के विषयों पर श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारगर्भित स्रोत।
- बहुआयामी समसामयिक खंडों का विश्लेषण तथा रोचक ढंग से प्रस्तुतीकरण।
- सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी

HEAD OFFICE: 625, 1st Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

PH.: 011-45094922 Mob.: 9821969801, 8750908822

नगदी अर्थव्यवस्था से कमनगद अर्थव्यवस्था की ओर

प्रभाकर साहू
अमोघ अरोड़ा

बीते दो महीनों में भारत में लेन-देन के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है और स्वाईप मशीनों की भी मांग बढ़ी है। चाहे छोटी दुकानें हों या फिर फेरीवाले, त्वरित भुगतान वाले इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में इजाफा हुआ है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। मोबाइल-वॉलेट में काफी बढ़ोतरी हुई है और यह बहुत हद तक संभव है कि भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा नकदी से सीधे-सीधे मोबाइल-वॉलेट्स की ओर बढ़ जाएगा

केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, 2016 से 500 रुपये और 1000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। ये दोनों मूल्यवर्ग के नोट कुल बैंक नोटों के 85 प्रतिशत से अधिक मूल्य के थे। विमुद्रीकरण के कारण नकदी की कमी हो गयी और इसने सरकार को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं अंतरण की ओर जाने के लिए विवश किया। हालांकि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाना तथा कालेधन को समाप्त करना था, पर नगदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना एक आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आया है। वास्तव में, 27 नवंबर, 2016 को 'मन की बात' में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा 'एक नगदरहित समाज हमारा सपना है। यह सही है कि 100 प्रतिशत नगदरहित समाज कभी संभव नहीं है लेकिन हम एक कमनगद समाज से शुरुआत कर सकते हैं और तब नगदरहित समाज कोई दूर की कौड़ी नहीं होगी।'

यद्यपि विमुद्रीकरण का विमर्श परिवर्तित हो चुका है, सरकार एक नगदरहित अर्थव्यवस्था के बीज बो चुकी है। 2014 में सरकार ने *जन-धन योजना* की शुरुआत की। 20 अप्रैल, 2016 तक इसके अंतर्गत लगभग 220 मिलियन खाते खोले गए। फरवरी 2016 में, भारत सरकार ने कार्ड और डिजिटल माध्यमों के जरिए भुगतान को प्रचारित करने के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। नकदी साथ रखने की अनौपचारिक प्रणाली से एक औपचारिक वित्तीय भुगतान प्रणाली तक जाने का व्यापक परिवर्तन भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली को प्रोत्साहन देगा। भ्रष्टाचार कम करने और अर्थव्यवस्था में कालेधन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, मुख्यतया नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की ओर बढ़ना, जिसके लिए सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच और सुविधा की आवश्यकता है।

एक नगदरहित अर्थव्यवस्था नगदी की बजाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक अंतरण अथवा ऑनलाइन खरीद के सहारे चलती है। एक नगदरहित अर्थव्यवस्था का विचार, दरअसल कागजी मुद्रा से डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ने की एक क्रांति है, जो आमतौर पर कालेधन के प्रवाह को रोकने तथा नकदी के प्रवाह की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। चाहे किसी को बिल का भुगतान करना हो, फल खरीदने हों अथवा बस या टैक्सी की यात्रा करनी हो, सभी तरह के लेन-देन कार्ड या डिजिटल माध्यमों द्वारा किए जाते हैं। जेब में रखे जाने वाले पारंपरिक बटुए की तरह ई-वॉलेट में नकदी को भौतिक रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़े होते हैं और भुगतान सीधे उसी से हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग और हाल ही में शुरू हुआ एकीकृत भुगतान इंटरफेस अन्य माध्यम हैं, जो नगदरहित समाज की ओर ले जाते हैं, लेकिन ई-वॉलेट सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में, यह माना जा रहा है कि निकट भविष्य में क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि सभी प्रकार के लेन-देन को एक स्मार्टफोन के माध्यम से संभव बनाया जाएगा और एटीएम से नकदी निकालने के लिए एक मोबाइल

प्रभाकर साहू आर्थिक विकास संस्थान, नयी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: pravakarfirst@gmail.com
अमोघ अरोड़ा इसी संस्थान में शोध इंटर्न हैं। ईमेल: amogh.arora04@yahoo.com

फोन कोड ही काफी होगा, किसी कार्ड की जरूरत नहीं होगी।

नगदरहित अर्थव्यवस्था के लाभ

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध संपत्ति आदि मुद्दों से पीड़ित है। भ्रष्टाचार और कालेधन के शिकंजे को तोड़ने के लिए लेखा-परीक्षा और प्रवर्तन अभिकरणों जैसे विभिन्न तरीके हमेशा मौजूद रहे हैं, लेकिन नगदरहित अर्थव्यवस्था का विचार अधिक आकर्षक है क्योंकि अधिकतर आर्थिक लेन-देन एक औपचारिक प्रणाली का हिस्सा होंगे तथा उन पर नजर रखना आसान होगा। भारत में बहुत कम लोग ही गैर-नगदी भुगतान के तरीकों का प्रयोग करते हैं। केवल 10-15 प्रतिशत आबादी ने ही कभी-भी किसी प्रकार के गैर-नगदी भुगतान उपकरण का उपयोग किया है, जबकि ब्राजील और चीन जैसे देशों में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत तक है। 2014 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बैंकों से बाहर चलन में मुद्रा की मात्रा 11.1 प्रतिशत थी, जो कि रूस, मेक्सिको और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अधिक थी। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि नगदरहित उपयोगकर्ता बाजार के अप्रयुक्त आधार को मजबूत करने की पर्याप्त गुंजाइश है। सुविधाजनक, विश्वसनीय, सुरक्षित और वहनीय भुगतान प्रणालियों के साथ-साथ गैर-नगदी उपयोगकर्ताओं के क्षितिज को विस्तृत करने से बैंक से नहीं जुड़े हुए लोगों के लिए ऋण एवं बीमा जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के अपने प्रभाव होंगे, खासकर जब हम इसे वित्तीय समावेशन पहल के आलोक में देखते हैं। मगर बैंकों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना तथा लेन-देन को सुरक्षित बनाना चुनौती है।

- **भुगतान का सुविधाजनक तरीका:** लेन-देन में आसानी के कारण यह निश्चित रूप से नगदरहित होने को बढ़ावा देता है। नगदरहित अर्थव्यवस्था सभी को (निम्न-आय वर्ग को छोड़कर) नकदी में व्यापार या लेन-देन करने की लागत में कमी समेत ढेरों लाभ प्रदान करती है।
- **कम जोखिम:** समुचित साइबर-सुरक्षा के साथ ऑनलाइन भुगतान अपेक्षाकृत जोखिम-मुक्त है, जबकि भौतिक नगदी के साथ हमेशा सुरक्षा की समस्या रहती है।
- **मुद्रा छापने की लागत में कमी:** नए नोट छापने और गंदे एवं कटे-फटे नोटों को बदलने में काफी लागत आती है। 2015 में आरबीआई को नोट छापने में 27 बिलियन रुपए की लागत आई। अगर हम एक नगदरहित समाज की ओर बढ़ते हैं तो यह लागत कम की जा सकती है।
- **अपराध-दर में कमी:** नशीले पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद का वित्तपोषण और कालेधन को वैध बनाने जैसी ज्यादातर समाज-विरोधी एवं अवैध गतिविधियों को केवल नकदी में ही अंजाम दिया जाता है। एक नगदरहित अर्थव्यवस्था में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना कठिन होगा।
- **बैंकिंग क्षेत्र के लिए बेहतर:** एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बैंकिंग प्रणाली की मदद करेगी। एक बार लोग डिजिटल भुगतान एवं अंतरण के आदी हो जायेंगे तो नकदी साथ रखने या नकदी की जमाखोरी में कमी आएगी।
- **पारदर्शिता एवं निगरानी:** सरकार नगदरहित लेन-देन की आसानी से निगरानी कर सकती है। अत: कर अपवंचन कठिन होगा और इससे राजस्व-संग्रह में वृद्धि होगी।

भारत में 2013 से 2016 के बीच, *तत्काल निपटान प्रणाली* और *राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण* का प्रयोग लगभग तीन गुना और मोबाइल बैंकिंग से लेन-देन लगभग सात गुना बढ़ा है। एटीएम और पीओएस कार्ड से लेन-देन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और पीओएस डेबिट कार्ड का प्रयोग काफी बढ़ा है।

बीते दो महीनों में भारत में लेन-देन के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है और स्वाईप मशीनों की भी मांग बढ़ी है। चाहे छोटी दुकानें हों या फिर फेरीवाले। त्वरित भुगतान वाले इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में इजाफा हुआ है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। मोबाइल-वॉलेट में काफी बढ़ोतरी हुई है और यह बहुत हद तक संभव है कि भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा नकदी से सीधे-सीधे मोबाइल-वॉलेट्स की ओर बढ़ जाएगा। *मोबीक्विक* दावा करता है कि 2017 तक वो आसानी से 10 बिलियन डॉलर तक के भुगतान का आंकड़ा छू लेगा और जल्दी ही एक बिलियन से ज्यादा व्यापारियों द्वारा अपनाया जायेगा।

नगदरहित अर्थव्यवस्था या इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की ओर बढ़ाया गया कदम कर-अपवंचन को कम करने के द्वारा कालेधन पर रोक लगाने तथा अर्थव्यवस्था का पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। अंतत:, नकदी साथ रखने का जोखिम कम होगा और वित्तीय समावेशन का एक अधिक सुनियोजित ढांचा सामने आयेगा। विकास की प्रक्रिया की दिशा में सरकार खर्च अधिक करेगी क्योंकि पारदर्शिता और राजस्व के प्रवाह में बढ़ोतरी के आसार हैं।

मगर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में नगदरहित समाज की तरफ बढ़ने का दूसरा पहलू यह है कि गरीब लोगों के लिए नगदरहित लेन-देन व्यावहारिक नहीं है। विमुद्रीकरण ने अनौपचारिक समाज तथा बैंक से नहीं जुड़े हुए लोगों को खासतौर पर प्रभावित किया है। समाज के इस हिस्से को नगदरहित व्यवस्था को अपनाने में काफी समय लगेगा। शुरुआत में लेन-देन के तरीकों को अपनाना कठिन लग सकता है लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि देश एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर अपना पहला कदम बढ़ाए। नकदी समाप्त होने का विचार दूर की कौड़ी लग सकता है लेकिन निश्चित रूप से नगदी अब धीरे-धीरे बाहर होने की कगार पर है।

नगदरहित समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

विमुद्रीकरण के कुछ समय बाद ही सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न डिजिटल तरीकों को अपनाने के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए ताकि नगदी की कमी के समय लोगों को बैंकों या एटीएम के बाहर लंबी-लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े।

- **उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना:** डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने 25 दिसंबर 2016 को

डिजिटल लॉटरी योजनाओं- जैसे उपभोक्ताओं के लिए लकी ग्राहक योजना तथा व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की। इस तरह की प्रोत्साहन योजनाओं के साथ *डिजिटल इंडिया* आन्दोलन निश्चित रूप से देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाएगा। रूपे कार्ड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लेमेंट्री सर्विस डाटा (यूएसएसडी) यूपीआई और आधार समर्थित भुगतान प्रणालियां इन योजनाओं का हिस्सा हैं।

- **वित्तीय साक्षरता अभियान:** वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था और लेन-देन के नगदरहित तरीकों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना, उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना है। मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय ने लोगों से धन अंतरण के लिए डिजिटल नगदरहित आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने यह भी अपील की है कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले निजी एवं सरकारी संस्थान न तो नकदी ग्रहण करें और न ही नकदी में भुगतान करें तथा एक नगदरहित कैंपस (दुकानें, जलपान गृह, सेवाएं) विकसित करें। इस अपील ने कई शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए वेबपेज पर अनेक लोगों ने नामांकन भी कराया और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं और सुझाव लोगों के उत्साह को दर्शाते हैं।
- **बीएचआईएम (भारत इंटरफेस फॉर मनी):** प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर, 2016 को ऑनलाइन लेन-देन को आसान बनाने के लिए बीएचआईएम नामक ई-वॉलेट एप की शुरुआत की। इस आधार-आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से सीधे भुगतान कर सकता है। केवल आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और उसके बाद धन अंतरण के लिए बस एक क्लिक की ही देरी है। हालांकि यह एप यूपीआई-समर्थित बैंक खातों के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन एक समय पर केवल एक ही खाता इससे जोड़ा जा सकता है। जिसके पास दो खाते हैं उसे दोनों खातों से लेन-देन के लिए एक खाते से दूसरे खाते पर जाना होगा।
- रूपे कार्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भारतीय संस्करण है और यह वीसा या मास्टरकार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्ड के समान है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने जन-धन योजना के तहत रूपे कार्ड की शुरुआत की। बैंकों ने प्रत्येक खाताधारक को रूपे डेबिट कार्ड के साथ एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया है। रूपे तीन जगहों (एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल तथा ऑनलाइन बिक्री) पर काम करता है और विश्व में इस तरह का सातवां भुगतान गेटवे है। करोड़ों गरीब लोगों के पास रूपे डेबिट कार्ड है, यह नगदरहित अर्थव्यवस्था में निम्न-आय वर्ग को शामिल करने का एक प्रयास है। तथापि रूपे का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन है और विश्व-स्तरीय आर्थिक उत्पाद बनने के लिए इसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड की नीतियों एवं मानकों पर खरा उतरना होगा।

बैंक लेन-देन में तेजी लाने, क्षमताओं को बेहतर करने तथा बैंक खातों के जरिये सरकारी कल्याणकारी सेवाओं (एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी, *मनरेगा* का भुगतान) के बढ़ते बोझ से निपटने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से गैर-नगदी भुगतान अपना रहे हैं।

- **आधार भुगतान एप:** 25 दिसंबर, 2016 को सरकार ने एक आधार एप की शुरुआत की। यह किसी व्यक्ति के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ता है। यह एप एक बायोमैट्रिक रीडर से जुड़ा होगा और उपभोक्ता अपनी आधार संख्या दर्ज करेगा और अंतरण के लिए एक बैंक का चुनाव करेगा। इस एप की एक विशेषता यह है कि बिना फोन के इसका इस्तेमाल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव: स्वीडन का उदाहरण

स्वीडन विश्व की पांच शीर्ष नगदरहित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उसने पहले ही डिजिटल बुनियादी ढांचे के जरिये मोबाइल या प्लास्टिक भुगतान का उपयोग करते हुए लेन-देन को आसान बनाने के लिए प्रभावकारी नीतियां अपना ली हैं। स्वीडन ऐसा पहला देश है जिसने 2020 तक 100 प्रतिशत नगदरहित होने का दावा किया है और बैंकों, बसों, फेरीवालों और यहां तक कि गिरजाघरों में भी प्लास्टिक या वर्चुअल भुगतान की आशा रखने के साथ नगदरहित समाज बनने की दौड़ का नेतृत्व कर रहा है। केंद्रीय बैंक रिक्सबैंक के अनुसार, 2016 में, स्वीडन में भुगतान के लिए महज 2 प्रतिशत का नकद अंतरण हुआ उधर 2020 तक इसके 0.5 प्रतिशत तक घट जाने के आसार हैं। स्वीडन की 1600 बैंक शाखाओं में से लगभग 900 न तो नकद देती हैं और न ही लेती हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब एटीएम नहीं हैं। स्वीडिश क्रोन का परिसंचरण 2009 में लगभग 106 बिलियन से 2016 में 80 बिलियन तक गिर गया है। जब हम नकदी से नगदरहित होने की बात करते हैं तो वहां तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्विश (स्वीडन के 6 बैंको के स्वामित्व वाला एक मोबाइल एप और स्वीडन और डेनमार्क के कई बैंकों के बीच सहकारिता का परिणाम) ने स्वीडन में काफी जोर पकड़ा है। यह एप उपयोगकर्ताओं को, चाहे वे रेस्टोरेंट में हों, कैब में हों या किसी बाजार में हों, हर जगह कभी भी अपने बैंक खाते से लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। स्विश के उपयोगकर्ताओं में एक लाख बीस हजार उपयोगकर्ता प्रति माह के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2014 में, स्विश एप का उपयोग करते हुए 1.69 बिलियन क्रोन से ज्यादा की राशि का अंतरण हुआ। कंपनी 2017 के अंत तक 3 मिलियन उपयोगकर्ताओं के जुड़ने की आशा कर रही है।

हालांकि, आधार एवं निर्णायक आयामों की दृष्टि से भारत और स्वीडन में बहुत बड़ा अंतर है। 31 दिसंबर, 2015 तक स्वीडन की अनुमानित जनसंख्या 9.85 मिलियन थी। साक्षरता लगभग 100 प्रतिशत थी। इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 1260 मिलियन थी। साक्षरता केवल 75 प्रतिशत थी। भारत

में अनपढ़ लोगों की जनसंख्या स्वीडन की पूरी आबादी से लगभग तीस गुना अधिक थी। स्वीडन की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत का 435 प्रतिशत है जबकि भारत की महज 14 प्रतिशत। भारत में 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जबकि स्वीडन में 85.5 प्रतिशत आबादी शहरों में है। भारत के लिए स्वीडन से तुलना करना मुनासिब नहीं, फिर भी भारत बीएचआईएम जैसे एप को सामने लेकर आया है, यद्यपि इसे बड़े पैमाने पर अभी अपनाया नहीं गया है और भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा तकनीक से अभी भी अनजान है। आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों को एक नए विचार के साथ आने की जरुरत है जो नगदरहित लेन-देन को समर्थ बनता हो और उन्हें सुरक्षित बनाता हो तथा आसान हो।

भारत में 2013 से 2016 के बीच, *तत्काल निपटान प्रणाली* और *राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण* का प्रयोग लगभग तीन गुना और मोबाइल बैंकिंग से लेन-देन लगभग सात गुना बढ़ा है। एटीएम और पीओएस कार्ड से लेन-देन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और पीओएस डेबिट कार्ड का प्रयोग काफी बढ़ा है। स्पष्ट है कि बैंक लेन-देन में तेजी लाने, क्षमताओं को बेहतर करने तथा बैंक खातों के जरिये सरकारी कल्याणकारी सेवाओं (एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी, *मनरेगा* का भुगतान) के बढ़ते बोझ से निपटने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से गैर-नगदी भुगतान अपना रहे हैं। इसके बावजूद सभी भुगतानों का 5 प्रतिशत से भी कम इलेक्ट्रॉनिक है। भारत अभी भी नगदी के सहारे ही चल रहा है।

नगदरहित अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां

विमुद्रीकरण ने पूरी अर्थव्यवस्था को कम नकदी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन लोगों और साथ ही सरकार के सामने इसने कुछ चुनौतियां भी पेश की हैं। डिजिटल होने के मुद्दे पर भारत में आम सहमती है। लेकिन क्या समुचित बुनियादी ढांचे के बगैर यह संभव है? ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक बैंकों तथा स्टेट बैंक समूह के एटीएम केवल 20.8 प्रतिशत हैं और निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम 8.5 प्रतिशत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम मिलना बहुत मुश्किल है। ई-वॉलेट और मोबाइल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरुरत होती है, लेकिन आबादी के चौथाई से भी कम हिस्से के पास स्मार्टफोन हैं, तेज और भरोसेमंद इन्टरनेट सेवा महंगी है और मिलनी मुश्किल है। सार्वजनिक वाई-फाई, हॉटस्पॉट और मोबाइल फोन बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी कुछ गिने-चुने ही हैं और साइबर सुरक्षा भी चिंता का विषय है। किसी को कैसे भरोसा होगा कि छोटी दुकानों और फेरीवालों के पास कार्ड स्वाईप करना सुरक्षित है और उनके कार्ड का विवरण गोपनीय रहेगा? यदि कार्ड का विवरण चुरा लिया गया तो, किसी व्यक्ति के लिए बड़ी मेहनत से कमाई गयी राशि की भरपाई करने में उसको कई साल लग जायेंगे। अक्तूबर 2016 में, 30 लाख से अधिक डेबिट कार्ड के विवरणों के लीक होने का खतरा हो गया था और ग्राहकों से अपने पिन बदलने के लिए कहा गया था। एक महीने बाद जब विमुद्रीकरण के कारण कार्ड से लेन-देन अचानक बढ़ा, तो नेटवर्क पर काफी भार आ गया, कार्ड मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और लोगों को लंबी-लंबी कतारों में घंटों लगना पड़ा।

अगर नकदी का परिसंचरण घटता है और ज्यादातर लेन-देन डिजिटल हो जाता है तो लोग अपने साथ कम नकदी रखेंगे। वित्तीय लेन-देन का डिजिटलीकरण भारत में चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रभावशाली साधन साबित हो सकता है। इससे रिकॉर्ड रखने में आसानी हो जाएगी और कर-आधार भी बढ़ेगा तथा नकदी साथ रखने की जरुरत कम रहेगी और चोरी की दर भी कम हो जाएगी।

सरकार का लगातार कहना है कि विमुद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार से लड़ना है। लोकतान्त्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है। दरअसल, उच्च-दर्जे के भ्रष्टाचार में नकदी शामिल नहीं होती। अत: भ्रष्टाचार से लड़ने का ऐसा कोई भी प्रयास जिसमें राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाना शामिल नहीं है, निरर्थक और असफल है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने से लेकर बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ सरकार को इन चुनौतियों से पार पाने के लिए नीतियों के निर्धारण पर भी ध्यान देने की आवश्कता होगी। भारत रातोंरात नगदरहित नहीं होगा। पहले सरकार को लोगों की समस्याओं को समझना होगा और यह सोचना होगा कि उनका समाधान कैसे किया जाए।

निष्कर्ष

100 फीसदी नगदरहित समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना कभी-भी संभव नहीं होगा, लेकिन हम कम नकदी वाले समाज से शुरू कर सकते हैं और फिर अधिकांशत: नगदरहित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। अधिकांशत: नगदरहित समाज की ओर बढ़ना हमेशा लाभप्रद है। हालांकि कई जगहों पर नकदी फिर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, खासकर ज्यादातर दूर-दराज के क्षेत्रों तथा अनौपचारिक क्षेत्र में, लेकिन ये लेन-देन भी स्वचालित हो सकते हैं। आने वाली तकनीकों के साथ, ऐसे एप्लीकेशन तैयार करने संभव होंगे, जिसमें बहुत अनौपचारिक खरीद का भुगतान भी खरीददार के बैंक खाते से सीधे काट लिया जायेगा। अगर नकदी का परिसंचरण घटता है और ज्यादातर लेन-देन डिजिटल हो जाता है तो लोग अपने साथ कम नकदी रखेंगे। वित्तीय लेन-देन का डिजिटलीकरण भारत में चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रभावशाली साधन साबित हो सकता है। इससे रिकॉर्ड रखने में आसानी हो जाएगी और कर-आधार भी बढ़ेगा तथा नकदी साथ रखने की जरुरत कम रहेगी और चोरी की दर भी कम हो जाएगी। जाली मुद्रा और उसका प्रयोग समाप्त हो जाएगा और कालेधन को वैध बनाना कठिन हो जायेगा। आईटी के बुनियादी ढांचे की बड़े पैमाने पर जरुरत होगी जो कि आजादी के 70 साल बाद भी भारत के पास नहीं है। तथापि, कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि हम साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धांधली, औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन, जागरूकता अभियान और समुचित निवारण प्रणाली जैसे मुद्दों से हम कितने प्रभावशाली ढंग से निपटते हैं। ❑

विमुद्रीकरण: चुनाव पर प्रभाव

एस वाई कुरैशी

नोटबंदी के बाद राजनीतिक पार्टियां उतनी मात्रा में मतदाताओं को नकदी नहीं बांट पाएंगी। साथ ही सरकारी खजाने से लोगों को मुफ्त सामान बांटने की प्रवृत्ति को भी काबू में किया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं लेकिन इस पर बारीकी से नजर रखनी जरूरी है। विमुद्रीकरण एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है जिसका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर पड़ेगा। नकदरहित लेन-देन पारदर्शिता लाने और निगरानी रखने, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा

अभी हाल तक भारतीय राजनीति में मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए धन-बल का व्यापक उपयोग किया जाता रहा है। लोगों का मानना है कि चुनावों में जीत के लिए बस एक ही मंत्र काम करता है, वह यह कि चुनाव के एक दिन पहले लोगों के बीच पैसा और शराब बांट दीजिए और नेताओं का भविष्य रातोंरात बदल लीजिए। दरअसल वर्षों से राजनीतिक दलों ने रुपये-पैसे की चमक दिखाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का जैसे तमाशा ही बना दिया है। और इसके पुख्ता सबूत भी हैं।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2011 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुद्दूचेरी और असम में हलफनामा दायर करने वाले 576 उम्मीदवार (आकलन किए गए 3547 उम्मीदवारों में से 16 प्रतिशत) करोड़पति थे। 50 प्रतिशत उम्मीदवारों ने कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा था। क्या दूसरे राज्यों में इससे कुछ अलग स्थिति हो सकती है?

चुनाव में भ्रष्टाचार का बीज बोने से क्या होगा? इसके अंकुर से देश में भ्रष्टाचार का पौधा ही पनपेगा। जब राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार में करोड़ों खर्च करेंगे, तो सत्ता में आने के बाद हर संभव तरीके से धन कमाने की जुगत करते रहेंगे। राजनीतिज्ञों और नौकरशाही का गठजोड़ भी जारी रहेगा। जब सत्ता की दो सबसे मजबूत इकाइयां इस अपवित्र गठजोड़ का हिस्सा बनती हैं तो भ्रष्टाचार का पौधा वृक्ष बनता हुआ जीवन के हर क्षेत्र में अपनी शाखाएं फैलाता जाता है। कांस्टेबल या पटवारी जैसी निचली श्रेणी के कर्मचारी जब कहते हैं कि 'ऊपर तक देना है' तो यह साफ हो जाता है कि हमारा तंत्र भीतर से किस कदर सड़ चुका है।

चुनावों में सरकारी वित्तीयन

ऐसा नहीं है कि सभी राजनीतिक नेता चुनावों में धन के दुरुपयोग पर आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसे अनेक नेता हैं जो धन-बल और चुनावों के बीच चोली-दामन के इस साथ पर चिंता जाहिर करते हैं लेकिन इस समस्या के किसी उचित समाधान के अभाव में यह सिर्फ कोरा अफसोस बनकर रह जाता है। इस विषय पर संसद में बहस भी हुई है, समितियों का गठन भी किया गया है और चुनावों में सरकारी फंडिंग की आवाजें भी उठती रही हैं।

इस मुद्दे पर 1999 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था इसमें मनमोहन सिंह, सोमनाथ चटर्जी और कई दिग्गज नेता शामिल थे। समिति का कहना था कि चुनावों में कुछ हद तक सरकारी फंडिंग की जाए, लेकिन फंडिंग की शर्त यह थी कि पार्टियों का आंतरिक ढांचा लोकतांत्रिक हो। इस एक शर्त को कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं थी।

भारतीय चुनाव आयोग भी मतदाताओं को रिझाने की इस प्रवृत्ति से अत्यंत चिंतित है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का पदभार संभालने के समय एक पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि मेरे सामने दो चुनौतियां हैं- धन का दुरुपयोग और मतदाताओं की

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव सुधारों पर उसकी पुस्तक *एन अनडाक्यूमेंटेड वंडर : द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन* काफी चर्चित रही है। वह भारत के खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं तथा अन्य कई प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं। ईमेल: syquraishi@gmail.com

इस कदम का आने वाले चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही वह समय होता है जब कालेधन को वितरण की पाइपलाइन में लगाया जाता है। यहां तक कि सीमा पार से आने वाली नकली करेंसी का जाल भी चुनावों के दौरान खूब फैलता है। इस पर प्रधानमंत्री के इस कदम का बड़ा असर होगा।

उदासीनता। इन दो चुनौतियों से निपटने के लिए दो नई शाखाओं का गठन किया गया। दोनों को सफलताएं मिलीं। एक तरफ आयोग के अधिकारियों द्वारा शराब सहित बेहिसाब वस्तुएं और करोड़ रुपए जब्त किए गए, तो दूसरी तरफ 2014 में अब तक के सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। हमारी पहल से दो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुईं। चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के एक विधायक को अयोग्य ठहराने के बाद उसे अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और नकदी जब्त होने के बाद आयोग ने झारखंड में राज्यसभा चुनावों को रद्द कर दिया।

इसके अतिरिक्त मतदाता शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को शिक्षित किया गया और उन्हें यह समझाया गया कि वे वोटों की खरीद-फरोख्त में शामिल ना हों। वर्ष 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को *राष्ट्रीय मतदाता दिवस* मनाया जाता है जिसमें नए वोटरों, अधिकतर युवाओं को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता नामांकन कार्यक्रम है। अब तक लगभग 14 करोड़ मतदाता यह प्रतिज्ञा ले चुके हैं।

एक सक्रिय व्यय नियंत्रण प्रभाग, एक सहायक मतदाता शिक्षा विभाग और सतर्क मीडिया एवं नागरिक समाज के साथ चुनावों के लिए आचार संहिता बनाने के काम को टाला नहीं जा सकता। फिर भी, यह एक दुखद वास्तविकता है कि चुनावों में कालेधन का प्रयोग बदस्तूर जारी है।

वैसे यह भी सच है कि लोकतंत्र में धन के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता लेकिन फिर हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि धन कुछ इस हद तक सिर चढ़कर बोले कि सिर्फ अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकें और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को अपनी जेब के हवाले कर दें।

हमारे देश का कानून यह तय करता है कि उम्मीदवार चुनावों पर अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा तय नहीं है। जब राजनीतिक दलों के खर्चे की कोई सीमा तय नहीं है तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने का क्या औचित्य है? इससे वित्तीय अनुशासनहीनता के हालात भी बनते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वर्ष 2014 के आम चुनावों में प्रचार अभियानों पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये के खर्चे का अनुमान लगाया गया था।

यह धन कहां से आया है? सूत्रों का कहना है कि यह कॉर्पोरेट फंड, चंदा, कूपन और सदस्यता शुल्क की बिक्री, जमा राशि और किराए पर मिलने वाला ब्याज, राजस्व आय, सभी कुछ हो सकता है। पर चंदा किसने दिया, उस स्रोत का खुलासा नहीं किया जाता। इसमें 75 से 80 प्रतिशत राशि को नकद चंदा बताया जाता है लेकिन यह नहीं बताया जाता कि इसका स्रोत क्या है? यह एक गंभीर मामला है। यह विदेशी धन हो सकता है। अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से कमाया गया या भूमाफिया से प्राप्त किया गया पैसा हो सकता है।

कैश-फॉर-वोट किस प्रकार हमारे देश के चुनावों का हिस्सा बन चुका है, इसकी जानकारी अमेरिका के डिप्लोमैटिक केबल्स के माध्यम से विकिलीक्स द्वारा लीक की गई थी। एक केबल में तमिलनाडु के एक केंद्रीय मंत्री के एक भरोसेमंद सहयोगी के बारे में खुलासा किया गया था, जिसने यह माना था कि वर्ष 2009 के उपचुनाव में प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपए तक दिए गए थे। अपनी जीत के बाद नेताजी ने कहा था कि उनका फॉर्मूला जीत का सूत्र है। यही 'तिरूमंगलम सूत्र' हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

2014 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 300 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी। 2014 के बाद से सभी विधानसभा चुनावों में नकदी जब्ती की गई है। उदाहरण के लिए 2015 में बिहार के विधानसभा चुनावों में नकदी जब्त की गई जो 19 करोड़ रुपए थी। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए को पार कर गया।

आज जनता के मन में राजनेताओं को लेकर यही धारणा है कि वे सभी भ्रष्ट हैं। राजनेताओं की ऐसी छवि लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारे देश में ईमानदार नेताओं की कमी नहीं है। वास्तव में, महान राजनीतिक नेतृत्व के कारण ही भारत एक शक्तिशाली देश बना है।

यह अक्सर कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में कालेधन की मौजूदगी, खास तौर से रियल एस्टेट के क्षेत्र ने भारत को 2008 की विश्वव्यापी मंदी से बचाए रखा था। लेकिन भारतीय चुनावों में धन-बल के प्रयोग का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का प्रधानमंत्री का फैसला भी सही समय पर आया। जल्द ही पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जो राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार जनता को लुभाने के लिए नोटों से भरे बोरे लेकर तैयार थे, एकाएक यह सोचकर परेशान हो गए कि इन नोटों का क्या किया जाए?

मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस कदम का आने वाले चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही वह समय होता है जब कालेधन को वितरण की पाइपलाइन में लगाया जाता है। यहां तक कि सीमा पार से आने वाली जाली मुद्रा का जाल भी चुनावों

हमारे देश का कानून यह तय करता है कि उम्मीदवार चुनावों पर अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा तय नहीं है। जब राजनीतिक दलों के खर्चे की कोई सीमा तय नहीं है तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने का क्या औचित्य है? इससे वित्तीय अनुशासनहीनता के हालात भी बनते हैं।

के दौरान खूब फैलता है। इस पर प्रधानमंत्री के इस कदम का बड़ा असर होगा।

इससे पूर्व चुनाव की तारीख निकट आने पर और आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे बांटने का काम किया जाता था। जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के कान ऐंठने शुरू किए तो यह गोरखधंधा चुनावों के काफी पहले पैर पसारने लगा। इसीलिए चुनावों के कुछ हफ्ते पहले नोटबंदी की

पिछले वर्ष मई में धन के अनियंत्रित उपयोग के कारण चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की दो सीटों अरवाकुरुची और तंजावुर में चुनावों को रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि कालेधन के उपयोग पर पक्के सबूत मिलने पर चुनाव रद्द करने का स्थायी कानून बनना चाहिए।

घोषणा से राजनीतिक दलों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

अपनी किताब द *अनडॉक्यूमेंटेड वंडर- द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन* में मैंने ऐसे 40 तरीके बताए हैं जिनसे चुनावों में कालेधन के प्रवाह का पता लगाया जा सका ये तरीके और भी हो सकते हैं। लेकिन इनके विकास में समय लग सकता है। फिर भी, आने वाले चुनावों में कालेधन का असर कुछ कम हो सकता है।

जब नोटबंदी के फायदों को गिना जाए तो चुनावों से मिलने वाले सबक पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की नोटबंदी की घोषणा के कुछ ही दिन बाद मैंने एक समाचार पत्र के लेख में यह आशंका जताई थी कि इसके बाद बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के साथ एक मनी लॉन्ड्रिंग उद्योग फल-फूल सकता है। मेरी आशंका सही साबित हुई। मैंने आगाह किया था कि सरकार को दलालों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत पर नजर रखनी चाहिए। मेरी आशंका अनुभवों पर आधारित थी।

एक बार चुनाव आयोग की सतर्कता टीम ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी ले जा रही एक गाड़ी को रोका। हमें बताया गया कि यह पैसे एटीएम में भरने के लिए ले जाया जा रहा है। इसलिए हमने माफी मांगते हुए उस गाड़ी को जाने दिया। अगले दिन, एक और गाड़ी पकड़ी गई जिसमें पहले दिन से दुगुनी नकदी भरी थी। तब भी नकदी ले जाने की यही वजह बताई गई। जब तीसरे दिन हमने उसी तरह की एक और गाड़ी पकड़ी जिसमें 11 करोड़ रुपए थे तो हमने जांच करने का फैसला किया। हमने पाया कि न तो उस गाड़ी में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी था और न ही दूसरे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। मैंने रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डी. सुब्बाराव से बात की। वह यह जानकर अचंभे में पड़ गए कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका यह भी हो सकता है। फिर उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए।

पिछले वर्ष मई में धन के अनियंत्रित उपयोग के कारण चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की दो सीटों अरवाकुरुची और तंजावुर में चुनावों को रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि कालेधन के उपयोग पर पक्के सबूत मिलने पर चुनाव रद्द करने का स्थायी कानून बनना चाहिए। हालांकि कानून मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कालेधन के खिलाफ अपनी जंग में इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

भाजपा के आर्थिक मामलों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा था कि नोटबंदी कम से कम इन चुनावों में तो कालेधन के प्रयोग को नियंत्रित करेगी। उन्होंने कहा था, 'अब तक राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव बनाया जाता है कि वे चुनावी खर्चे का लेखा-जोखा दें लेकिन इस कालेधन के चलन पर कोई प्रभावी नियम लागू नहीं है। नोटबंदी से पार्टियां कालेधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगी और चुनावी खर्च अपने आप कम हो जाएगा।' लेकिन ये दावे तभी सही साबित होंगे जब चुनाव सुधारों को अविलंब लागू किया जाए।

इलेक्शन वॉचडॉग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) के डॉ. त्रिलोचन शास्त्री का कहना है कि नोटबंदी के बाद राजनीतिक पार्टियां उतनी मात्रा में मतदाताओं को नकदी नहीं बांट पाएंगी। साथ ही सरकारी खजाने से लोगों को मुफ्त सामान बांटने की प्रवृत्ति को भी काबू में किया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं लेकिन इस पर बारीकी से नजर रखनी जरूरी है।

नोटबंदी और उसके बाद के घटनाक्रम का चुनाव सुधारों पर भी असर पड़ा है जो संभवत: इस पहल का उद्देश्य नहीं था। जब नोटबंदी ने लॉजिस्टिक चुनौतियां पेश कीं, तब सरकार ने ई-बैंकिंग, ई-वॉलेट आदि को बढ़ावा देना शुरू किया। यह नई मुहिम सभी की जुबान पर चढ़ गई। कालेधन की अर्थव्यवस्था को काबू में करने के लिए यह भी एक सकारात्मक पहल है जब एक रिक्शा चालक या सब्जी बेचने वाले को नकद लेन-देन से रोका गया। निश्चित तौर पर इससे मजबूत बैंकिंग प्रणाली की स्थापना होगी और वित्तीय समावेश बढ़ेगा।

बहरहाल यह मांग भी की गई कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से नीचे के चंदे की छूट को तुरंत समाप्त किया जाए। इससे 80 प्रतिशत राजनीतिक फंडिंग का खुलासा हो जाएगा जिसे पार्टियां चंदा बताती हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में हर वर्ष औसतन 1000 करोड़ रुपए के बराबर राजनीतिक चंदा इकट्ठा होता है।

प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के सांसदों विधायकों को यह भी निर्देश दिया कि वे 8 नवंबर के बाद अपने सभी बैंक लेन-देन का खुलासा करें। इस पर कई सवाल खड़े किए गए लेकिन मेरा मानना है कि इसकी आलोचना करने और अपने सुझाव देने से

बहरहाल यह मांग भी की गई कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से नीचे के चंदे की छूट को तुरंत समाप्त किया जाए। इससे 80 प्रतिशत राजनीतिक फंडिंग का खुलासा हो जाएगा जिसे पार्टियां चंदा बताती हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में हर वर्ष औसतन 1000 करोड़ रुपए के बराबर राजनीतिक चंदा इकट्ठा होता है।

बेहतर यह होगा कि हम प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत करें। क्या राजनेताओं की वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम नहीं कहा जाना चाहिए? सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वह है बेनामी संपत्ति से जुड़ा कानून। इसका भी चुनावों में कालेधन के प्रयोग पर बड़ा असर पड़ेगा जोकि गैर-कानूनी फंडिंग का एक बड़ा स्रोत है।

विमुद्रीकरण एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है जिसका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर पड़ेगा। नकदरहित लेन-देन पारदर्शिता लाने और निगरानी रखने, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि चुनाव सुधारों को जल्द लागू किया जा सकेगा। ❑

सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की विश्वसनीय संस्था

IAS

आस्था IAS

PCS

कक्षा के साथ भी, कक्षा के बाद भी आपके साथ

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक एवं फाउंडेशन पाठ्यक्रम)

वैकल्पिक विषय : इतिहास, ऊर्दू, भूगोल, समाजशास्त्र, LSW एवं अन्य

R. Kumar

विख्यात विशेषज्ञों के साथ न्यूनतम शुल्क पर कोचिंग सुविधा

आर. कुमार, राजीव रंजन सिंह, पंकज मिश्रा, सुबोध मिश्रा, राजेश कुमार, डा. संजय सिंह, अनिल सिंह, डा. एस.आर. सिंह, आर.के. पाण्डेय एवं अन्य ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ.....

जीवंत पत्राचार पाठ्यक्रम

शुल्क 6500/-

कक्षा प्रारम्भ

IAS प्रारम्भिक परीक्षा **15 Feb.**

BPSC & JPSC मुख्य परीक्षा **16 Feb.**

Online सुविधा (aasthaias App)

• Video Class, Online Pre., Mains Test • अध्ययन सामग्री...

www.aasthaias.in | Google app : aasthaias | विस्तृत विवरण के लिए संपर्क करें....

M-1A Jyoti Bhawan, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

9810664003, 8800233080

कालाधन पर कारगर अंकुश

रोहित देव झा

नि:संदेह किसी भी अर्थव्यवस्था में से कालेधन को पूर्णरूप से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में नगदी में लेन-देन कम करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ईमानदार नौकरशाही, जागरूक नागरिक, ठोस कानून व्यवस्था, नैतिक सामाजिक तंत्र इत्यादि का निर्माण कर कालेधन के खिलाफ छिड़ी मुहीम को अपने अंजाम तक ले जाने की जरूरत है

विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग और प्रयास है। जहां एक ओर इतने बड़े स्तर पर विमुद्रीकरण की कोई मिसाल मिलना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर इसके परिणाम या दुष्परिणाम भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। प्रयास इसलिए क्योंकि अपेक्षित सफलता भी सुनिश्चित नहीं हैं। इस प्रयास के अनेकों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ गिनवाये गए। जहां सबसे महत्वपूर्ण लाभ आर्थिक दृष्टि से हैं, जैसे कालेधन को मुख्यधारा में लाना और उस पर आयकर लगाना, मुद्रास्फीति की दर को काम करना, राजकोषीय घाटे की दर को कम करना। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नकली नोटों को खत्म करना और साथ-साथ आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाना तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, इत्यादि। इस प्रयास की सफलता-असफलता का समग्र विश्लेषण तो केवल आने वाले दिनों में ही किया जा सकता है, लेकिन एक कमनगद अर्थतंत्र, कालेधन को किस तरह प्रभावित करता है, इस पर तो चर्चा की जा सकती है।

यहां दो मुख्य बिन्दु हैं कमनगद अर्थव्यवस्था और कालाधन। मुद्रा व्यवस्था किसी भी आधुनिक अर्थतंत्र की रीढ़ होती है, सभी प्रकार का कारोबार, व्यवसाय या किसी भी प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप का आधार अर्थव्यवस्था प्रचलित मुद्रा ही होती है। इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हुए भी मुद्रा व्यवस्था की कुछ सीमाएं और कुछ विसंगतियां होती हैं।

इन सभी विसंगतियों में सबसे प्रमुख है नगदी विनिमय, जो कालेधन का मुख्य स्रोत है।

क्या है कालाधन

कालाधन भी आर्थिक क्रियाकलापों से ही सृजित होता है। यह ऐसा अर्जित धन होता है। जिसे सरकारी तंत्र से छुपा कर रखा जाता है ताकि इस पर आयकर अदा नहीं करना पड़े। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के अनुसार, कालाधन वह आय होती है, जिस पर कर की देनदारी होती है, लेकिन उसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी जाती है। कालाधन का स्रोत कानूनी और गैर-कानूनी दोनों हो सकता है। आपराधिक गतिविधियां जैसे अपहरण, तस्करी, जानवरों का अवैध शिकार, ड्रग्स, अवैध खनन, घोटाले, कर्मचारियों की रिश्वतखोरी, निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा की गई जालसाजी इत्यादि के माध्यम से अर्जित धन कालाधन कहलाता है। ये तरीके गैर कानूनी हैं। इस प्रकार से अर्जित धन पर आयकर की चोरी के अलावा अन्य भारतीय वैधानिक अधिनियम जैसे- भारतीय दंड संहिता, धनशोधन निषेध अधिनियम बेनामी संपत्ति अधिनियम इत्यादि की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

वहीं दूसरी ओर वैध तरीकों से अर्जित धन भी कालेधन की श्रेणी में आ सकता है, अगर उस पर सरकार द्वारा सुनिश्चित आयकर अदा नहीं किया गया हो। जैसे

लेखक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं और समसामयिक विषयों पर अपने विचार अपने ब्लॉग के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आलेख में प्रस्तुत निष्कर्ष व विचार उनके निजी विचार हैं जो आयकर विभाग के अन्वेषण विंग के उनके अनुभवों पर आधारित हैं। ईमेल: arohi.rohit@gmail.com

अगर कोई व्यक्ति अपना घर किराये पर लगता है और उससे आय अर्जित करता है, लेकिन उस आय को वह आयकर रिटर्न में नहीं दिखलाता है, तब यह धन कालाधन कहलाता है। यहां आय अर्जित करने का तरीका वैध है, लेकिन इस पर कर अदा नहीं किया गया, अत: यह धन, कालेधन में तब्दील हो गया। भविष्य में जब इसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलेगी, तब इस पर कर के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आयकर विभाग, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मुकदमा भी चला सकता है।

आयकर नियमों का उल्लंघन

देश में इतने सारे नियम-अधिनियम के बावजूद यह बहुत ही दु:खद और आश्चर्यजनक तथ्य है कि 132 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल 5.5 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं, दुनिया के सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राष्ट्र में सुमार भारत में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात मात्र 16:6 है। जिस देश में मात्र 24 लाख लोग 10 लाख रुपये से ऊपर की आय दिखाते हैं, वह देश समृद्धशाली कैसे बन सकता है? एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 5 वर्षों से भारत में प्रति वर्ष 25 लाख नई कारें खरीदी जाती हैं, जिसमें से लगभग 35,000 लक्जरी कारें होती हैं। आयकर आंकड़ों के अनुसार, केवल 48,417 करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2014-15 में 01 करोड़ रूपये या अधिक की आय पर कर दिया है। फिर भी हर साल भारत में बीएमडब्ल्यू, जगुआर, ऑडी, मर्सडीज, पोर्श और मसेराटी जैसी 35,000 लक्जरी कारें बेची जाती हैं।

करवंचना के अनेक रास्ते

सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे लोग आयकर नियमों का उल्लंघन करके कैसे बच जाते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है नगद लेन-देन, जिसकी जानकारी बहुत आसानी से छुपाई जा सकती है। *प्राइस वाटर हाउस कूपर्स* ने 2015 में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में मूल्य के आधार पर 98 प्रतिशत और मात्रा के आधार पर 68 प्रतिशत लेन-देन उपभोक्ता नकद में करते हैं, जो तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं, जैसा कि चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि से काफी अधिक है। असंगठित के अलावा संगठित क्षेत्र में भी अधिकतर आर्थिक क्रियाकलाप बैंकिंग प्रणाली से बाहर समानांतर व्यवस्था के द्वारा किए जाते हैं, ताकि इसका कोई निशान न रह जाये ताकि कानून लागू करने वाली संस्था इस लेन-देन को पकड़ न पाए। हवाला माध्यम से देश और विदेश में रुपये भेजने का तरीका भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी खोज है।

भारत में अनगिनत लोग इस तरह के काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। केवल सरकारी और बड़े औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर तमाम नौकरियों में वेतन नकद में दिया जाता है। मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र में लोगों को आयकर का डर दिखाकर वेतन नकद में दिया जाता है, बावजूद इसके कि उनका वार्षिक वेतन आयकर छूट की सीमा के अंदर होता है। दिल्ली में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मी या वाहन चालक या घरेलू काम करने वाली महिलाएं, सामान्यत: किसी निजी संस्था के माध्यम से नियुक्त किये जाते हैं, अत: उनका वेतन भी उन्हीं निजी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। सेवा लेने वाली संस्था न्यूनतम निर्धारित वेतनमान से ऊपर वेतन देती है, जो कि लगभग 15,000-16,000 रुपये के आसपास होता है, लेकिन मध्यस्थ निजी संस्था अपना कमीशन तो सेवा लेने वाली संस्था से लेती ही है, उसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन का एक बड़ा हिस्सा भी रख लेती है, ये संस्था कर्मचारी को मात्र 8,000-10,000 रुपये देती हैं और उनसे पूरे वेतन पर हस्ताक्षर करवा लेती हैं। बाकि 5,000-6,000 रुपये अनौपचारिक रूप से मध्यस्थ संस्था द्वारा हजम कर लिया जाता है। ये सफेद रुपये हमेशा-हमेशा के लिए मुख्यधारा से निकलकर कालाधन बन जाते हैं। अब यही कालधन, इन संस्थाओं द्वारा अगले साल वापस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए घूस के तौर पर सेवा लेने वाली संस्थानों के अधिकारियों को दिया जाता है।

अगर इस तरह का कोई कानून बने जो आपके नगद रखने की क्षमता को ही नियंत्रित करे तो शायद लोगों की इस तरह से नगद में अदा करने की क्षमता कम होगी और फिर जो लोग ईमानदारी से धन कमाते हैं उन्हें अपना सफेद पैसा काला करवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसी दिशा में 23 जून, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने *भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली-विजन 2018* को प्रकाशित किया।

यह हैरानी का विषय है कि 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद आभूषण विक्रेताओं ने 12 बजे रात तक अपने बही-खाते में हजारों बिल काटे और ये सभी बिल 2 लाख रूपये से कम के थे, ताकि पैन नंबर देने की जरुरत न पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के चांदनी चौक बाजार का एक आभूषण विक्रेता ने 8 तारीख को 12 बजे रात तक 4500 से ऊपर बिल काटे थे। इस तरह कई हजार करोड़ के आभूषण उस रात बिके और उसके लेनदारों का पता आयकर वाले लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बिल पर ग्राहकों का नाम व पता लिखा ही नहीं है। वहीं अगर खरीदारी के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग होता तो खरीददारों के बारे में पता लगाया जा सकता है।

कानूनों का दुरुपयोग

सामान्य परिस्थिति में भी लोग कानून का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि कर चोरी की जा सके, जैसा कि बैंक में 50,000 रुपये से कम की राशि को कई बार जमा करना ताकि पैन कार्ड की जरुरत न पड़े, महंगे से महंगे गहने भी 2-2 लाख रूपये से कम का बिल बना कर खरीदे जाते हैं। दुपहिया वाहनों की खरीददारी मुख्य रूप से नकदी में होती है। चार पहिये की गाड़ी खरीदने के लिए लोगों ने एक अनूठा तरीका निकाल रखा है जिससे आयकर विभाग के नोटिस से बचा जा सके, लोग कार खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं और फिर बैंक में ईएमआई भरने के लिए अपने खाते में हर महीने नकद जमा करा देते हैं।

गांव से शहरों तक लोग मकान के किराये

से अर्जित आय को या तो दिखाते नहीं है या काफी कम करके आयकर रिटर्न में दिखाते हैं, किरायेदार से किराया नगद में लिया जाता है ताकि उसका कोई सबूत नहीं रहे। दिल्ली-मुम्बई जैसे शहरों में संपत्ति का व्यवसाय काफी लाभ वाला व्यवसाय माना जाता है, संपत्ति कारोबार अपना कमीशन नगदी में ही लेते हैं ताकि आयकर से बचा जा सके।

वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जहां प्रति विनिमय मूल्य काफी काम होता है, वहां कर चोरी का शक पैदा नहीं होता है, जैसे कि मुम्बई में एक बड़ा पाव की कीमत 10-15 रूपये होती है, लेकिन वहां विनिमय की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रतिदिन की बिक्री लाखों में होती है। ये दुकानदार हमेशा ही अपने आपको कर प्रणाली से बाहर रखते हैं और बाद में आयकर कार्रवाई के दौरान कालेधन का पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने दिल्ली के बहुत बड़े होटल समूह की जांच शुरू की और पाया कि जहां डेबिट/क्रेडिट कार्ड बिक्री में कोई जोड़-तोड़ नहीं किया गया था, लेकिन नकद बिक्री को 50-60 प्रतिशत कम करके आयकर रिटर्न भरा गया था। यहां तक कि दिल्ली जैसे शहर में भी होटल में डेबिट/क्रेडिट कार्ड बिक्री मुश्किल से 30 प्रतिशत के आसपास होती है।

सुधार के प्रयास

कालेधन पर गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति ने अपने जांच में पाया कि शिक्षा और रियल एस्टेट का क्षेत्र कालेधन के प्रमुख स्रोतों में से हैं। दिल्ली सहित सभी शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र में संपत्ति खरीदने के लिए कुल तय कीमत का मात्र 30-40 प्रतिशत हिस्सा ही बैंकिंग के माध्यम से अदा किया जाता है और शेष नकदी के तौर पर। विक्रय विलेख (सेल डीड) पर उतनी ही कीमत लिखी जाती है जो प्रॉपर्टी का सर्किल रेट होता है, उतना ही रुपया बैंकिंग प्रणाली से अदा किया जाता है। इससे बेचने वाले अपना दीर्घकालिक पूंजी लाभ कम कर पाते हैं और इस तरह उसे कम दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स) अदा करना पड़ता है। अगर इस तरह का कोई कानून बने जो आपके नगद रखने की क्षमता को ही नियंत्रित करे तो शायद लोगों की इस तरह से नगद में अदा करने की क्षमता कम होगी और फिर जो लोग ईमानदारी से धन कमाते हैं उन्हें अपना सफेद पैसा काला करवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसी दिशा में 23 जून, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने *भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली- विजन 2018* को प्रकाशित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी वर्गों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर एक *कम-नगद* समाज का निर्माण करना।

भारत में अक्तूबर, 2016 तक 104 करोड़ डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे और भारत में 2.1 लाख एटीएम और 12 लाख पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल हैं। फिर भी 88-90 प्रतिशत डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेन-देन एटीएम के द्वारा होता है वहीं मात्र 10-12 प्रतिशत लेन-देन पीओएस टर्मिनल पर होता है। यह हम भारतीयों की नगद से प्रेम को दर्शाता है।

साधारणतया ऐसा देखा गया है कि जिस देश की भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थिति बेहतर है उन देशों में नकदी लेन-देन 10 प्रतिशत से भी कम है। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इत्यादि ऐसे देश हैं जो *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के सूचकांक में कम भ्रष्ट राष्ट्रों में गिने जाते हैं, वहीं इन देशों में नगद लेन-देन, कुल लेन-देन के 10 प्रतिशत से भी काम होता है।

इस तरह से देखा जा सकता है कि देश में मुख्यधारा अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एक समानांतर अर्थव्यवस्था भी चल रही है जो संभवत: मुख्यधारा अर्थव्यवस्था से बड़ी है और ये समानांतर अर्थव्यवस्था कर प्रणाली से हमेशा बच निकलती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि जहां सरकार के पास लाभकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धनराशि की कमी रहती है, वहीं ईमानदार करदाता पर कर एक बोझ सा दिखता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि सरकार कभी भी अपने नागरिकों की वित्तीय स्थिति के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाती जिसके कारण सरकारी लाभ योग्य लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह कालाधन न सिर्फ वित्तीय समावेशन में एक बड़ा बाधक है, बल्कि समावेशी विकास के रास्ते में भी एक प्रमुख समस्या के रूप में है।

कालाधन व भ्रष्टाचार: चोली-दामन का साथ

कालाधन न सिर्फ इसलिए गलत है, क्योंकि इस पर कर की चोरी की जाती है बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। यहां स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रष्टाचार और कालेधन में अंतर है। कालाधन जहां वैसे धन को कहा जाता है जिस पर आयकर नियमों के तहत कर अदायगी नहीं की गयी हो, वहीं दूसरी ओर आमतौर पर सरकारी सत्ता और संसाधनों के निजी फायदे के लिए किये जाने वाले बेजा इस्तेमाल को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। प्रथम दृष्टि भ्रष्टाचार और कालाधन भले ही एक-दूसरे से अलग दिखें, लेकिन ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां एक ओर भ्रष्टाचार से कमाया गए धन को सामान्यतया पकड़े जाने के डर से मुख्यधारा में नहीं लाया जाता है। अत: इन पर आयकर भी नहीं दिया जाता जिसके कारण ये कालेधन की श्रेणी में भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कालेधन का उपयोग सरकारी तंत्रों की कमजोर कड़ी को भ्रष्ट करने के लिए किया जाता है।

कमनगद समाज ही कम भ्रष्ट

भ्रष्टाचार के लिए नकद और सुविधाओं (कैश और काइंड) का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात अपना काम करवाने के लिए लोग मजबूरन या आदतन सरकारी महकमें को घूस देते हैं। सामान्यत: इस प्रकार का गैर-कानूनी लेन-देन नकदी में होता है, क्योंकि रुपये को छुपाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सबसे आसान होता है। नगद में किए गए लेन-देन का कैश ट्रेल पकड़ना भी मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर बैंकिंग माध्यम से किया गया लेन-देन बहुस्तरीय के लेन-देन (मल्टी-लेयर विनिमय) के बाद भी पकड़ा जा सकता है। यही कारण है कि नगद

लेन-देन कालेधन को बढ़ावा देता है। स्पष्ट तौर पर जिस अर्थतंत्र में नकदी जितनी अधिक होगी वहां घूस देना उतना आसान होगा। यही कारण है कि *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के भ्रष्टाचार सूचकांक में जो राष्ट्र सबसे कम भ्रष्ट श्रेणी में गिने जाते हैं, वो ऐसे राष्ट्र हैं, जहां नकदी में लेन-देन सबसे कम होता है। साधारणतया ऐसा देखा गया है कि जिस देश की भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थिति बेहतर है उन देशों में नकदी लेन-देन 10 प्रतिशत से भी कम है। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इत्यादि ऐसे देश हैं जो *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के सूचकांक में कम भ्रष्ट राष्ट्रों में गिने जाते हैं, वहीं इन देशों में नगद लेन-देन, कुल लेन-देन के 10 प्रतिशत से भी काम होता है।

आसान नहीं राह

फिर प्रश्न उठता है, क्या केवल नकदी कम हो जाने से कालाधन पूर्णरूप से खत्म हो जायेगा? शायद नहीं। कालाधन बैंकिंग प्रणाली से भी अर्जित किया जाता है। वास्तव में बड़े स्तर पर जो कर-चोरी होती है। उसे बाद में बहुस्तरीय विनिमय के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लाया जाता है। आयकर इतिहास में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर घोटाला भी एक ऐसा ही उदाहरण है। लोग परिवार में आय विभाजन (एक सदस्य के द्वारा कमायी गयी आय घर के सदस्यों के बीच में इस तरह बांट कर दिखाया कि न्यूनतम कर अदा करना पड़े) कर के भी कर की चोरी करते हैं। लेकिन कम से कम ये घोषित आय तो होती है। सामान्य व्यावसाय में कर चोरी करने के कई और तरीकों में से एक तरीका है कागज पर कीमत अदा करने का वादा करके भविष्य में प्रतिपूर्ति लेन-देन के दौरान वो कागज वापस ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 'क' ने 'ख' से आज कुछ लिया और कीमत देने के बदले उसे एक कागज पर भविष्य में अदा करने का वचन लिख कर दे दिया और भविष्य में 'ख' ने 'ग' से कुछ लिया और उसने 'ग' को अपने पास रखा 'क' वाला कागज दे दिया, कुछ दिनों बाद 'ग' ने 'क' से कुछ लिया और 'ख' से प्राप्त 'क' वाला कागज वापस 'क' को लौट दिया। इस तरह के वृतीय व्यावसाय में 3 बार विनिमय होने के बावजूद कोई पैसे का लेन-देन नहीं होता और न ही विनिमय पर कोई कर ही अदा की जाती। इसी तरह से कई और भी तरीके से लोग कर की चोरी करते हैं।

नि:संदेह किसी भी अर्थव्यवस्था में से कालेधन को पूर्णरूप से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में नगदी में लेन-देन कम करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ईमानदार नौकरशाही, जागरूक नागरिक, ठोस कानून व्यवस्था, नैतिक सामाजिक तंत्र इत्यादि का निर्माण कर कालेधन के खिलाफ छिड़ी मुहीम को अपने अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। ❑

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा –

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

साइबर सुरक्षाः मुद्दे व भावी राजनीति

बी एम मेहत्रे

कमनगद अर्थव्यवस्था में साइबर अपराधों का खतरा चिंता का प्रमुख कारण है। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर काफी सजग है। साइबर हमले से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए है, ताकि डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाया जा सके। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है

तकनीक की बदौलत आधुनिक समाज को कई सहूलियतें मिली हैं। इसका एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि '*कहीं भी, कभी भी*' की आदर्श स्थिति पैदा होती है। आप अपने साथ कहीं भी, कभी एक साइबर दुनिया लेकर चल सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर आप ऑनलाइन टिकट खरीदने, बिल भुगतान करने के साथ ऑनलाइन चीजें भी खरीद सकते हैं। आप इस तरह के कारोबारी लेन-देन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इस तरह पहला ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम है, जिसकी शुरुआत 2001 में हैदराबाद में हुई थी। इसके साथ ही ऑनलाइन लेन-देन की व्यवस्था तैयार की गई, जिसके बाद बिजली-पानी के बिल का भुगतान घर बैठे होने लगा।

ऑनलाइन की इस व्यवस्था में आंध्रा बैंक, एचएमडब्ल्यूएसएसबी, जल बोर्ड, आईडीआरबीटी और सीएमसी लिमिटेड शामिल थी। इस भुगतान की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। सबसे पहले आंध्रा बैंक ने किसी स्थानीय खाताधारक को ई-चेक जारी किया। दूसरी तरफ जल बोर्ड ने अपना बिल पेश किया और आंध्रा बैंक के सहयोग से स्थानीय खाताधारक के खाते से रकम निकलकर जल बोर्ड के खाते में आ गई। इस तरह घर बैठे पानी के बिल का भुगतान हो गया।

सुरक्षित जानकारी का मकसद सूचना की गोपनीयता, समग्रता और उसकी उपलब्धता है। इन तीनों मानकों को सुरक्षा सेवा या सुरक्षा लक्ष्य कहते हैं। सुरक्षा से जुड़े दूसरे उद्देश्यों में खबर की सच्चाई, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हैं।

यह प्रणाली चित्र 1 में दिखाई गई है।

साइबर सुरक्षा, एक प्रकिया और तकनीक या सुरक्षा से जुड़े मकसदों को हासिल करने का एक तरीका है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, सिस्टम्स सुरक्षा, इंटरनेट सुरक्षा के लिए कई टर्म का इस्तेमाल होता है।

चित्र 1: सूचना सुरक्षा लक्ष्य के विभिन्न पक्ष

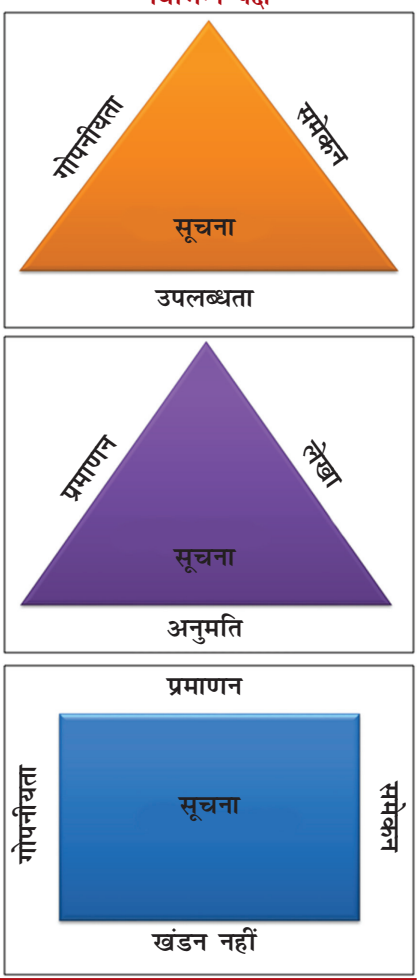

लेखक बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान के साइबर सुरक्षा केंद्र में प्रोफेसर है। साइबर सुरक्षा डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर प्रतिरक्षा के मामलों में विशेष रूचि रखते हैं। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन तकनीक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईमेलः bmmehtre@idrbt.ac.in

चित्र 2: सुरक्षित लॉग इन (ताले का चिह्न हरे रंग में)

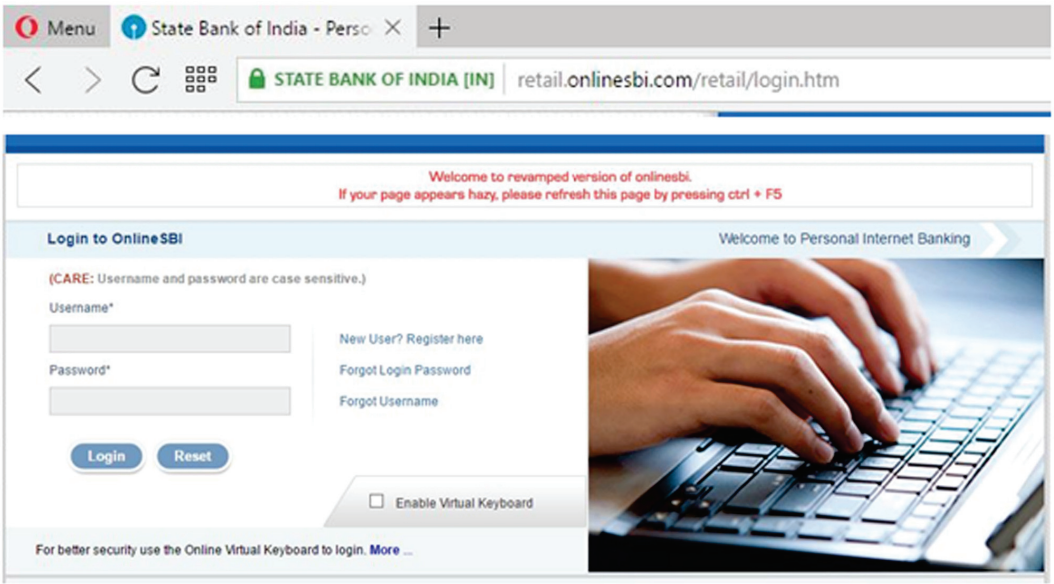

ऑनलाइन बैंकिंग को एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। ग्राहक के खाते का ब्योरा जैसे नाम, पता, बैंक बैलेंस और लेन-देन जैसी जानकारियां किसी भी बैंक के लिए उसके ग्राहकों के लिहाज से काफी अहम हैं। इस तरह की जानकारियों को सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। ऐसी सूचनाओं की जानकारी सिर्फ बैंक के अधिकृत अधिकारियों या कर्मचारियों और ग्राहक को ही होनी चाहिए।

अगर ये सूचनाएं लीक होती हैं, तो इसे सुरक्षा भंग मानी जाती है। ठीक इसी तरह ग्राहक और बैंक के बीच का संचार भी सुरक्षित रहना चाहिए। ग्राहक जो संदेश बैंक को देते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए।

सूचनाओं की गोपनीयता को कूटलेखन के जरिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। यह एक कूटलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे गणितीय तरीके से लिखा जाता है। इस संदेश को कूटलेखन के जरिए ही हासिल किया जाता है।

'उपलब्धता' सर्विस के जरिए ग्राहक सूचनाओं को कभी भी, कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुरक्षित प्रणाली का एक अहम हिस्सा है।

'साइबर कैफे में किसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए एक वैध उपयोगकर्त्ता का नाम और एक पासवर्ड की जरूरत होगी। पंजीकरण या नामाकंन के जरिए पहली बार यूजर नेम बनाया जाता है।

एक बार पंजीकरण होने के बाद उपयोगकर्त्ता अपने आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। आज इंटरनेट पर उपलब्ध ज्यादातर एप्लिकेशंस, वेब एप्लिकेशंस है। इस तरह के सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए एक सुरक्षित (एनक्रिप्टेड) प्रणाली की जरूरत होती है।

चित्र 2 में सुरक्षित लॉग-इन साइट दिखाई गई है। ध्यान दीजिए इसके यूआरएल में बैंक के नाम के साथ बंद ताले का निशान होगा। यह इस बात का संकेत है कि आप एक सुरक्षित सिस्टम में लॉग-इन कर रहे हैं।

किसी सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। पासवर्ड यानि किसी ताले की चाबी। जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा, वही अपने एकाउंट में लॉग-इन कर सकता है। आपको अपना पासवर्ड सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। कई बार लोग आपका पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग साइबर अपराधी होते हैं और इन्हें हैकर्स कहते हैं।

हैकर्स पासवर्ड चुराने के कई तरीके आजमाते हैं। इसमें सबसे आसान है कि आपके पास कोई मेल आएगी, जिसमें लिखा होगा कि आपकी 30 मिलियन डॉलर की लॉटरी लगी है। ऐसे मेल संदेहास्पद उपयोगकर्त्ता की तरफ से आते हैं। अगर आप इस तरह की ईमेल का जवाब देते हैं तो वे आपको लुभाकर बैंक एकाउंट से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं या आपसे कुछ रकम पंजीकरण फीस के तौर पर मांगते हैं। ऑनलाइन उपयोगकर्त्ताओं को इस तरह फंसाने की कोशिशों को *फीशिंग* कहते हैं।

चित्र 3: बहुस्तरीय साइबर सुरक्षा संरचनाएं

चित्र 4: सुरक्षा प्रबंधन व प्रशासन

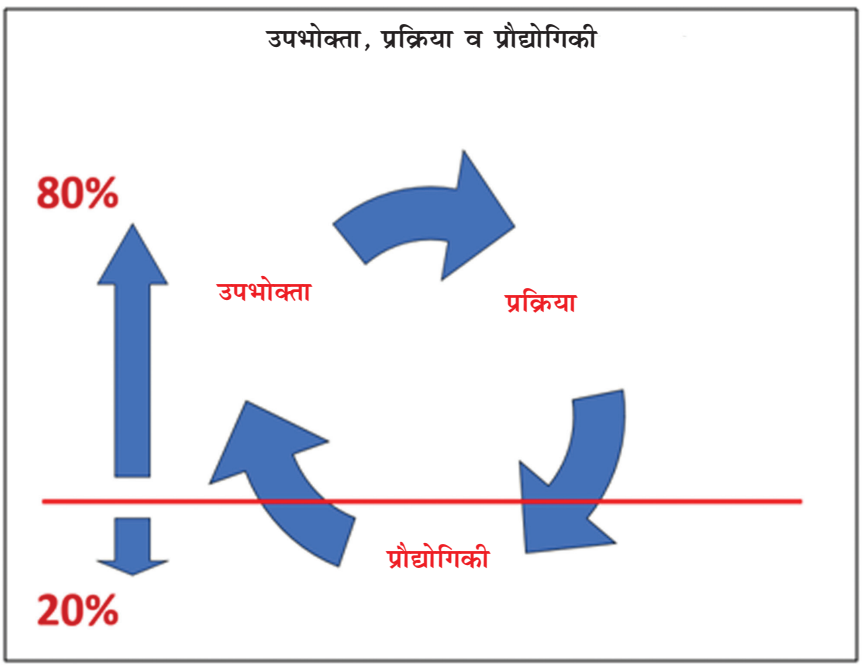

आपका पासवर्ड चुराने की दूसरी तरह की कोशिशों में हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग, स्कैनिंग और कमजोरियों को खोजकर उसका फायदा उठाते हैं। पासवर्ड चुराने के इस तरीके को साइबर अटैक्स कहते हैं।

साइबर अटैक्स से बचने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। बड़े संस्थानों को लिए साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना पड़ता है, जो उन्हें इस तरह के हमलों से सचेत करते हैं।

सामान्य तौर पर सुरक्षा की कई परतें होती हैं। डेटा, एप्लिकेशंस, होस्ट्स, नेटवर्क और इंफ्रास्टक्चर की सुरक्षा के लिए एक टीम नियुक्त की जाती है। तस्वीर नंबर 3 में यह दर्शाया गया है।

साइबर सुरक्षा का प्रबंधन 'उपभोक्ता, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी' की प्रणाली के जरिए होता है। जैसा कि तस्वीर नंबर 4 में दिखाया गया है। सुरक्षा में प्रौद्योगिकी से ज्यादा उस प्रक्रिया से जुड़े प्रौद्योगिकी का योगदान होता है। प्रौद्योगिकी को जिस तरह लागू किया जाता है वह उसी तरह काम करती है, लेकिन इंसानी बर्ताव अलग-अलग समय पर अलग होता है। यह संस्कृति में बदलाव के साथ व्यक्ति की प्रक्रिया और प्रबंध पर निर्भर करता है।

साइबर सुरक्षा, कौशल पर आधारित तकनीक है और इसमें अवसंरचना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और एप्लिकेशन शामिल हैं। इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए तैयार किया गया है।

आने वाले साल में इस क्षेत्र में युवा इंजीनियरों को नौकरी के तमाम मौके मिलेंगे। यहां तक कि दुनिया भर में ऐसे मौके हैं क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट पर निर्भर है और इसकी सुरक्षा के लिए लोगों की भी जरूरत होती है।

पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए सुझाव

- यह 8 से 10 कैरेक्टर होना चाहिए, इसमें अल्फाबेट्स और अंक रहे तो बेहतर है।
- इसमें लोअर केस और अपर केस का समन्वय होना चाहिए।
- पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर जरूर डालें।
- बहुभाषीय पासवर्ड डालें, जिन्हें पता कर पाना मुश्किल होता है।
- कुछ दिनों के अंतराल पर पासवर्ड बदलते रहें।
- पासवर्ड में नाम, पता, जन्मदिन आदि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।
- शब्दकोष के शब्दों का इस्तेमाल न करें।

उपाय

सुरक्षा के उपाय: (डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स):

- लगातार अपडेट करते रहें।
- पासवर्ड
- आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड्स करें
- एडमिनिस्ट्रेटर्स
- ऑफ करें
- एनक्रिप्ट
- यूएसबी ड्राइव इस्तेमाल करते हुए सावधान रहें।
- ऑनलाइन बैंकिंग जैसे काम अपने कंप्यूटर से करें।
- बैकअप लेते रहें।
- सोशल नेटवर्कस और मीडिया पर शेयर करने से पहले सोचें।

संस्था, सिस्टम, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए सुरक्षा के उपाय:

- प्रबंधन को सुरक्षा पॉलिसी लाने की जरूरत।
- यह तय करें कि सुरक्षा पॉलिसी ऐसी हो जिसे सभी कर्मचारी समझ सकें।
- समय-समय पर अपने उपायों की जांच करें।
- नियमित तौर पर सुरक्षा पैच का इस्तेमाल करें।
- सिस्टम का बैकअप लेते रहे और उसे चेक करते रहें।
- अलग-अलग शिफ्ट के लिए सटीक पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
- www.idrbt.ac.in साइट पर साइबर सुरक्षा जांच सूची आईडीआरबीटी जुलाई 2016 को पढ़ें।

अंत में साइबर सुरक्षा के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराती है। यह ऑनलाइन बैंकिंग और मौजूदा नगदरहित अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम है। साइबर सुरक्षा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां युवा इंजीनियर अपना करियर बना सकते हैं। ❑

संदर्भ

- एनएन मूर्ति, बीएम मेहत्रे, केपीआर राव, जीएसआर रमन, पीकेबी हरिगोपाल और केएस बाबू : टेक्नोलॉजीज फॉर ईकॉमर्स: एन ओवरव्यू इंफॉरमैटिका 2001
- साइबर सुरक्षा चेक लिस्ट, आईडीआरबीटी डॉक्यूमेंट जुलाई 2016
- https://idrbtAacAin/assets/publications/Best%20Practices/CSCL_FinalApdf

Mc Graw Hill Education

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

UPSC सिविल सेवा परीक्षा

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 595/-

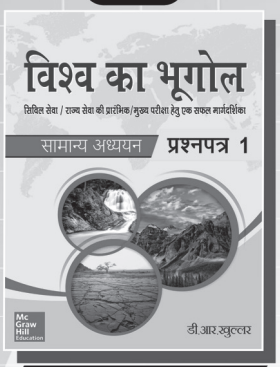

ISBN: 9789352602452

₹ 395/-

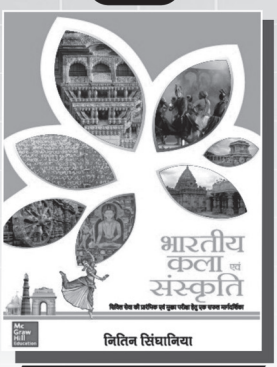

ISBN: 9789352602308

₹ 395/-

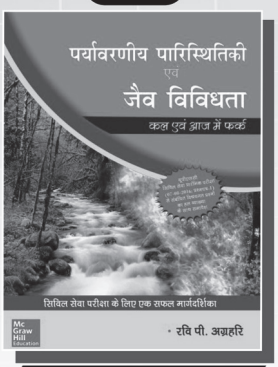

ISBN: 9789352602322

₹ 295/-

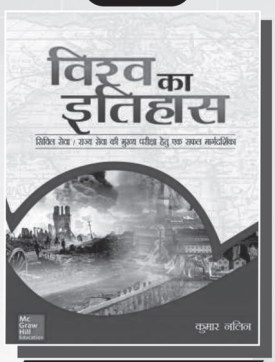

ISBN: 9789352602292

₹ 350/-

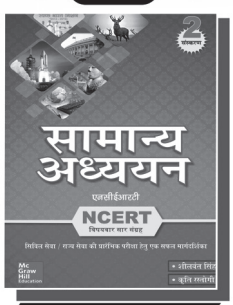

ISBN: 9789352602339

₹ 485/-

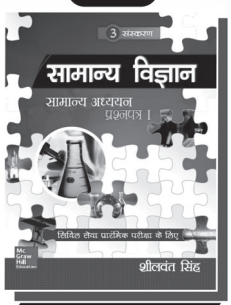

ISBN: 9789385965951

₹ 625/-

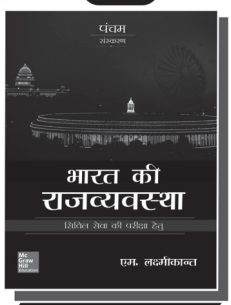

ISBN: 9789352603862

₹ 615/-

ISBN: 9789352602285

राज्य सिविल सेवा परीक्षा हेतु बहुपयोगी पुस्तकें

शीघ्र प्रकाशित

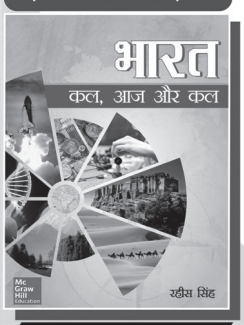

ISBN: 9789352604708

₹ 725/-

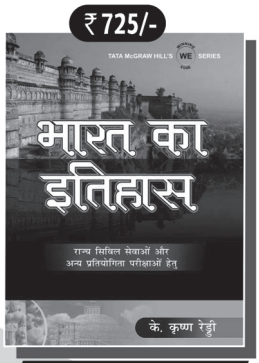

ISBN:9780071329248

₹ 395/-

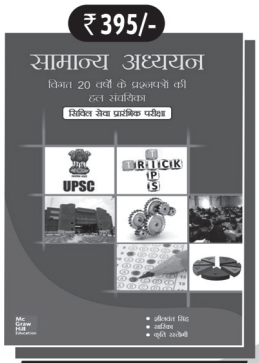

ISBN: 9789385880179

शीघ्र प्रकाशित

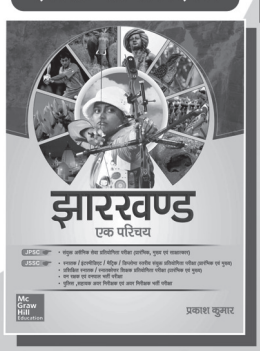

मूल्य बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तनशील है।

मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर 63, जनपद गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201 301

SHIPPING FREE Above ₹500/-

टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /mheducationIN /company/mcgraw-hill-education-india

कमनगद अर्थव्यवस्था: दुनिया के बरक्स भारत

अर्पिता मुखर्जी
तनु एम गोयल

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने *कमनगद अर्थव्यवस्था* की दिशा में आगे बढ़ने में सही कदम उठाया है। हालांकि, बाकि देशों का अनुभव यह दिखाता है कि *कमनगद अर्थव्यवस्था* में अवसंरचना और इसे सहारा देने वाले नियमों की जरूरत होती है। *कमनगद अर्थव्यवस्था* की तरफ बढ़ने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान और कारोबार को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा, देश में कर की दर कम और इसका ढांचा आसान होना चाहिए। 2017-18 का आम बजट *कमनगद अर्थव्यवस्था* से संबंधित सरकारी नीतियां पेश करने के लिहाज से बेहद अहम होगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून 2016 में देश की भुगतान और निपटान प्रणाली को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में *विजन 2018* के अन्तर्गत, बेहतर भुगतान और निपटान प्रणाली के जरिये भारत को *लेस-कैश* यानि *कमनगद* अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई है। दरअसल, इसके जरिये समाज के सभी तबकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिससे बड़े असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने, कर का दायरा बढ़ाने, कालेधन, आतंकवाद और चुनाव में कालेधन के प्रवाह को कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि भारत को कमनगद समाज बनाने की दिशा में बढ़ना चाहिए और यह नगदी रहित समाज बनाने में अहम कदम होगा।[1] स्वीडन, केन्या और ब्राजील समेत कई देश सफलतापूर्वक कमनगद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े हैं। उनका अनुभव बताता है कि *कमनगद* अर्थव्यवस्था को वैसे नियमों की जरूरत होती है, जिनसे ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा, मजबूत अवसंरचना और ग्राहकों के हित सुनिश्चित किए जा सकें।[2]

भारत बनाम अन्य देश

भारत से कुछ अन्य देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में व्यवहार में मौजूद मुद्रा कई अन्य विकसित या विकासशील देशों से ज्यादा है। वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था में नगदी का चलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 12.3 फीसदी था[3], जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा 3.8 फीसदी, दक्षिण कोरिया में 5.6 फीसदी और स्वीडन में 1.7 फीसदी था। (देखें आरेख 1).

वर्ष 2016 में भारत में 68 फीसदी से भी ज्यादा लेन-देन नगदी में हुए[5], जो दुनिया के बाकि देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि, इंडोनेशिया और रूस में नगदी

आरेख 1: चलन में नगदी (जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से) (2011-2015)

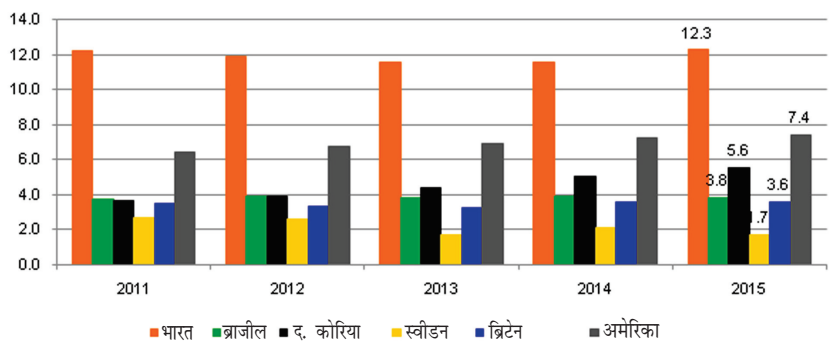

स्रोत: *http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf (26 दिसंबर, 2016) के जरिये लेखक का आकलन*

अर्पिता मुखर्जी इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं। ईमेल: arpita@icricr.res.in
तनु एम गोयल इसी संस्थान में परामर्शी हैं। ईमेल: tgoyal@icrier.res.in

लेन-देन भारत से भी ज्यादा है। थाइलैंड, ब्राजील और चीन जैसे विकासशील देशों में भुगतान के लिए नगदी का इस्तेमाल भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कई विकसित और विकाशील देशों की तुलना में काफी कम है।

स्वीडन नगदी का बेहद कम इस्तेमाल करने वाले देशों में प्रमुख है। इस देश में अधिकांश भुगतान, यहां तक कि बसों के टिकट और दान के लिए भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होता है। खुदरा विक्रेताओं को सिक्के और नोट लेने से मना करने का कानूनी अधिकार है।[6] स्वीडन में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यूरोप के सकल औसत इस्तेमाल से तीन गुना ज्यादा है।[7] दिलचस्प यह है कि स्वीडन ने इस साल कुछ मुद्रा नोट (20, 50 और 1000 क्रोन) को अमान्य कर दिया। साथ ही, यह मुल्क पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह जुलाई 2017 तक कुछ और नोटों को अमान्य कर देगा।

जहां तक विकासशील देशों की बात है, तो केन्या ने सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन भुगतान के लिए उपाय किए हैं। मसलन काउंसिल पार्किंग, निर्माण संबंधी परमिट, राजस्व, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, पासपोर्ट शुल्क आदि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि फर्जीवाड़े को कम कर वसूली की प्रणाली को बेहतर किया जा सके।[8] विश्व बैंक की वैश्विक फिनडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में केन्या की 58 फीसदी वयस्क आबादी के पास मोबाइल मनी के सक्रिय खाते थे, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है।[9] केन्या के केंद्रीय बैंक के मुताबिक, 2015 में वहां 3.1 करोड़ मोबाइल मनी ग्राहक और 1,44,000 एजेंट थे। केन्या ऐसा उदाहरण है, जहां ऑनलाइन भुगतान के प्रचलन में मोबाइल तकनीक और स्मार्टफोन की संख्या में बढ़ोतरी का अहम रोल रहा है। हालांकि, यहां क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बेहद कम होने के साथ इंटरनेट की पहुंच भी सीमित है।[10]

उपलब्ध अवसंरचना

जहां तक विकासशील देशों की बात है, तो केन्या ने सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन भुगतान के लिए उपाय किए हैं। मसलन काउंसिल पार्किंग, निर्माण संबंधी परमिट, राजस्व, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, पासपोर्ट शुल्क आदि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि फर्जीवाड़े को कम कर वसूली की प्रणाली को बेहतर किया जा सके।

भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की स्वीकार्यता के अलावा यह भी अहम है कि भुगतान के इन साधनों की समाज में अपनी पैठ बने। मिसाल के तौर पर साल 2015 में भारत की मात्र आधी आबादी के पास कार्ड था।[11] वहीं, स्वीडन में प्रति व्यक्ति कार्ड की औसत संख्या 2.5, कोरिया में 5.5, ब्राजील में 4.1 और चीन में 4 है।

दक्षिण कोरिया में कार्ड की पहुंच बाकि देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है और यह नगदरहित भुगतान प्रणाली की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस देश ने वैसे उपभोक्ता को कर में सहूलियत देने की प्रणाली शुरू की है, जो कार्ड के जरिये भुगतान करते हैं। जाहिर तौर पर इसका मकसद प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना है।[13] भारत में कार्ड से भुगतान करने पर बैंक शुल्क लेते हैं, लिहाजा ग्राहकों के लिए नगदी में भुगतान करने का विकल्प ज्यादा आकर्षक है।

साथ ही, भारत की बड़ी आबादी के मुकाबले यहां ब्राजील और चीन समेत बाकि विकासशील देशों की तुलना में सबसे कम संख्या में प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल (पीओएस जो बिक्री केंद्रों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के जरिये नगदरहित लेन-देन में मदद करते हैं) हैं। (देखें तालिका 1)।

कमनगदी के प्रचलन वाले देशों में भुगतान के कई अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मनी टर्मिनल और मोबाइल मनी भुगतान प्रणाली शामिल हैं। भारत में इन तौर-तरीकों के लिए सीमित अवसंरचना उपलब्ध है। 1.2 अरब की आबादी वाले भारत में 30 जून, 2016 तक मोबाइल फोन के 1 अरब से भी ज्यादा ग्राहक थे।[14] इसके बावजूद कुल गैर-नगदी लेन-देन का सिर्फ 0.05 फीसदी हिस्सा ही इलेक्ट्रॉनिक मनी टर्मिनल्स के जरिये होता है। इस तरह के लेन-देन को मोबाइल फोन से अंजाम दिया जा सकता है।[15] इसकी एक वजह भारत में स्मार्टफोन की संख्या और इंटरनेट की पहुंच का अन्य देशों के मुकाबले कम होना है। भारत में 2016 में सिर्फ 17 फीसदी वयस्क लोगों के पास स्मार्टफोन था, जबकि दक्षिण कोरिया और केन्या में यह आंकड़ा क्रमशः 88 फीसदी और 26 फीसदी है।[16] साथ ही, भारत में 2015 में 26 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ब्राजील और चीन का यह आंकड़ा क्रमशः 59.8 फीसदी और 50 फीसदी रहा। दक्षिण कोरिया और स्वीडन में तो 90 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।[17] इसी तरह, भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रति 100 लोग पर सिर्फ 1.34 है, जबकि स्वीडन में 36.07 और कोरिया में यह 40.25 है।[18]

रेखा चित्र 2: निम्नलिखित देशों में प्रति व्यक्ति कार्ड की संख्या (2011-2015)

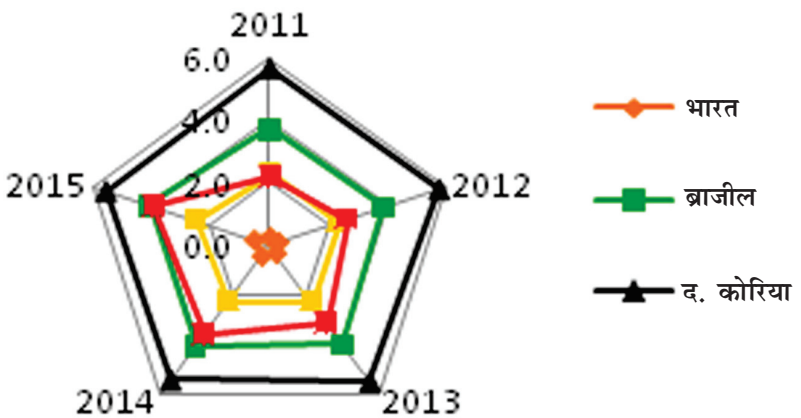

स्रोत: http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf (26 दिसंबर, 2016) के जरिये लेखक का आकलन)

तालिका 1: 2011-2015 में चुनिंदा देशों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल की संख्या (प्रति 10 लाख व्यक्ति पर)

देश	2011	2012	2013	2014	2015
ब्राजील	17,811	20,561	22,146	24,837	25,241
चीन	3,592	5,270	7,814	11,650	16,602
भारत	550	695	865	889	1,080
स्वीडन	22,167	20,837	20,380	20,304	18,660
ब्रिटेन	21,499	25,732	25,800	26,346	30,078

स्रोतः भुगतान और मार्केटिंग अवसंरचना बीआईएस से जुड़ी कमेटी के कम्पेरेटिव टेबल 11बी से एकत्र किए आंकड़े। http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.htm (27 दिसंबर, 2016)

लिहाजा, भारत सरकार की *कमनगदी* वाली पहल के लिए अवसंरचना (खासतौर पर तकनीकी अवसंरचना) को काफी तेजी से उन्नत करने की जरूरत है। इसके साथ ही, सही नीतियों के जरिये ऑनलाइन लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

वैश्विक सीख और भावी रूपरेखा

अगर केन्या जैसे देश सफलतापूर्वक *कमनगदी* वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो भारत भी तकनीकी आधारित भुगतान के नए उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाकर ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सकता है।[19] इस सिलसिले में ऑनलाइन विनिमय में अहम मोबाइल भुगतान वॉलेट और मोबाइल एप्लिकेशन अहम विकल्प हैं। यह विशेष तौर पर छोटे कारोबारों या गैर-कॉरपोरेट खिलाड़ियों के लिए उपयोगी है, जो कार्ड स्वीकार नहीं करते और जिन्होंने भुगतान लेने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल नहीं लगा रखा है। मिसाल के तौर पर स्वीडन में ज्यादातर दुकानदारों और छोटे कारोबारियों ने आईजेट्ल नामक कंपनी की तरफ से विकसित पीओएस और भुगतान एप्लिकेशन को अपनाया।[20] इससे इन कारोबारों पर सकारात्मक असर हुआ। इसी तरह अफ्रीकी देश केन्या में शुल्क और बिलों के भुगतान और यहां तक वेतन लेने के लिए भी एम-पेसा का इस्तेमाल किया जाता है।[21] भारत में नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम, सीसीएवेन्यू, पेयू जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की इकाइयों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

जिन कुछ क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उनमें खुदरा और थोक सौदों के लिए नगदी भुगतान, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी भुगतान और खेतिहर मजदूरों को भुगतान शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर भुगतान नकद में किए जाते हैं, ताकि कर से बचा जा सके या मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाए। नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए कई तरह की पहल की गई हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने अगस्त 2016 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस की शुरुआत की। इसके तहत मोबाइल एप्लिकेशन के इस्तेमाल के जरिये दो बैंक खातों में धन विनियम किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को कार्ड के ब्यौरे, अन्य कोड और पासवर्ड के इस्तेमाल के बगैर अलग-अलग लोगों को भुगतान की इजाजत देता है। सरकार ने दिसंबर 2016 में एक अध्यादेश पास किया है, जिसके जरिये मजदूरी भुगतान कानून की धारा 6 में संशोधन किया गया है। संशोधन का लक्ष्य है कि कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते में ही जमा हो या इस बाबत चेक के जरिये भुगतान किया जा सके। जाहिर तौर पर मकसद लेन-देन को नगदरहित बनाना है।[22] यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि स्वीडन ने भी 1960 के दशक में मजदूरी और वेतन के डिजिटल विनिमय के जरिये नगदरहित देश की दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत की थी।

भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की स्वीकार्यता के अलावा यह भी अहम है कि भुगतान के इन साधनों की समाज में अपनी पैठ बने। मिसाल के तौर पर साल 2015 में भारत की मात्र आधी आबादी के पास कार्ड था।

तेलंगाना राज्य का इब्राहिमपुर गांव बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों के इस्तेमाल से पूरी तरह नगदरहित हो चुका है। बाकि गांव भी सफलता की इस कहानी को दोहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर गुजरात के अकोदरा गांव को 2015 में एक निजी बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल बना दिया। बैंक ने वायरलेस इंटरनेट और भुगतान टर्मिनल जैसी अवसंरचना में निवेश किया है, जिससे गांव के लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिली हैं।[23] भारत में बाकि जो पहल की जा रही हैं, उनमें मेट्रो ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के प्रणाली को शामिल किया जाना शामिल है। दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन साल 2017 में नगदरहित हो जाएंगे।

कमनगदी वाली अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए

- **कार्ड भुगतान का तरीका घाटे का सौदा न होः** कार्ड या डिजिटल प्रणाली के जरिये भुगतान नकद भुगतान की तुलना में खर्चीला नहीं होना चाहिए। बैंक अक्सर ऑनलाइन भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए शुल्क काट लेते हैं। इससे ऑनलाइन भुगतान के तौर-तरीकों को चोट पहुंचती है, क्योंकि नगदी के इस्तेमाल पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है।
- **सूचना की सुरक्षाः** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेन-देन और उपभोक्ता संबधी सूचना दर्ज हो। इससे निजता के हनन का खतरा है। मिसाल के तौर पर स्वीडन में भुगतान प्रणाली के डिजिटाइजेशन के बाद बैंक डकैती के मामले में जबरदस्त कमी आई, लेकिन ऑनलाइन भुगतान में फर्जीवाड़े के मामले बढ़े हैं।[24] लिहाजा, आंकड़ों की सुरक्षा और सूचना की निजता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक पहले ही स्मार्ट कार्ड जैसे प्री-पेड भुगतान के उत्पादों से जुड़ी नीतियों की समीक्षा करने में जुटा है। जोखिम को कम करने के लिए एक मजबूत प्रणाली के अलावा शिकायतों का भी तेजी से निपटारा होना चाहिए।

- **मजबूत अवसंरचना तैयार करना:** भुगतान का तरीका अलग-अलग भुगतान टर्मिनल की उपलब्धता, स्वीकार्यता और उससे संपर्क से तय होता है। जैसा कि जिक्र किया गया है, भारत में नगदरहित लेन-देन से निपटने के लिए मौजूदा अवसंरचना अपर्याप्त है। सरकार को अवसंरचना तैयार करने की जरूरत है।

तेलंगाना राज्य का इब्राहिमपुर गांव बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों के इस्तेमाल से पूरी तरह नगदरहित हो चुका है। बाकि गांव भी सफलता की इस कहानी को दोहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर गुजरात के अकोदरा गांव को 2015 में एक निजी बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल बना दिया।

साथ ही, अवसंरचना को चलाने के लिए क्षमता भी विकसित करनी होगी, ताकि देश में बिना किसी दिक्कत के नगदरहित लेन-देन हो सके। इसके तहत स्मार्टफोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आदि मुहैया कराना शामिल है। भुगतान का नगदरहित तरीका तकनीक पर आधारित है, लिहाजा इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन मूल शर्त है।

- **कर में कमी:** यह भी जरूरी है कि स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरणों पर कर कम किया जाए।

इससे लोगों के डिजिटल भुगतान के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढांचे के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।[25] यह काफी ज्यादा है। स्मार्टफोन को सस्ता बनाना पड़ेगा। भारत में निगम कर दुनिया के बाकि देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। भारत में घरेलू कंपनियों के लिए 30 फीसदी और विदेशी कंपनियों के लिए 40 फीसदी निगम कर है।[26] इसके अलावा, कंपनियों को अतिरिक्त शुल्कों का भी भुगतान करना होता है। स्वीडन में यह 22 फीसदी था और चीन में घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए यह 25 फीसदी था। कर की दर ऊंची होने से कर की चोरी को प्रोत्साहन मिलता है।

- **मजबूत ई-वाणिज्य नीति:** देश में सख्त ई-वाणिज्य नियम जरूरी है, जो नगदरहित भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने *कमनगद अर्थव्यवस्था* की दिशा में आगे बढ़ने में सही कदम उठाया है। हालांकि, बाकि देशों का अनुभव यह दिखाता है कि *कमनगद अर्थव्यवस्था* में अवसंरचना और इसे सहारा देने वाले नियमों की जरूरत होती है। *कमनगद अर्थव्यवस्था* की तरफ बढ़ने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान और कारोबार को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा, देश में कर की दर कम और इसका ढांचा आसान होना चाहिए। 2017-18 का आम बजट *कमनगद अर्थव्यवस्था* से संबंधित सरकारी नीतियां पेश करने के लिहाज से बेहद अहम होगा। ❑

संदर्भ

1. मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये प्रधानमंत्री का देश को संबोधन, जिसका प्रसारण 26-27 नवंबर को किया गया। http://pmonradio.nic.in/# पर उपलब्ध।
2. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/VISION 20181A 8972F 5582F 4B2 B8 B4 6C 5B 669 CE 396A.PDF
3. इसमें बैंकों से बाहर प्रचलन में मौजूद नोट और सिक्के भी शामिल हैं। आंकड़ों में केंद्रीय बैंकों या बैंक में रखे गए नोट या सिक्को को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्रवासियों की होल्डिंग शामिल हैं। इसमें किसी की याद में जारी किए गए सिक्के भी शामिल नहीं, जिनका इस्तेमाल भुगतान के लिए नहीं किया जाता है।
4. http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf
5. http://www.business & standard.com/ article/ economy & policy/ infographic & 68 & of & transactions & in & india & are & cash & based & 116111400495_1.html
6. https://www.theguardian.com/ business/ 2016/ jun/ 04/ sweden & cashless & society & cards & phone & apps & leading & europe
7. http://www.thelocal.se/ 20160229/ why & sweden & is & winning & the & race & to & become & the & first & cashless & society
8. http://www.standardmedia.co. ke/article/ 2000150788/ government & to & implement & digital & strategy & for & cashless & services
9. विश्व बैंक का ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस, 2014: http://documents.worldbank.org/curated/ en/ 187761468179367706/ pdf/ WPS7255.pdf# page, 3
10. http://netbillion.net/digital & government & 4 & keys & to & kenyas & success & with & electronic & government & payments
11. इनमें सभी कार्ड शामिल हैं: नगदी फंक्शन वाले कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-मनी फंक्शन वाले कार्ड।
12. इनमें सभी कार्ड शामिल हैं: नगदी फंक्शन वाले कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-मनी फंक्शन वाले कार्ड।
13. http://www.totalpayments.org/ 2013/ 07/ 08/ top & 5 & cashless & countries
14. http://www.trai.gov.in/ WriteReadData/ WhatsNew/ Documents/ Indicator_Reports_April_June_ 01_12_2016.pdf
15. बीआईएस कंट्री टेबल से आकलन: http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.htm
16. http://www.livemint.com/ Consumer/ yT14Ogt SC7 dyyw WSyn WOKN/ Only & 17 & Indians & own & smartphones & survey.html
17. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के आंकड़े: http://www.itu.int/en/ ITU & D/ Statistics/ Pages/ stat/ default.asp
18. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के आंकड़े: http://www.itu.int/ en/ ITU & D/ Statistics/ Pages/ stat/ default-asp
19. https://rbidocs.rbi.org.in/ rdocs/ PublicationReport/ Pdfs/ VISION 20181A 8972F 5582F 4B 2B 8B 46C 5B 669C E396A.PDF
20. https://www.izettle.com/ about and https://www.theguardian.com/ business/ 2016/ jun/ 04/ sweden & cashless & society & cards & phone & apps & leading & europe
21. एम-पेसा मोबाइल फोन आधारित मनी ट्रांसफर, फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेसिंग सर्विस है, जिसे वोडाफोन ने शुरू किया है।
22. http://www.livemint.com/ Politics/ J46fZ7l ApkXgN 2e5TZm NYP/ Cabinet & nod & for & ordinance & seeking & cashless & transactions & unde.html (फिलहाल अध्यादेश सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है।)
23. http://www.thehindu.com/ opinion/ op & ed/ at & akodara & indias & first & digital & village/ article 7418012.ece
24. https://www.theguardian.com/ business/ 2016/ jun/ 04/ sweden & cashless & society & cards & phone & apps & leading & europe
25. http://www.news18.com/ news/ tech/ gst & rate & what & happens & to & smartphones & and & will & make & in & india & make & sense & 1308200.html
26. https://www2.deloitte.com/ content/ dam/ Deloitte/ global/ Documents/ TaÛèdttl & taÛ & corporate & taÛ & rates.pdf

नगदरहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर

समीरा सौरभ

अनौपचारिक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगारदाता है और मुख्य रूप से नगद लेन-देन पर चलता है। यही वजह है कि नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था वित्तीय समावेशन की मौजूदा नीतियों से आगे जाकर काम करने वाली होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए कुछ प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। मसलन सेवा कर खत्म कर दिया गया है और डेबिट व क्रेडिट कार्ड से लेन-देन पर होने वाली अतिरिक्त वसूली भी खत्म कर दी गई है

मुद्राहीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए इसकी संभावनाओं को तलाशना दुनिया भर में नीति नियंताओं के बीच अत्यधिक रूचि का विषय बन गया है। हालांकि अभी भी लेन-देन का काम मुख्यत: नगद के जरिये ही किया जा रहा है। वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा रखने के कई लाभ हैं। पहला, इससे सरकार को पर्याप्त मात्रा में राजस्व वसूलने में मदद मिलती है। दूसरा, इससे आसानी से भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी रूप से होने वाले लेन-देन की जानकारी मिल जाती है। तीसरा, इससे भारत के एक बड़े असंगठित क्षेत्र को समझने और उसका आकलन करने में भी मदद मिलती है। सबसे आखिरी लेकिन अहम लाभ यह है कि तमाम सरकारी योजनाओं में होने वाली धांधली के बारे में भी इससे जानकारी मिल जाती है।

नगदरहित लेन-देन करने से आपके पास हर प्रकार के लेन-देन का एक डिजिटल सबूत होगा। ऐसी व्यवस्था जिसमें खरीदार को नगदरहित साधन (एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपयों का हस्तांतरण, बिना भौतिक रूप से मुद्रा का इस्तेमाल किए) से लेन-देन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहां ज्यादा वित्तीय पारदर्शिता आती है। भारत में कालेधन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए यह शायद ज्यादा बेहतर और सीधा तरीका है। डिजिटल सबूतों के कई अन्य फायदे भी हैं। इनसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ज्यादा सक्षम बनती है। वर्ष 2009 में योजना आयोग के एक आकलन के मुताबिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) पर किए गए कुल खर्च का सिर्फ 27 प्रतिशत ही लक्षित न्यूनतम आय समूह तक पहुंचा था। हर प्रकार के लेन-देन का डिजिटाइजेशन ही नगदरहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का सबसे बेहतर रास्ता है।

इस तरह की नगदरहित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी उपकरणों का प्रसार करके, वित्तीय ढांचा विकसित करके और डिजिटल लेन-देन की आदत के प्रति लोगों को जागरुक करके प्राप्त किया जा सकता है। सरकार का विमुद्रीकरण का कदम भी नगदरहित अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए ही है। फिर भी नगदरहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की इस यात्रा में कई तरह की बाधाएं हैं।

वर्तमान परिदृश्य में, हमारा देश दुनिया की सबसे संपन्न और विश्वसनीय अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत प्रमुख असंगठित क्षेत्र के साथ मुख्य रूप से एक कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। भारत की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इसका असंगठित क्षेत्र जीडीपी में 20 प्रतिशत और रोजगार में 80 प्रतिशत योगदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में देश की कुल जनसंख्या की दो तिहाई आबादी यानि लगभग 87 करोड़ लोग रहते हैं। यही वो क्षेत्र है जहां नगदरहित लेन-देन के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी सबसे ज्यादा चुनौतियां भी हैं। एक आकलन के मुताबिक 2020 तक ग्रामीण उपयोगकर्त्ता भी कुल इंटरनेट यूजर के मुकाबले आधे हो जाएंगे।

आपस में जुड़े हुए ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या साल 2015 में 120 मिलियन से

लेखिका भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक (योजना एवं नीति) हैं। वह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में बहुमक्षीय वार्ताओं व नीति-निर्माण में सक्रिय रही हैं तथा ब्रिक्स, जी-20 व आईएलओ जैसी संस्थाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ईमेल: sameera.saurabh@gmail.com

बढ़कर साल 2020 में 315 मिलियन होने की संभावना है। वर्तमान में 18 से 50 साल के आयु वर्ग के लगभग 160 मिलियन लोगों में 30 प्रतिशत में इंटरनेट की समझ है। यह जानना भी दिलचस्प है कि ग्रामीण विकास शहरी केंद्रों में भी विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में कारगर है।

ग्रामीण भारत में 93 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अभी किसी भी तरह का डिजिटल लेन-देन नहीं किया है। इसलिए वास्तविक संभावना यहीं है। सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं, इनमें जीरो बैलेंस पर गरीब लोगों के बैंक खाते खुलवाना भी शामिल है। बैंक की शाखाओं की कमी है, क्योंकि साहूकारों और महाजनों पर इसका काफी कम फर्क पड़ा है। साल 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में प्रति 10,000 लोगों पर 5.3 बैंक शाखाएं थीं। वर्तमान में आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 7.8 शाखाओं तक पहुंची है।

अप्रत्यक्ष लाभ

भारत में नगदरहित अर्थव्यवस्था के प्रसार के तीन अलग-अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ हैं। ये हैं:

- इससे वित्तीय समावेशन का प्रसार होगा।
- वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा रहेगा।
- दो पक्षों के बीच हुई वित्तीय लेन-देन की लागत कम होगी।

हालांकि आखिरी अनुमान सामान्य तौर पर किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था के लिए सच है। पहली दो भारत के लिए खासतौर पर प्रासंगिक है। गंगोपाध्याय (2009) रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी वित्तीय रूप से समावेशित नहीं है। भारत में प्रत्येक एक लाख लोगों पर 7.8 बैंक शाखाएं हैं और प्रत्येक 100 वर्ग किमी पर तीन बैंक शाखाओं से कम। ग्रामीण भारत में यह तस्वीर प्रत्येक सौ वर्ग किमी पर एक बैंक शाखा की है।

विशेष रूप से भारत के 45 प्रतिशत ग्रामीण, 28 प्रतिशत शहरी और 38 प्रतिशत सामान्य परिवारों ने ये माना कि पहुंच और उपलब्धता के आधार पर वे किसी बैंक को चुनते हैं जबकि वित्तीय समावेश के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक परिवार की बैंक तक पहुंच हो, हालांकि सिर्फ भौतिक रूप से बैंक तक पहुंच काफी नहीं है। यह भी विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है कि भारत में कार्यबल का 90 प्रतिशत से ज्यादा असंगठित क्षेत्रों में है और किसी भी बैंक तक जाना उनकी दैनिक आमदनी के हिसाब से उनके लिए एक बड़ा खर्च साबित होता है।

अनौपचारिक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगारदाता है और मुख्य रूप से नगद लेन-देन पर चलता है। यही वजह है कि नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था वित्तीय समावेशन की मौजूदा नीतियों से आगे जाकर काम करने वाली होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए कुछ प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। मसलन सेवा कर खत्म कर दिया गया है और डेबिट व क्रेडिट कार्ड से लेन-देन पर होने वाली अतिरिक्त वसूली भी खत्म कर दी गई है। बीते पूरे साल सरकार का रुझान ई-भुगतान, कार्ड से लेन-देन और नगदरहित भुगतान को बढ़ावा देने की ओर रहा है। सच है कि यही भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य है।

ग्रामीण भारत में 93 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने अभी किसी भी तरह का डिजिटल लेन देन नहीं किया है। इसलिए वास्तविक क्षमता यहीं है। सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं, इनमें जीरो बैलेंस पर गरीब लोगों के बैंक खाते खुलवाना भी शामिल है।

हालांकि सवाल अब भी वहीं रहता है कि क्या भारत सच में अपनी नगदी आधारित अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। रद्द किए गए कार्डों के आंकड़ों को छोड़ दें तो जुलाई 2016 के आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों से 697.2 मिलियन डेबिट कार्ड और 25.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि कार्डों की संख्या का मतलब कार्डधारकों की संख्या नहीं है। आमतौर पर शहरवासियों के पास एक से ज्यादा कार्ड होते हैं और अब यह चलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। इसके बाद कार्ड तीन मुख्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं- एटीएम से पैसा निकालने में, ऑनलाइन भुगतान करने में और दुकानों, रेस्तरां, पेट्रोल पंप के प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल पर भुगतान के लिए। सिर्फ 26 प्रतिशत भारत के पास इंटरनेट की सुविधा है और डिजिटल भुगतान सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 200 मिलियन लोग हैं। भारत की आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था हमारी सामाजिक और स्थानीय असमानताओं को सामने रखती है। कुल एटीएम के केवल 18 प्रतिशत ग्रामीण भारत में स्थापित हैं।

आरबीआई के शोध में सामने आया है कि उच्च महिला आबादी और अधिक ग्रामीण आबादी वाले राज्यों में वित्तीय समावेशन का स्तर काफी कम है।

गूगल इंडिया और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले साल भारत में 75 प्रतिशत लेन-देन नगदी आधारित था, जबकि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि विकसित देशों में यह सिर्फ 20-25 प्रतिशत ही है। विमुद्रीकरण के कारण मोबाइल या ई-वॉलेट कंपनियों को चौगुना फायदा हुआ है। देश में ज्यादातर नगद लेन-देन वस्तु एवं सेवाओं के लिए किया जाने वाले छोटे विनिमय है इनमें सिर्फ पीओएस केंद्र बनाना पर्याप्त नहीं है। लाखों लोगों के पास अब भी बैंक खाता नहीं है, पीओएस बिक्री केंद्रों और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और न ही वह व्यवस्था है, जिससे कि ऑनलाइन लेन-देन के तरीकों को वे सीख सकें। इसलिए हमें छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर डिजिटल सेवाओं और पीओएस टर्मिनल का प्रवेश कराने की जरूरत है।

इस साल जुलाई में, 881 मिलियन भुगतान एटीएम में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर और पीओएस टर्मिनल पर किए गए। इनमें से 92 प्रतिशत एटीएम से नगद निकालने के मामले थे। इस तरह भारतीय व्यवस्था में कार्ड का मुख्य उद्देश्य एटीएम से नगद निकालना है।

इसमें एक अन्य बड़ी रुकावट डिजिटल भारत के लिए तय किए गए लक्ष्यों का पूरा न हो पाना है। धनी वर्ग तक मोबाइल इंटरनेट का प्रवेश जरूरी है क्योंकि पीओएस को सुचारू रूप से काम करने के लिए मोबाइल इंटरनेट कनेक्शंस की जरूरत होती है। पहले बैंक कार्ड आधारित लेन-देन के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलते रहे हैं, इसे अब एक रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही ग्रामीण भारत में कम साक्षरता दर

और इंटरनेट की पहुंच न होना यहां तक कि सामान्य सुविधाएं भी न होना लोगों के लिए डिजिटल लेन-देन को अपनाना मुश्किल बनाता है।

नगदरहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

- **मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था:** भारत में नगदी प्रवाह का उच्च स्तर है। भारत की जीडीपी का लगभग 13 प्रतिशत प्रवाह में रहने वाली नगदी से आता है।
- **लेन-देन नगद:** लगभग 95 प्रतिशत लेन-देन नगद में होते हैं। असंगठित क्षेत्र से जुड़े ज्यादातर लोग नगदी आधारित लेन-देन को तरजीह देते हैं। उनके पास जरूरी डिजिटिल साक्षरता नहीं है।
- **एटीएम का इस्तेमाल मुख्य रूप से नगद निकासी के लिए होता है, ऑनलाइन लेन-देन के लिए नहीं:** 21 करोड़ रुपे कार्ड के अलावा काफी संख्या में एटीएम कार्ड हैं। लेकिन लगभग 92 प्रतिशत एटीएम कार्ड सिर्फ नगद निकालने में इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति के पास एक या दो से ज्यादा कार्ड होना यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इनकी पहुंच काफी कम है।
- **प्वाइंट ऑफ सेल केंद्रों की सीमित उपलब्धता:** आरबीआई के अनुसार जुलाई 2016 के अंत तक विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 1.44 मिलियन पीओएस टर्मिनल बनाए गए थे लेकिन इनमें से ज्यादा टर्मिनल शहरी या कस्बाई क्षेत्रों में थे।
- **ग्रामीण भारत में मोबाइल इंटरनेट की उपस्थिति काफी कमजोर है:** डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है लेकिन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क काफी खराब है। इसके अलावा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता स्तर भी कम है, इससे बड़े स्तर पर प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल में समस्या हो रही है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा *भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी)* एप्लीकेशन लॉन्च करके दूर करने की कोशिश की गई है। यह यूएसएसडी यानि बिना मोबाइल इंटरनेट के काम करता है।

वित्त वर्ष 2014 की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। औसत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 50-65 प्रतिशत तक इनकी नई शाखाएं शुरू हुई हैं। निजी क्षेत्र के शीर्ष बैंक आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और येस बैंक पिछले पांच वर्षों से ज्यादा समय से गैर बैंकिंग और बैंकिंग की प्रक्रिया में चल रहे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। आरबीआई ने बैंकों से तीन वर्षीय अवधि 2013-16 के दौरान बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों (टायर-V और VI) में मौजूदगी बढ़ाने को कहा है। उन्हें कुल शाखाओं की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत इन क्षेत्रों में स्थापित करने को कहा है। साथ ही केंद्रीय बैंक 25 प्रतिशत से ज्यादा खोली गई शाखाओं के लिए एक साल के लिए ऋण भी देगा, जो कि अगले वर्ष का लक्ष्य या मापदंड प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

कस्बाई और ग्रामीण बाजार वर्तमान में बड़े बाजारों से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। नतीजतन, वर्तमान में शाखाओं का विस्तार ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन ध्यान इन शाखाओं को सभी सेवाओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस बनाने पर है। वित्तीय समावेशन के लिए तकनीक एक अहम सहयोगी है, इसमें ब्रांच ऑन व्हील्स, मोबाइल वैन आधारिक बैंक शाखा शामिल हैं। इनका उद्देश्य बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि ग्रामीण शाखाओं के सामने मुख्य समस्या कारोबार का न होना भी आती है। एक ग्रामीण शाखा को चलाने की कुल लागत लगभग चार लाख रुपये प्रति माह होती है और टायर-1 शहर में यह लागत 9 लाख रुपये होती है। जब ग्रामीण विस्तार की बात आती है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इससे पीछे नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2014 में एसबीआई ने 1053 शाखाएं खोलीं, इनमें से 57 प्रतिशत ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में थीं। हालांकि ग्रामीण शाखाओं को जमीन के कम किराये की वजह से लाभ होता है, लेकिन सेवा लागत और स्टाफ रखने का खर्च इस लाभ को असंतुलित कर देता है। हालांकि आरबीआई नई शाखाओं का 25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु करने का आदेश देता है, बैंकों ने भी बढ़-चढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत की है।

बैंकों का विस्तार/प्रसार	आईसीआई सीआई	एचडीएफसी	एक्सिस
कुल शाखाएं	3753	3062	2402
गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में	448	318	438
शाखाओं का प्रतिशत	11.9	10.4	18.2
2014 में कुल शाखाएं	653	341	455
2014 में गैर-बैंकिंग क्षेत्र में	317	230	298
कुल शाखाओं का प्रतिशत	48.5	67.4	65.5
ग्रामीण शाखाओं की संख्या	841	674	576
गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में प्रतिशत	53.3	47.2	76

स्रोत: *एडेलवेइस रिसर्च*

संभावनाएं और भावी रूपरेखा

जब 1.3 बिलियन आबादी वाले देश में नोटों का 86 प्रतिशत कुछ ही घंटों में अवैध ठहरा दिये जाएं तो इससे दैनिक जीवन में अल्पकालिक व्यवधान पैदा होगा ही।

विशेष रूप से, इस कारण भी भारत की ज्यादातर आर्थिक गतिविधि अब भी असंगठित क्षेत्रों में बिना चेक भुगतान की होती है। इसके परिणामस्वरूप सिर्फ बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर चोरी होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति का आकलन करने में मुश्किल भी आती है।

उदाहरण के लिए, किसान की आय पर कर नहीं लगता, ज्यादातर के पास अब किसान क्रेडिट कार्ड हैं, जिन्हें 1998 में पहली बार लॉन्च किया गया था। किसानों के बैंक खाते कम होते थे, जिन्हें अब वर्तमान सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब भी बिचौलियों और व्यवसाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि मूल्यों में अंतर से लाभ कमाते हुए किसानों के साथ सिर्फ नगद लेन-देन करते हैं।

जन धन आधार मोबाइल (जैम) डिजिटल

लेन-देन की व्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। यह देश के हर दूरस्थ और सुदूर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए विस्तार कर रहा है। आधार को साल 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन सिर्फ सात सालों में इस योजना से 1.07 बिलियन लोग जुड़ गए हैं या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 88 प्रतिशत। सरकारी लेन-देन बड़ी संख्या में *जैम* के जरिये किया गया। इससे लोगों को डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरुकता लाने में मदद मिलेगी।

नगदरहित अर्थव्यवस्था में सरकार का प्रत्यक्ष योगदान

जनता और सरकार के बीच संवाद के लिए बड़ी संख्या में केंद्र बनाये गये है। इन मामलों में सरकार की भूमिका कुछ निश्चित प्रकार के भुगतानों और एक निश्चित राशि से ज्यादा की सेवाओं और सुविधाओं में नगदरहित लेन-देन को प्रोत्साहित करने की होगी, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है

उदाहरण के लिए, पासपोर्ट के लिए नगदरहित भुगतान को जरूरी बनाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के करों आय, बिक्री का भुगतान भी नगदरहित विकल्पों के जरिये अनिवार्य बनाया जा सकता है।

इसके अलावा परिवारों द्वारा इस तरह के भुगतान पर कर छूट (एक प्रतिशत से दो प्रतिशत) भी नगदरहित भुगतान को बढ़ावा दे सकती है। इससे दो बातें होंगी, एक तो परिवारों को नगदरहित होने का इनाम मिलगा और दूसरा असंगठित क्षेत्रों का ज्यादातर हिस्सा वित्तीय रूप से समावेशित होगा। अनिवार्य निर्देश और इनामों के अलावा प्रत्यक्ष सरकारी कार्यक्रम और पहल की गई हैं, जहां नगदरहित लेन-देन के लिए एक बड़ा मंच बनाया जा सकता है।

नीति सूत्रीकरण में जिन बाधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, वे हैं स्वीकार्यता की कमी और दूसरा लेन-देन की अत्यधिक लागत। हालांकि यह ध्यान देना भी जरूरी है कि इन दोनों ही तथ्यों को हटाने की जरूरत है, नगदरहित लेन-देन स्वत: नहीं होगा। प्रस्ताव और सुझाव के लिए ढांचे में नगदरहित लेन देन के साधनों के जरिये वित्तीय समावेश के प्रसार के लिए पांच 'ए' होने जरूरी हैं अवेलेबिलिटी यानि उपलब्धता, एक्सेसबिलिटी यानि पहुंच, एफोर्डेबेलिटी यानि क्रय क्षमता, और अवेयरनेस यानि जागरुकता।

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत जरूरतों को सुनिश्चित करना चाहिए और विकासशील ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और पंचायतों के जरिये इसके लिए जागरुकता लाने में मदद ली जा सकती है। वित्तीय साक्षरता भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए जरूरी है। नगद की बजाय डिजिटल भुगतान या बैंक के जरिये भुगतान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी लोक कल्याणकारी गतिविधियों को बैंक खातों से जोड़ना भी एक रणनीतिक कदम होगा। एक मजबूत बैंकिंग आधार नगदरहित अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम और प्रमुख जरूरत है। आगे का रास्ता स्पष्ट है- राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा वित्तीय साक्षरता अभियान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए जागरुकता, उस तक पहुंच की मध्यावधि रणनीति भी शामिल होगी। लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी वित्तीय कौशल और ऋण प्रबंधन को सुधार सकते हैं और ग्रामीण भारत में बैंक खातों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ❑

SIHANTA IAS

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास

रजनीश राज

कक्षा कार्यक्रम

प्रातः 9 बजे

सायं 6:30 बजे

प्रथम दो कक्षाएं निःशुल्क

विशेषताएं

सर्वांगीण अध्ययन

बहुस्तरीय उत्तर लेखन

समयबद्ध कोर्स समापन

सर्वोत्तम परिणाम

क्रमशः

उपरोक्त सभी प्रतिभागी इतिहास में श्रेष्ठ अंक के कारण ही कामयाब हुए।

संकल्पनात्मक विकास एवं लेखन शैली पर सर्वाधिक बल के कारण सिहान्ता के श्रेष्ठ अंकधारी

विष्णुकांत तिवारी-378 अंक
नरेश सैनी -376 अंक
रामाशीष -376 अंक
आलोक पाण्डेय-372 अंक
राजेन्द्र मीणा -371 अंक
मयंक प्रभा -371 अंक
द्रोपसिंह मीणा-371 अंक
विवेक अग्रवाल-368 अंक

क्रमशः

ADMISSION OPEN

For Free Registration, SMS <Your Name> to 9555852468

visit us: www.sihantaias.com

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

011-42875012, 08743045487

पुनर्मुद्रीकरण: कमनगद अर्थव्यवस्था की ओर कदम

डी एस मलिक

नगदरहित लेन-देन या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं, जिनमें पीओएस मशीन लगाने, कई उपकरणों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटाने, पेट्रोल और डीजल की खरीद में छूट देने, रेल यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने, सामान्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम में 8-10 प्रतिशत की छूट इत्यादि शामिल हैं। इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है

भारत सरकार ने भ्रष्टाचार, कालेधन, मनीलांड्रिंग और आतंकवाद आदि के खिलाफ संगठित अभियान के तहत 8 नवंबर, 2016 की मध्यरात्रि से पुनर्मुद्रीकरण शुरू किया। इसके अंतर्गत 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से हटा दिया गया। वस्तुत: यह फैसला जाली नोटों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण पर विराम लगाने और जासूसी तथा हथियारों, मादक और अन्य वर्जित पदार्थों की भारत में तस्करी जैसी विभाजनकारी गतिविधियों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा कालेधन के खात्मे के उद्देश्य से किया गया। कालेधन की समानान्तर अर्थव्यवस्था हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती रही है।

सरकार ने 2000 रुपये और 500 रुपये के नये नोट जारी करने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सिफारिशों को भी स्वीकार किया। पुनर्मुद्रीकरण के दौरान चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डों तथा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से गैर-नगदी भुगतान पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी।

यह भी सुनिश्चित किया गया कि रबी फसल की बुआई के मद्देनजर बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आदि की खरीद के लिए किसानों को पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सके। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी के भुगतान तथा रोजमर्रा के अन्य खर्चों के लिए चालू खातों से भी प्रति सप्ताह निकासी की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गयी।

मौजूदा सरकार ने मई 2014 में सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद ही विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करके कालेधन के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी।

विदेशी बैंक खातों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 2015 में एक कानून भी पारित किया गया था। अगस्त 2016 में बेनामी लेन-देन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाये गये। देश में जमा कालेधन की घोषणा के लिए जून 2016 से 30 सितंबर 2016 के बीच आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस-2016) चलायी गयी। आईडीएस 2016 के तहत 67,000 करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा की गयी।

इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आये। पिछले ढाई साल में सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक के कालेधन का खुलासा हुआ है। एक ओर तो सरकार ने कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है, वहीं दूसरी ओर इसने डिजिटल बैंकिंग और ई-भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।

सरकार ने खुद ही इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने स्तर पर भी डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी रकमों का भुगतान डिजिटल प्रक्रिया से करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आपूर्तिकर्ता आदि को ई-भुगतान की 10 हजार रुपये की मौजूदा सीमा की समीक्षा की है। इससे पहले इसकी समीक्षा अगस्त 2016 में की गयी थी। नये फैसले के अनुरूप, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों

लेखक भारत सरकर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं तथा वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के लिए मीडिया एवं प्रचार के प्रभारी हैं। ईमेल: dprfinance@gmail.com

सरकारी कर्मचारियों को इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने व्यक्तिगत लेन-देन भी नकदी के बजाय डेबिट कार्डों के जरिये करें, जिससे वे डिजिटल भुगतान के मामले में 'अग्रदूत' की भूमिका निभा सकें और आम आदमी को भी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

एवं विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे आपूर्तिकत्ताओं, ठेकेदारों, गारंटी देने वाले, ऋण लेने वाले संस्थानों को 5000 रुपये से ऊपर के सभी भुगतान नकद न करके *पेमेंट एडवाइस* के जरिये ही करें।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की ओर बढ़ने के अपने इस प्रयास के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग अपने कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में भेज रहे हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की को ध्यान में रखकर ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी के पास उसके बैंक खाते से संबंधित डेबिट/एटीएम कार्ड जरूर होंगे। सरकारी कर्मचारियों को इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने व्यक्तिगत लेन-देन भी नकदी के बजाय डेबिट कार्डों के जरिये करें, जिससे वे डिजिटल भुगतान के मामले में 'अग्रदूत' की भूमिका निभा सकें और आम आदमी को भी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

सभी मंत्रालयों और विभागों से भी निवेदन किया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को नगदी लेन-देन के बजाय डेबिट कार्डों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें। मंत्रालयों/विभागों को अपने सम्बद्ध बैंकों से सम्पर्क करने और विशेष शिविर लगाने की सलाह दी गयी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनके सभी कर्मचारियों के पास डेबिट कार्ड मौजूद हों। मंत्रालयों/विभागों को ऐसे ही परामर्श संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों को भी भेजने की सलाह दी गयी है।

वित्त मंत्री ने नगद लेन-देन को कम करके और डिजिटल मुद्रा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर अर्थव्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया था। पांच सौ और एक हजार रुपये के नोटों को चलन से हटाने का एक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल लेन-देन की ओर बढ़ाना भी है। ज्यादातर बैंकों ने दिसंबर 2016 के अंत तक डेबिट कार्डों पर एमडीआर प्रभार समाप्त करके डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में ग्राहकों को प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू कर दिया है। बैंक अब एनईएफटी, मोबाइल वॉलेट, प्री-पेड कार्डों, क्यूआर कोड, पे-रोल कार्डों, डेबिट एवं क्रेडिट कार्डों तथा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) जैसे वैकल्पिक बैंकिंग तरीकों के माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शहरी इलाकों के अलावा बैंक उपनगरीय और ग्रामीण इलाकों में भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिए इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (आईबीए) की ओर से विज्ञापन अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत वीडियो के जरिये यह बताया जाएगा कि नगदरहित लेन-देन के लिए कार्ड या अन्य उपायों का इस्तेमाल कैसे किया जाये?

इन उपायों एवं पहले से उठाये गये कदमों की सहायता से नागरिकों के लिए अधिक से अधिक डिजिटल लेन-देन के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था को आसान बनाने का व्यापक उद्देश्य तो हल होगा ही, उस वित्तीय समावेशन का लक्ष्य भी हासिल होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।

रकम अदायगी करने या नकद भुगतान करने, दोनों ही प्रकार के नगदरहित लेन-देन के लिए प्वॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीओएस पर कोई सीमा शुल्क देना नहीं पड़ता है। ऐसे उपकरणों/यंत्रों की कीमत कम करने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ऐसे उपकरणों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटा लिया है। परिणामस्वरूप, ये उपकरण सीवीडी और एसएडी के नाम से प्रचलित अतिरिक्त सीमा शुल्क से मुक्त होंगे। इतना ही नहीं, ऐसे यंत्रों/उपकरणों के घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पीओएस उपकरणों के निर्माण के वास्ते आवश्यक सभी वस्तुओं को उत्पाद शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये सामग्रियां सीवीडी और एसएडी से भी मुक्त हो जाएंगी। यह छूट 31 मार्च, 2017 तक वैध होगी।

डिजिटल भुगतान और नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने की योजना के तहत सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक 10 लाख अतिरिक्त पीओएस मशीनें लगाने का फैसला किया है। इस फैसले को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बैंकों ने 6 लाख पीओएस मशीनों की खरीद के आदेश दिये हैं और शेष 4 लाख मशीनों की खरीद के लिए आदेश अगले कुछ दिनों में जारी किये जाएंगे। कार्ड आधारित भुगतान सेवा के लिए देश में विभिन्न व्यापारियों के पास फिलहाल 15 लाख पीओएस टर्मिनल हैं।

श्रम एवं नियोजन मंत्रालय एवं राज्य प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान शुरू किया है। अभी तक 2,73,919 शिविर लगाये गये हैं, जिनमें 24 लाख 54 हजार खाते खोले जा चुके हैं।

पांच सौ और एक हजार रुपये के नोटों को चलन से हटाने का एक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल लेन-देन की ओर बढ़ाना भी है। ज्यादातर बैंकों ने दिसंबर 2016 के अंत तक डेबिट कार्डों पर एमडीआर प्रभार समाप्त करके डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में ग्राहकों को प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू कर दिया है।

जनधन खाताधारकों सहित करीब 30 करोड़ 'रुपे' डेबिट कार्ड भी जारी किये गये हैं। 12 दिनों में रुपे कार्ड का करीब 300 फीसदी इस्तेमाल बढ़ा है। डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों ने 31 दिसंबर, 2016 तक लेन-देन शुल्क (एमडीआर) को समाप्त करने का फैसला किया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने रुपे कार्ड के लिए स्वीचिंग चार्ज पहले ही समाप्त कर दिया था। इन प्रयासों से विभिन्न वित्तीय संस्थानों में डेबिट कार्डों की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

डिजिटल भुगतान और नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने की योजना के तहत सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक 10 लाख अतिरिक्त पीओएस मशीनें लगाने का फैसला किया है। इस फैसले को अमलीजामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बैंकों ने 6 लाख पीओएस मशीनों की खरीद के आदेश दिये हैं और शेष 4 लाख मशीनों की खरीद के लिए आदेश अगले कुछ दिनों में जारी किये जाएंगे।

डेबिट कार्डों के अधिक से अधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने 31 दिसंबर 2016 तक एमडीआर शुल्क समाप्त करने का फैसला किया। निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों के भी इसी रास्ते पर बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार स्विचिंग सेवाओं से संबंधित प्रभार सहित लेन-देन शुल्क 31 दिसंबर, 2016 तक समाप्त रहे।

आरबीआई ने ई-बटुआ के जरिये भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसकी व्यक्तिगत सीमा प्रति माह 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का फैसला किया है। आरबीआई ने दुकानदारों के लिए भी ऐसी ही बढ़ोतरी की है।

ऑनलाइन ई-टिकटों की खरीद करने वाले यात्रियों की औसत संख्या 58 फीसदी है, जबकि 42 फीसदी यात्री काउंटर से टिकट खरीदते हैं। ई-टिकटों की खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उपरोक्त कदम से लोग नगदरहित लेन-देन की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बैंकिंग और भुगतान संबंधी लेन-देन के लिए प्रति सत्र लगने वाले यूएसएसडी प्रभार को 1.50 रुपये से कम करके पचास पैसे प्रति सत्र करने का फैसला किया है। इसने चरणों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 8 कर दी है। दूरसंचार कंपनियों ने भी प्रति सत्र लगने वाले 50 पैसे का प्रभार 31 दिसंबर 2016 तक समाप्त करने पर सहमति जतायी। यह डिजिटल वित्तीय लेन-देन का बहुत ही किफायती तरीका उपलब्ध करायेगा, खासकर फीचर फोन वाले गरीब लोगों के लिए। (देश में फोन रखने वालों की कुल संख्या में से 65 फीसदी लोगों के पास फीचर फोन ही मौजूद हैं।)

चेक पोस्ट और टॉल प्लाजा पर वाहनों को बहुत अधिक समय लग जाता है। यद्यपि चेक पोस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान जीएसटी के जरिये किया जाना है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों के टॉल प्लाजा पर भुगतान को आसान बनाने के लिए कुछ उपाय जरूरी हैं। इसीलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं को सभी नये वाहनों में ईटीसी अनुकूल आरएफआईडी लगाने की सलाह दी है।

सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों को सलाह दी गयी है कि वे सभी संबंधित पक्षों और अपने कर्मचारियों को इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), कार्डों, आधार से संबद्ध भुगतान प्रणाली से ही भुगतान करें। भुगतान करते वक्त अधिकारियों को कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आधार से संबद्ध भुगतान प्रणाली आदि का विकल्प उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड एवं मोबाइल फोन एप्लीकेशन्स/ई-वॉलेट आदि के इस्तेमाल के माध्यम से डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज एवं उपायों की घोषणा भी की है, ताकि देश में डिजिटल एवं नगदरहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके। ये प्रोत्साहन पैकेज/उपाय निम्न प्रकार से हैं:-

1. केंद्र सरकार की पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल/डीजल की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर बिक्री मूल्य पर 0.75 प्रतिशत की दर से छूट देगी।

करीब साढ़े चार करोड़ ग्राहक ऐसे पेट्रोल पम्पों पर प्रतिदिन पेट्रोल अथवा डीजल खरीदते हैं, जो इस प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ग्राहकों को प्रतिदिन 1800 करोड़ रुपये के पेट्रोल/डीजल बेचे जाते हैं, जिनमें से 20 फीसदी डिजिटल भुगतान होता है। नवंबर 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 40 फीसदी तक पहुंच गया तथा प्रतिदिन 360 करोड़ रुपये का नगदी लेन-देन डिजिटल लेन-देन में बदल गया। प्रोत्साहन योजना के कारण कम से कम 30 प्रतिशत और ग्राहक डिजिटल भुगतान का रुख कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल पंपों पर प्रतिवर्ष करीब दो लाख करोड़ रुपये कम नगद की जरूरत होगी।

2. केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान से संबंधित बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 10 हजार से कम आबादी वाले एक लाख गांवों में दो-दो पीओएस मशीनें लगाने के लिए पात्र बैंकों को नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। ये मशीनें मुख्यतया सहकारी समितियों/दुग्ध समितियों/कृषि संबंधी डीलरों के यहां लगायी जाएंगी, ताकि कृषि संबंधी लेन-देन डिजिटल तरीकों से किया जा सके।

इससे एक लाख गांवों के किसान और कुल 75 करोड़ की आबादी लाभान्वित होगी, जिन्हें अपनी कृषि जरूरतों की पूर्ति के लिए नगदरहित लेन-देन की सुविधा मिलेगी।

3. केंद्र सरकार नाबार्ड के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को 'रुपे किसान कार्ड' जारी करने में सहयोग देगी ताकि चार करोड़ 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक पीओएस मशीनों/माइक्रो एटीएम/एटीएम पर डिजिटल लेन-देन करने में सक्षम हो सकें।

सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों को सलाह दी गयी है कि वे सभी संबंधित पक्षों और अपने कर्मचारियों को इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), कार्डों, आधार से संबद्ध भुगतान प्रणाली से ही भुगतान करें। भुगतान करते वक्त अधिकारियों को कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आधार से संबद्ध भुगतान प्रणाली आदि का विकल्प उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. भारतीय रेल अपने उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को एक जनवरी, 2017 से मासिक या सीजनल टिकट (एमएसटी) बनवाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट देगी, बशर्ते उन्होंने भुगतान डिजिटल तरीकों से किया हो।

उपनगरीय रेलवे में करीब 80 लाख यात्री एमएसटी का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से

ज्यादातर प्रतिवर्ष 2000 रुपये नगद खर्च करते हैं जब ज्यादा से ज्यादा यात्री डिजिटल तरीके से भुगतान भरने लगेंगे, निकट भविष्य में प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये कम नगदी की जरूरत होगी।

5. ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले सभी यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा लाभ मुफ्त दिया जाएगा।

प्रतिदिन 14 लाख यात्री रेलवे टिकट खरीदते हैं जिनमें से 58 प्रतिशत टिकट डिजिटल भुगतान के जरिये ऑनलाइन खरीदी जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक 20 प्रतिशत और यात्री टिकटों की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान का रुख कर सकते हैं। इस प्रकार करीब 11 लाख यात्री प्रतिदिन दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवर होंगे।

6. रेलवे अपनी अनुसंगी इकाइयों/ निगमों आदि के जरिये दी जाने वाली कैटरिंग, आवासीय, रिटायरिंग रूम आदि सुविधाओं के लिए डिजिटल भुगतान की स्थिति में पांच प्रतिशत छूट देगी।

रेलवे से यात्रा करने वाले सभी यात्री इन सेवाओं के लिए यह लाभ उठा सकते हैं।

7. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां सामान्य बीमा पॉलिसियों के मामले में प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत तथा जीवन बीमा निगम की न्यू जीवन बीमा के तहत आठ प्रतिशत तक की छूट या क्रेडिट देगी, बशर्ते भुगतान डिजिटल तरीके से किया गया हो।
8. केंद्र सरकार के विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि डिजिटल तरीकों से किये गये भुगतान पर लेन-देन शुल्क/एमडीआर प्रभार ग्राहकों से न वसूले जायें। इस तरह के खर्च उन विभागों एवं उपक्रमों द्वारा ही वहन किये जाएंगे। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गयी है कि वे और उनके संगठन भी डिजिटल भुगतान से संबंधित लेन-देन शुल्क/एमडीआर प्रभार ग्राहकों से वसूलने के बजाय खुद ही वहन करें।
9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए उनसे पीओएस मशीनों/माइक्रो एटीएम्स/मोबाइल पीओएस के किराये के तौर पर 100 रुपये मासिक से अधिक न वसूलें।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा करीब साढ़े छह लाख मशीनें दुकानदारों को दी गयी हैं, जो मासिक किराये की निम्न दरों से लाभान्वित होंगे और वे डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करेंगे। कम किराया होने के कारण अधिक से अधिक दुकानदार इस तरह की मशीनें लगवाएंगे और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करेंगे।

10. दो हजार रुपये के प्रति लेन-देन पर लागू डिजिटल लेन-देन शुल्क/एमडीआर पर कोई सेवा कर नहीं लगेगा।
11. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा पर आरएफआईडी कार्ड/फास्ट टैग्स आदि का इस्तेमाल करके किये जाने वाले भुगतान पर वर्ष 2016-17 के लिए 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।

उपरोक्त उपायों से यह उम्मीद की जा सकती है कि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने के मौजूदा सरकार के फैसले से कम से कम समय में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके तथा वित्तीय साक्षरता का स्तर बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। ❑

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र का शुभारंभ

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक अंतर मंत्रालयी संयुक्त पहल के अधीन राजधानी में हाल में 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक अन्य पहल 'स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत' का भी शुभारंभ किया गया था।

'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' पहल का उद्देश्य

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्रमशः दो पूरक कार्यक्रमों- स्वच्छ भारत मिशन और कायाकल्प को मजबूत करना और उपलब्धियों का लाभ प्राप्त करना है। इस पहल के अधीन निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं:-

क पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 700 से अधिक ब्लॉकों को *खुले में शौच से मुक्त* (ओडीएफ) घोषित किया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधीन देश के *खुले में शौच से मुक्त* ब्लॉकों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के लिए 10 लाख रुपये आबंटित किए जाएंगे।

ख कायाकल्प के अधीन स्वच्छता और स्वास्थ्य सहित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कृत किया जाएगा। कायाकल्प के अंतर्गत पुरस्कृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले ग्राम पंचायत को उस जिले के लिए उल्लेखित किया जाएगा और जल्द-से-जल्द उसे *खुले में शौच से मुक्त* बनाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को एक साथ जोड़कर हम अस्पताल सुविधा की तरफ से स्वास्थ्य-सेवा की ओर प्रस्थान करेंगे, यानि कुल मिलाकर उन्नत स्वास्थ्य पर जोर देते हुए बीमारियों के उपचार से बीमारियों की रोकथाम पर जोर देना।

देश के 70 से अधिक जिले, 700 से अधिक ब्लॉक और 1.3 लाख से भी अधिक गांवों ने अब तक *खुले में शौच से मुक्त* का दर्जा प्राप्त कर लिया है तथा बहुत से अन्य इस लक्ष्य तक पहुंचने के करीब हैं। ❑

ई-विनिमयः सुरक्षा व स्वदेशी का सवाल

शिवानंद द्विवेदी

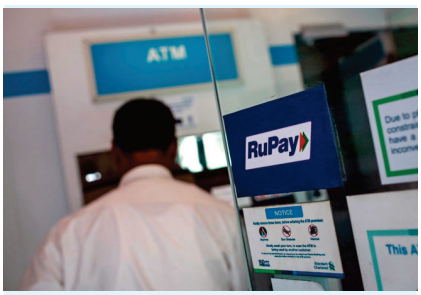

कार्ड के माध्यम से जो ई-विनिमय की प्रणाली विकसित हुई, उसको लेकर स्वदेशी और सुरक्षा का सवाल अहम है। इसी विनिमय प्रणाली को लेकर लोगों द्वारा सर्वाधिक चिंता व्यक्त की गयी है। इस चिंता की वाजिब वजहें हैं, जिनको समझना जरुरी है। काड्र्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को विदेशी कंपनियों के माध्यम से लेन-देन करना पड़ता है। चूंकि पहले बैंकों के पास यही विकल्प था और कोई भारतीय पेमेंट गेटवे सिस्टम नहीं होने की वजह से इन्हीं काड्र्स के माध्यम से लेन-देन करना पड़ता था। स्वदेशी के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल करना निश्चित तौर पर सराहनीय कदम कहा जाएगा

पुराने नोटों के अवैध होने के बाद नए नोटों की जमा और निकासी के लिए देश की जनता बैंकों में कतारबद्ध नजर आई। इसी दरम्यान नगदरहित एवं कमनगद विनिमय को लेकर सरकार द्वारा तमाम प्रयास शुरू कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आर्थिक लेन-देन में कम से कम नगदी का इस्तेमाल करने की अपील की गयी। हालांकि यह महज अपील तक सीमित कार्रवाई नहीं कही जा सकती है क्योंकि कमनगद को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए। हालांकि विमुद्रीकरण से पहले भारत में ई-विनिमय का चलन काफी हद तक एक वर्ग के बीच हो गया था लेकिन विमुद्रीकरण ने इसे मजबूरी की जरूरत के रूप में और व्यापकता में स्थापित करने का काम किया।

विमुद्रीकरण के बाद जब ई-विनिमय को ही मुख्यधारा की प्रणाली के रूप में विकसित करने की बहस चली तो इसके बहुआयामी पक्षों पर बहस शुरू हुई। बहस के केंद्र में दो मुद्दे अहम थे- पहला, सुरक्षा की गारंटी और दूसरा स्वदेशी का सवाल। ई-विनिमय के आलोचकों ने तर्क रखा कि क्या हम जिस ई-विनिमय को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वह पूरी तरह सुरक्षित है? दूसरा सवाल यह भी उठा कि ई-विनिमय के लिए जिन तकनीकी माध्यमों आदि का उपयोग किया जा रहा है, वे स्वदेशी हैं अथवा उनका नियंत्रण भारत के बाहर से किसी देश में है? पेटीएम सहित कुछ ई-विनिमय के एप आदि को लेकर यह बहस सोशल मीडिया पर भी लंबी चली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके धन की सुरक्षा का सवाल अहम है। सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में ई-बैंकिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करना कतई आसान नहीं हो पायेगा। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें उन माध्यमों पर एक नजर डालनी होगी जो वर्तमान में ई-विनिमय के लिए उपयोग में हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ई-विनिमय का दायरा किसी एक मोबाइल अथवा कंप्यूटर एप तक सीमित नहीं है। मसलन, पेटीएम और यूपीआई जैसे कुछ मोबाइल एप भर ई-विनिमय के माध्यम नहीं है। ई-बैंकिंग अथवा नगदरहित लेन-देन को कई माध्यमों से किया जा सकता है। जैसे- नेट-बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, यूपीआई, भीम एप, पेटीएम इत्यादि। वर्तमान में प्रत्येक बैंक, चाहें सरकारी हो अथवा निजी, नेट-बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ऑनलाइन लेन-देन के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियां पहले से काम कर रही हैं, लेकिन अब सरकार द्वारा भी इस दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे *रुपे* कार्ड का उदाहरण हो अथवा *भीम* की बात की जाए, दोनों को भारत सरकार द्वारा खूब प्रचारित किया जा रहा है।

सुरक्षित भी, स्वदेशी भी

वैसे तो बाजार की बुनियाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा पर टिकी होती है, लिहाजा उपभोक्ता की सुविधा और उसकी सुरक्षा की चिंता सेवा प्रदाता के लिए भी उतनी ही होती है, जितनी उपभोक्ता को होती है। यह पूर्णतया बाजार की मूल शर्तों पर टिकी व्यवस्था है। सुरक्षा एवं स्वदेशी के दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए हमारे लिए

लेखक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउन्डेशन में रिसर्च फेलो हैं एवं नेशनलिस्ट ऑनलाइन डॉट कॉम में संपादक हैं। ईमेलः saharkavi111@gmail.com

विनिमय की तकनीक आधारित प्रणालियों का अध्ययन करना जरुरी है। ई-विनिमय की समूची प्रणाली तीन प्रकारों में वर्गीकृत हो सकती है, जो निम्न हैं।

1. बैंक-टू-बैंक इंटरनेट विनिमय प्रणाली
2. कार्ड के माध्यम से विनिमय प्रणाली
3. ई-वॉलेट विनिमय प्रणाली

उपरोक्त तीनों विनिमय प्रणालियों पर विचार करते हुए ई-विनिमय में सुरक्षा और स्वदेशी ठीक से समझा जा सकता है। भारत में बैंक-टू-बैंक विनिमय प्रणाली अर्थात इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लगभग सभी बैंकों द्वारा दी जाती है। इसमें बैंकों की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, जिनके माध्यम से सारा ऑनलाइन लेन-देन किया जाता रहा है। यह प्रणाली थोड़ी लंबी जरुर है लेकिन इसका इस्तेमाल खूब होता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर इंटरनेट बैंकिंग की इस प्रणाली का विश्लेषण करने तो इसमें स्वदेशी और विदेशी की बहस नहीं आती है। चूंकि इसमें बैंक की वेबसाइट खुद बैंक की अपनी होती है और बैंक इसे अपने सर्वर के माध्यम से प्रबंधित कराते हैं, लिहाजा इसमें सुरक्षा की सारी जवाबदेही प्रत्यक्ष रूप से खाताधारक के बैंक की होती है।

कार्ड के माध्यम से जो ई-विनिमय की प्रणाली विकसित हुई, उसको लेकर स्वदेशी और सुरक्षा का सवाल अहम है। इसी विनिमय प्रणाली को लेकर लोगों द्वारा सर्वाधिक चिंता व्यक्त की गयी है। इस चिंता की वाजिब वजहें हैं, जिनको समझना जरुरी है। मूल रूप से जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा खाताधारकों को प्रदान किए जाते हैं, उनमें वीजा कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड शुरुआत से चलन में हैं। मेस्ट्रो और वीजा कार्ड विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित हैं। दोनों ही काड्र्स की कंपनी अमेरिका में स्थित है। लिहाजा इन काड्र्स का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को विदेशी कंपनियों के माध्यम से लेन-देन करना पड़ता है। चूंकि पहले बैंकों के पास यही विकल्प था और कोई भारतीय पेमेंट गेटवे सिस्टम नहीं होने की वजह से इन्हीं काड्र्स के माध्यम से लेन-देन करना पड़ता था। बेशक आम उपभोक्ता को इन तकनीकी जटिलताओं की व्यापक समझ न हो लेकिन इतना जरुर था कि यदि किसी बाहरी अर्थात थर्ड पार्टी के माध्यम से आपके खाते से लेन-देन हो रहा हो तो आपके खाते की जानकारियां उस कंपनी के साथ भी साझा होती होगी। स्वदेशी के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल करना निश्चित तौर पर सराहनीय कदम कहा जाएगा।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो चिंता जताई जा रही है, उसका दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए। यहां मूल चिंता इसी बात को लेकर है कि खाताधारकों का डाटा विदेशी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड कंपनियों के साथ साझा हो रहा है। अर्थात, संदेह और डर उन कंपनियों को लेकर है। इस डर पर बहस करते हुए हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिन कंपनियों द्वारा डेबिट/क्रेडिट काड्र्स में निवेश किया गया है और भारत के बैंकों को यह सर्विस प्रदान की जा रही है, उन कंपनियों को भी इस बात की उतनी ही चिंता होगी कि वो बेहतर सर्विस प्रदान करें ताकि उनका व्यापार उन्नतिशील, विश्वसनीय और सुरक्षित बने। ऑनलाइन बैंक खातों से लेन-देन में ज्यादातर गड़बड़ियां अथवा चोरी आदि के मामले हैकर्स द्वारा किए जाते हैं न कि उन कंपनियों की तरफ से कभी किसी के डाटा को गलत ढंग से इस्तेमाल कर उनके बैंक खाते से छेड़-छाड़ का मामला आता है।

भारत अपना पेमेंट गेटवे इजाद करने वाला, दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, चीन और जापान के पास ही थी। हालांकि अभी इस क्षेत्र में चुनौती यह है कि भारी संख्या में जो वीजा और मेस्ट्रो कार्ड खाताधारकों को दिए गये हैं, उनको जब तक हर खाताधारक को रुपे कार्ड नहीं उपलब्ध करा दिया जाता है तब तक इसको सौ फीसदी सफल नहीं माना जा सकता है।

हैंकिंग और ऑनलाइन चोरी जैसे मामलों के लिए सुरक्षा के अत्याधुनिक विकल्प दिन-प्रतिदिन इजाद किये जा रहे हैं और यह काम उन्हीं कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जो थर्ड पार्टी के रूप सेवा प्रदान कर रही हैं। लेकिन इस मुद्दे पर स्वदेशी तकनीक को आत्मनिर्भरता के लिहाज से बेहद जरुरी कदम माना जा सकता है। इस दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक शरुआत *रुपे डेबिट कार्ड* के रूप में की है। वर्ष 2011 में *भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम* (एनपीसीआई) द्वारा विकसित किया गया यह विनिमय कार्ड पूरी तरह से भारतीय भुगतान प्रणाली पर आधारित है। वर्ष 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस कार्ड की परिकल्पना की थी जिसे आगे चलकर अमलीजामा पहनाया गया। *रुपे* कार्ड को तैयार करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक एवं *भारतीय बैंक एसोसिएशन* द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को दी गयी थी, जिसे बहुत कम समय में निगम ने सफलतापूर्वक पूरा किया। तमाम अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से संपन्न यह कार्ड वर्ष 2014 के मई महीने में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा देश को समर्पित किया गया। अपना पेमेंट गेटवे इजाद करने वाला भारत, दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, चीन और जापान के पास ही थी। हालांकि अभी इस क्षेत्र में चुनौती यह है कि भारी संख्या में जो वीजा और मेस्ट्रो कार्ड खाताधारकों को दिए गये हैं, उनको वापस लेकर जब तक हर खाताधारक को *रुपे* कार्ड नहीं उपलब्ध करा दिया जाता है तब तक इसको सौ फीसदी सफल नहीं माना जा सकता है। लेकिन सकारात्मक पहल ये रही कि जारी होने के साथ ही देश के 17 बैंकों ने इस पहल को अपना समर्थन दिया। यह अपने आप में एक प्राथमिक सफलता कही जा सकती है। *प्रसार भारती* में आईटी सलाहकार भारत भूषण बताते हैं कि खुद के भुगतान गेटवे पर आधारित यह भारतीय कार्ड निश्चित तौर पर बेहद उपयोगी है लेकिन इसको सर्वसुलभ बनाते हुए हर खाताधारक तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। बैंकों द्वारा इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अतः आने वाले समय में भारत में कार्ड के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन की प्रक्रिया पूर्ण स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर हो सकेगी, इसकी संभावना जताई जा सकती है।

ई-वॉलेट और यूपीआई

ई-विनिमय के क्षेत्र में कार्ड और नेट बैंकिंग के अलावा ई-बटुए का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। विमुद्रीकरण के फैसले के

क्या आप जानते हैं?

विधि-मान्य मुद्रा

धन जमा किसी देश की मुद्रा के मूल्य को ऋणधन के लिए विनिमय और भुगतान के माध्यम के रूप में विधि द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां सभी मूल्यों की प्रचलित कागजी मुद्रा सामान्य तौर पर विधिमान्य हैं, वहीं एक देश से लेकर कई देशों में विधि-मान्य के रूप में स्वीकार्य मूल्य और सिक्के के रूप में धनराशि में अंतर है। इसे वैध मुद्रा भी कहा जाता है।

विधि-मान्य मुद्रा दो प्रकार की होती हैं:

1. *सीमित विधि-मान्य मुद्रा:* मुद्रा का वह रूप, जिसका भुगतान एक खास सीमा तक ऋण के निपटारे के लिए किया जा सकता है और इस सीमा के बाद कोई व्यक्ति भुगतान को स्वीकार करने से मना कर सकता है और उसके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। भारत में सिक्के सीमित विधि-मान्य मुद्रा हैं।
2. *असीमित विधि-मान्य मुद्रा:* धन के इस रूप में, जिसका भुगतान किसी भी धनराशि के ऋण के निपटारे के लिए किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस मुद्रा को स्वीकार करने से मना करता है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। कागजी रूपये/मुद्रा भारत में असीमित तौर पर विधि-मान्य है।

'विधि-मान्य' मुद्रा वह है, जो देश के कानून द्वारा ऋण के भुगतान के लिए इसे निश्चित तौर पर स्वीकार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार एकमात्र रिजर्व बैंक को नोटों को जारी करने का अधिकार है। इसमें बताया गया है कि 'प्रत्येक बैंक नोट उस पर लिखी गई धनराशि के भुगतान के लए भारत के किसी स्थान में विधि-मान्य होगा।'

विधि-मान्य दर्जे की मान्यता अथवा निरस्तीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागजी मुद्रा सरकार की मान्यता से अपने सभी मूल्य को धारण करता है। एक तथ्य यह भी है कि कागज के एक टुकड़े को मूल्य के एक माध्यम अथवा विनिमय और संचय के रूप में कार्य करने के लिए जनता की ओर से प्रश्नरहित स्वीकार्यता आवश्यक है। इसे तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केंद्र द्वारा प्रस्तुत मुद्रा को एक समकक्ष धनराशि के रूप में ऐसी कागजी मुद्रा पर 'धारक को भुगतान' करने का वचन देने की घोषणा की जाए।

गैर-विधि-मान्य मुद्रा: मुद्रा का वह रूप जिसे सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है। किंतु वैधानिक तौर पर इसे स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय बिल, पोस्टल आर्डर आदि इस का उदाहरण हैं, जो विधि-मान्य नहीं है और इन्हें केवल ऋणदाता, ऋणी अथवा विक्रेता की इच्छा पर स्वीकार किया जाता है। इसे ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता हैं, क्योंकि विधि-द्वारा इसे समर्थन प्राप्त नहीं है तथा इसकी स्वीकार्यता ऐच्छिक है। ❑

बाद ई-बटुए का इस्तेमाल कई गुना दर्ज किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ ई-बटुए का जिक्र करें तो पेटीएम, मोबिक्विक, एयरटेल मनी, ओला मनी इत्यादि निजी कंपनियों के ई-बटूओं चलन में आये तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा लाया गया *भीम* एप भी एक किस्म का ई-बटूआ है। इसी क्रम में बैंकों ने *यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस* (यूपीआई) एप शुरू किया है। इस एप को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अप्रैल 2016 में शुरू किया था। फिलहाल यह एप 21 से ज्यादा बैंकों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

ई-विनिमय की इस प्रणाली में भी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सवाल पर यदि गौर करें तो *भीम* एप पूर्ण रूप से भारतीय है एवं यूपीआई सिस्टम भी भारतीय है। इस एप को हाल में ही प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को लांच किया, जो कि शुरुआत में ही बेहद लोकप्रिय साबित हुआ है। पेटीएम भी एक भारतीय ई-वॉलेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। इस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो *भीम* और *पेटीएम* एप बेहद कारगर ढंग से काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि तकनीकी दिक्कतों की चुनौतियां भी इसी क्रम में सामने आई हैं, लेकिन वो सभी चुनौतियां स्वाभाविक हैं। उनको लेकर असुरक्षा का वह खतरा नहीं पैदा होता है, जिसमें कि डाटा लीक होने की बात कही जा रही है।

ई-विनिमय के क्षेत्र में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का सवाल इस आधार पर अवश्य अहम है कि हम तकनीकी रूप से कितने सुरक्षित एप अथवा इंटरफेस तैयार कर पा रहे हैं। हमारी इंटरनेट सुरक्षा की तकनीक बेहद मजबूत और अभेद हो इसको लेकर भी चिंता वाजिब है। मगर यह चिंता उतनी सार्थक एवं व्यावहारिक नहीं नजर आती कि किसी थर्ड पार्टी की मदद से अगर ई-विनिमय का काम हो रहा है तो वह हमारे लिए खतरा है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब बाजार की अनिवार्यता और प्रतिस्पर्धा से जवाबदेही और गुणवत्ता की स्वीकार्यता बढ़ रही है, ऐसे में बाहरी बनाम स्वदेशी की बहस बाजार के मूल चरित्र के प्रतिकूल नजर आती है। बाजार में जब कोई निवेशक आएगा तो वह अपनी विश्वसनीयता की सुरक्षा के हर संभव उपाय खुद करेगा। यह चिंता करना उतना व्यावहारिक एवं उपयोगी नहीं प्रतीत होता है। ❑

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान...

ISO 9001 : 2008 Certified

IAS PCS

GS World

Committed to Excellence

Distance Learning Programme

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

30 Booklets ₹ 12,500/-

Niraj Singh
(Managing Director)

IAS : 2017-18

Divyasen Singh
(Co-ordinator)

सामान्य अध्ययन

दिल्ली केन्द्र

फाउंडेशन बैच

15

निःशुल्क कार्यशाला

FEBRUARY

06:30 PM

इलाहाबाद केन्द्र

Complete Preparation for IAS/PCS

GS Foundation Batch

14 FEBRUARY

05:00 PM

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन

Gateway Batch/UP Special

13 FEBRUARY

8 AM /5 PM

जयपुर केन्द्र

IAS/RAS Foundation Batch

14 FEBRUARY

8 AM /5 PM

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph.: 011-27658013, 7042772062/63	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

बाजार के सहयोग से बनेगी नगदरहित अर्थव्यवस्था

अविनाश चंद्र

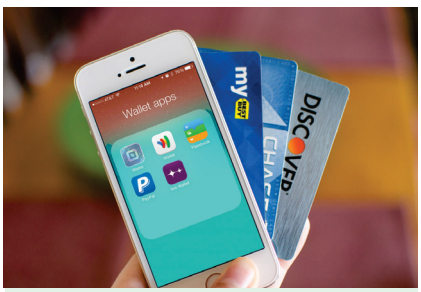

नगदरहित अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने की जमीन बाजार द्वारा कमनगद प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है। सरकार, बाजार के कार्य करने की प्रोत्साहित करने वाली प्रणाली को आत्मसात कर लोगों को खुशी खुशी नगदरहित अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित कर सकती है। इसके लिए उसे सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में कड़े कानून, त्वरित निपटारे, विनिमय शुल्क को न्यूनतम अथवा समाप्त करने, देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को तेज करने जैसे कुछ मूलभूत कदम उठाने होंगे

तमाम व्यावहारिक दिक्कतों के बावजूद बाजार द्वारा देश में नगदरहित अर्थव्यवस्था की ठोस नींव रखी जा चुकी है। अब आवश्यकता है कि सरकार उस नींव के सहारे अपने बहु-उद्देशीय और महत्वकांक्षी योजना वाले भवन का निर्माण करे।

8 नवंबर की शाम 500 और 1000 के नोट को कानूनी लेन-देन की प्रक्रिया को (लीगल टेंडर) के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद से विमुद्रीकरण और नगदरहित अर्थव्यवस्था जैसे भारी भरकम माने जाने वाले विषय पर होने वाले गंभीर विमर्श का दायरा आर्थिक विशेषज्ञों और बौद्धिक समूहों के गोलमेज सम्मेलन से बाहर निकलकर हर आम-ओ-खास द्वारा नुक्कड़-चौराहों पर होने वाली चर्चा तक विस्तारित हो गया। नगदरहित अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री की दृष्टि जहां स्पष्ट है और वह इसे समानांतर चलने वाली भ्रष्टाचार आधारित अर्थव्यवस्था, आतंकवाद की फंडिंग और फर्जी मुद्रा *जाली नोटों* की समस्या को साधने के उपाय के तौर पर देखते हैं वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों के मन में इसकी सफलता को लेकर संशय भी है। मूलरूप से यह संशय देश में नगदरहित अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी को लेकर है। हालांकि बाजार ने इन्हीं कम संसाधनों के बावजूद कमनगद की परिकल्पना को काफी हद कमनगद अर्थव्यवस्था तक साकार करते हुए सरकार को देश की नगदरहित आधारित अर्थव्यवस्था को नगदरहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए मजबूत लांचपैड उपलब्ध करा दिया है। आज ठीक वैसी ही बदलाव की स्थिति है जैसी कि देश में निजी बैंकों के प्रवेश के बाद बैंकिंग क्षेत्र की हुई थी। निजी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं को हिचकते हुए ही सही सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी आत्मसात किया और उसका परिणाम सबके सामने है।

आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र के 26 बैंकों, निजी क्षेत्र के 20 बैंकों, 43 विदेशी बैंकों, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 1,589 शहरी सहकारी बैंकों व 93,550 ग्रामीण सहकारी बैंकों से सुज्जित है। सितंबर 2016 तक *नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों* (एनबीएफसी) द्वारा देश में कुल 55.27 यूएस डॉलर का ऋण वितरीत किया जा चुका था। यह क्षेत्र 25 प्रतिशत वार्षिक दर की गति से विस्तारित हो रहा है और विगत तीन वर्षों के दौरान एनबीएफसी ने सफलता की नई ऊंचाईयों को छुआ है।

आरबीआई द्वारा वर्ष 2012 में नॉन बैंकिंग संस्थाओं को व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लूएलए) स्थापित करने की अनुमति वाले प्रावधान के बाद *इंडिकैश* नामक कंपनी ने अक्तूबर 2016 तक देश भर में 21000 से अधिक डब्लूएलए स्थापित किए गए। अच्छी बात यह है कि अन्य बैंकों के द्वारा मुख्यत: शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एटीएम के इतर ये डब्लूएलए अधिकतर छोटे शहरों अथवा ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन मशीनों से किसी भी बैंक के एटीएम कार्डधारियों को पैसे निकालने की सुविधा होती है।

पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज, जस्टपे, ऑक्सीजेन जैसे ऐप सहित लगभग सभी बैंकों

लेखक पॉलिसी थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी से जुड़े हैं और www.azadi.me के संपादक है। शिक्षा, लोक नीतियों और बाजार मामलों में इनकी विशेष रूची है। इन्होंने *मोरालिटी ऑफ कैपिटलिज्म, पीस, लव, लिबर्टी, पब्लिक च्वाइस* आदि पुस्तकों का अनुवाद किया है और समय समय पर विभिन्न टीवी चैनलों पर चर्चा-परिचर्चा में शामिल होते रहते हैं। ईमेल: avinash@ccs.in

देशवासियों को ऑनलाइन विनिमय के माध्यम से ई-कॉमर्स की सुविधा यानि कि किसी वस्तु की खरीद फरोख्त अथवा सेवा हासिल करने से रूबरू कराने का श्रेय भारतीय रेल की आईआरसीटीसी सेवा को जाता है। वर्ष 2002 में आईआरसीटीसी ने रेल टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। आईआरसीटीसी की यह सेवा क्रांतिकारी साबित हुई।

द्वारा आज ऑनलाइन विनिमय और डिजिटल बटुए को प्रोत्साहित करते देखे जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) एटीएम की संख्या के मामले में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है जबकि भारत में इसकी शुरूआत 1996 में निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ऑनलाइन विनिमय के साथ की गई थी। इसकी सफलता और लोकप्रियता के बाद सभी बैंकों ने अपने यहां ऑनलाइन विनिमय सेवा शुरू की। इस माध्यम से पैसों का लेन-देन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण इत्यादि का काम काफी आसान हो गया। देशवासियों को ऑनलाइन विनिमय के माध्यम से ई-कॉमर्स की सुविधा यानि कि किसी वस्तु की खरीद फरोख्त अथवा सेवा हासिल करने से रूबरू कराने का श्रेय भारतीय रेल की आईआरसीटीसी सेवा को जाता है। वर्ष 2002 में आईआरसीटीसी ने रेल टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की। आईआरसीटीसी की यह सेवा क्रांतिकारी साबित हुई। उड्यन क्षेत्र में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सेवा प्रदान करने का पहल निजी क्षेत्र की हवाई कंपनी एयर डेक्कन ने सबसे पहले की। जिसके तुरंत बाद इंडियन एयरलाइंस ने भी यह सेवा शुरू कर दी। बाद में मेकमायट्रिप, यात्रा, रेडबस आदि कंपनियों ने ऑनलाइन माध्यम से होटल बुकिंग, बस बुकिंग आदि की सेवाएं प्रदान करनी शुरू की। नगदरहित माध्यम से खरीद फरोख्त के इस शुरूआती दौर में उपरोक्त सभी सेवाओं को हासिल करने के लिए बैंक के डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड की सहायता लेनी पड़ती थी।

वर्ष 2007 में देश में निजी क्षेत्र की कंपनी फ्लिपकार्ट का आगमन हुआ और ई-टेलिंग के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस कंपनी ने देश में खरीददारी के परंपरागत तरीके को एक झटके में बदल दिया। इस कंपनी ने माल को दुकानों और शो-रूम से निकालकर लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंचा दिया। यह तरीका भी इतना सफल हुआ कि फ्लिपकार्ट के बाद एमेजन, स्नैपडील, जाबोन्ग, ई-बे जैसी अनेक कंपनियों की झड़ी लग गई। वर्ष 2010 में ओला व इसके बाद आयी ऊबर जैसी ऐप आधारित कैब कंपनियों ने भी बाद में *ओलामनी* व अन्य ऐप आधारित बटुए से किराया अदा करने की सुविधा शुरू कर नगदरहित यात्रा कराने का काम शुरू किया। वर्ष 2010 में ही भारतीय उद्यमी विजय शेखर शर्मा ने नोएडा से पेटीएम नामक ऐप आधारित बटुए का काम शुरू किया। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल स्क्रीन से डिजिटल भुगतान कहीं भी कभी भी करने की सुविधा मिली। इसके बाद तमाम अन्य ऐप आधारित वॉलेट कंपनियों का उद्भव हुआ। इस सुविधा की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों की सेवाओं को हासिल करते हुए लोगों ने वर्ष 2015-16 में 22.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लेन-देन कर लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2022 तक लेन-देन का यह आंकड़ा 4.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस आंकड़े में नोटबंदी के कारण मजबूरी में डिजिटल भुगतान की ओर रूख करने वाले लोगों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है।

इन सभी सुविधाओं की देन है कि वित्त वर्ष 2015 के दौरान नगदरहित लेन-देन की मात्रा ने *चेक* के माध्यम से होने वाले लेन-देन को पीछे छोड़ दिया। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान चेक के माध्यम से जहां देश में 85,43,414 करोड़ *1.33 ट्रिलियन यूएस डॉलर* का लेन देन हुआ वहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी व ऑनलाइन वैलेट आदि के माध्यम से 92,02,892 करोड़ *1.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर* का लेन-देन हुआ। इस प्रकार उक्त वित्त वर्ष में 177,46,306 करोड़ *2.76 ट्रिलियन यूएस डॉलर* की भारी भरकम धनराशि का लेन-देन नगदरहित माध्यम से हुआ। ये आंकड़ें अपने आप में प्रोत्साहित करने वाले हैं। नगदरहित लेन-देन की इस प्रक्रिया में सर्वाधिक 71 प्रतिशत हिस्सेदारी ई-टेलिंग कंपनियों की रही। इसमें से 27 प्रतिशत लेन-देन कार्ड के माध्यम से किए गए। विभिन्न मोबाइल वैलेट के माध्यम से 1 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का लेन-देन किया गया। बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 5 वर्षों में देश में लेन-देन के लिए स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 100 गुने से ज्यादा की वृद्धि का अनुमान है। इंटरनेट सेवाओं में सुधार के साथ इसकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है। वित्त वर्ष 2015 के दौरान मोबाइल वैलेट से जिस एक लाख करोड़ रूपए की धनराशि का लेन-देन हुआ उसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच सेवा रिचार्ज, मूवी टिकट की बुकिंग अथवा यात्रा टिकटों की बुकिंग के लिए किए गए भुगतान की रही। काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहने वाले लोगों द्वारा अपने परिजनों को पैसा भेजने के लिए भी मोबाइल वैलेट के इस्तेमाल में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। इसी

भारत में भुगतान उद्योग मुख्यतः दो भाग में बंटा हुआ है। मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट। मोबाइल बैंकिंग में जहां आईसीआईसीआई, एचडीएफसी व एसबीआई जैसे बड़े बैंकों का दबदबा है वहीं मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं जैसे एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन इत्यादि के साथ साझेदारी कर सेवा प्रदान कर रहीं हैं।

प्रकार, मोबाइल कॉमर्स अर्थात मोबाइल के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देन में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्तमान में ई-टेलिंग कंपनी *स्नैपडील* के प्लेटफार्म पर मोबाइल के माध्यम से खरीद फरोख्त करने वालों की तादात 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह तादात 5 प्रतिशत तक ही थी। ऐसा ही कुछ *फ्लिपकार्ट* प्लेटफॉर्म के साथ भी है जहां मोबाइल के माध्यम से लेन देन करने वालों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो चुकी है।

पृष्ठ 52 पर जारी...

रीमोनीटाइजेशनः अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर

पूर्णिमा शर्मा

इसे डिजिटल क्रांति का एक और चरण माना जा सकता है। क्योंकि अब डिजिटल होना विकल्प नहीं प्राथमिक जरुरत बन गया है। यहीं जरुरत भारत को डिजिटल कदमों से तरक्की के एक और पायदान पर ले जाएगी। इंटरनेट के लिए बिजली की जरुरत होती है और भारत पिछले ढ़ाई साल से ही अपने लक्ष्यों में स्पष्ट है, मौजूदा सरकार 2019 तक देश के कोने-कोने तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है

रीमोनीटाइजेशन यानि मुद्रा का बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के बदलाव की शुरुआत है, या कह सकते हैं कि यह घटना भारत में गेमचेंजर साबित होगी।

कई मामलों में शुरुआती तकलीफ दूरगामी सुखद परिणाम देने का आगाज भी है। इस बार सरकार ने राजनीति को ताक पर रखकर आम आदमी के हक में फैसला लेने का जोखिम उठाया है। इस योजना के विरोधी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी परवाह नहीं की। विरोधी राय रखने वालों ने कई कहानियां गढ़ी कि ये हड़बड़ी में उठाया गया कदम है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। लेकिन विरोध में दिए गए ये तर्क तथ्यों की रोशनी में बेअसर साबित हो रहे हैं।

साल के अंत तक हालात धीरे-धीरे सामान्य होते दिखे। रीमोनीटाइजेशन के खिलाफ कई तर्क दिए गए। बैंक से पैसा निकालने की सीमा को लेकर भी तर्क दिए गए, लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि आम आदमी एक हफ्ते में 24 हजार रुपये और महीने में करीब एक लाख या 96 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करता है। धीरे-धीरे बैंकों के बाहर लाइने भी कम हुई और अब स्थिति करीब-करीब सामान्य हो रही है और इसी के साथ नए साल में एक नया आर्थिक सुधार देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने चल पड़ा है।

रीमोनीटाइजेशन के विरोध का स्वर कुछ वैसा ही है, जैसा कि कंप्यूटरीकरण के शुरुआती दौर में हुआ था। अस्सी के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब आधुनिकता से कदम मिलाने के लिए भारत में कंप्यूटरीकरण की शुरूआत की तो विरोध में यह तर्क दिया गया कि भारत इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहां शिक्षा का स्तर नीचा है। साथ ही यह तर्क भी आया कि एक कंप्यूटर कई हाथों का काम छीन लेगा और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज ये सारी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं। कंप्यूटरीकरण के विरोधी भी अब धड़ल्ले से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी नए विचार का विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और दूरदृष्टि रखने वाला कोई प्रशासक ही इसके पार देख पाता है।

प्रधानमंत्री रीमोनीटाइजेशन के जरिए जिन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, वे बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। पुराने नोट रद्द करने के पीछे मुख्य लक्ष्य कालेधन की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद की कमर तोड़ना और नशीले पदार्थों के धंधे पर काबू पाना है। अब तक यह प्रक्रिया इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सफलतापूर्वक चल रही है। यही वजह है कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद भारत की आम जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। ऐसे मिलते-जुलते प्रयास करने पर दुनिया के कई देशों में व्यापक उथल-पुथल हो चुकी है। वहीं, भारतीय जनता ने आमतौर पर सरकारी प्रयासों का स्वागत किया है। बैंक कर्मचारियों से लेकर बैंकों के ग्राहकों और कारोबारियों ने इन प्रयासों के महत्व को स्वीकार किया है।

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। गत 15 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। आज तक, जी बिजनस, डीडी न्यूज जैसे संस्थानों के साथ काम किया है। नीति, शासन व सामाजिक न्याय जैसे विषयों में रुचि है। ईमेलः sharmapurnima1@gmail.com

प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें लोगों के अपने घर के सपने को उनकी पहुंच से दूर कर रही थी। रीमोनीटाइजेशन के इस कदम के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में जहां कालाधन लगा था, वहां तेज गिरावट देखी गई। प्रॉपर्टी खरीद में सफेद धन के साथ कालेधन के लेन-देन को स्वाभाविक माना जाने लगा था।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी और यह सब अचानक हो गया। देश को नगदरहित बनाने की महायोजना की तैयारी के क्रम में देश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के जरिए करीब 25 करोड़ नए बैंक खाते खोले जा चुके है। यानि हर घर को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब कहा जा सकता है कि अमूमन हर घर में एक बैंक खाता है। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार रोकने का यह रामबाण उपाय है क्योंकि इसमें मध्यस्थ यानि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। इन खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के कारण भी सरकारी पैसा लक्षित व्यक्ति तक ही पहुंचेगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है। ऐसे में बैंकिंग सेवाएं हर घर की पहुंच में है और अब अगला कदम डिजिटल बैंकिंग को लोगों तक पहुंचाना है। रीमोनीटाइजेशन के कदम को विस्तार से देखें तो लंबी अवधि में ये कई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है।

सबसे पहले नजर डालते हैं आम आदमी के घर के सपने पर। देखा जाए तो घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा था। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें लोगों के अपने घर के सपने को उनकी पहुंच से दूर कर रही थी। रीमोनीटाइजेशन के इस कदम के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में जहां कालाधन लगा था, वहां तेज गिरावट देखी गई। प्रॉपर्टी खरीद में सफेद धन के साथ कालेधन के लेन-देन को स्वाभाविक माना जाने लगा था। इस वजह से कालेधन के स्वामी एकाधिक बेनामी संपत्ति खरीद पा रहे थे। नतीजतन, प्रॉपर्टी बाजार में कृत्रिम मांग पैदा हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप घर खरीदना महंगा हो गया था। अब आम लोगों के लिए अपने आशियाने का सपना साकार करने की दिशा में ये बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रापर्टी मार्केट पर इसका खासा असर पड़ा है और आम आदमी के लिए ये एक अच्छी खबर है। रीमोनीटाइजेशन के बाद, अब ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी अभी और संतुलित होगी।

जब हम नगदरहित होने की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम कहां है। यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां नगद जीडीपी का करीब 2-3 प्रतिशत ही है जबकि हमारे देश में नगद जीडीपी का 12.5 प्रतिशत है। और इस अंतर को पाटने के लिए कुछ कड़े कदमों की जरुरत थी, क्योंकि बदलाव अपने आप नहीं होते। कई बार सकारात्मक दूरगामी परिणामों के लिए उन्हें सख्ती से लागू करना पड़ता है। अगर गौर करें तो देखेंगे कि हर अवैध काम नगद में ही होता आया है। देश के नगदरहित की दिशा में उठते कदमों ने कई अपराधियों के हाथ से हथियार छीन लिए हैं। इस दौरान, चाहे कश्मीर में आतंकवाद की बात हो या फिर ड्रग्स या मानव तस्करी की, रीमोनीटाइजेशन ने कई बड़े अपराधों की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी। कालेधन का कारोबार, कर चोरी जैसे कई अपराध नगद की पनाह में ही जन्म लेते थे क्योंकि नगद का कोई सबूत नहीं होता।

दूसरी ओर ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब देश में डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार होगा। डिजिटल सेवाओं क्षेत्र में विस्तार से वहां नौकरियां भी बढ़ेंगी। क्योंकि अब देश के हर गांव-गांव तक इंटरनेट-मोबाइल पहुंचाना होगा। इसे डिजिटल क्रांति का एक और चरण माना जा सकता है। क्योंकि अब डिजिटल होना विकल्प नहीं प्राथमिक जरुरत बन गया है। यहीं जरुरत भारत को डिजिटल कदमों से तरक्की के एक और पायदान पर ले जाएगी। इंटरनेट के लिए बिजली की जरुरत होती है और भारत पिछले ढ़ाई साल से ही अपने लक्ष्यों में स्पष्ट है, मौजूदा सरकार 2019 तक देश के कोने-कोने तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

अब तक पिछली किसी भी सरकार ने अर्थव्यस्था को नगदरहित बनाने की दिशा में नहीं सोचा था। लेकिन पहली बार देश में ऐसा साहसिक कदम उठाया गया। परिवर्तन के इस मोड़ पर, हम एक ऐसे युग में कदम रखने जा रहे हैं जहां हमें तकनीक को चुनौती नहीं सहायक के रूप में देखना और समझना होगा। इसे देश में डिजिटल विस्तार की नई लहर कह सकते हैं। जैसे-जैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता रहा है हमें अपनी आईटी अवसंरचना भी मजबूत करनी होगी, इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार करना होगा, नई ब्रॉडबैंड की लाइन्स बिछानी होंगी जिसमें गुणवत्ता और गति भी बढ़िया हो। रीमोनिटाइजेशन के बाद डिजिटल इंडस्ट्री का भी तेजी से विस्तार होगा। इस समय भारत में 36 प्रतिशत क्षेत्र तक ही इंटरनेट की पहुंच है, हमें जल्द से जल्द इंटरनेट सूदूर इलाकों तक पहुंचाना है।

देश के नगदरहित की दिशा में उठते कदमों ने कई अपराधियों के हाथ से हथियार छीन लिए हैं। इस दौरान, चाहे कश्मीर में आतंकवाद की बात हो या फिर ड्रग्स या मानव तस्करी की, रीमोनीटाइजेशन ने कई बड़े अपराधों की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी। कालेधन का कारोबार, कर चोरी जैसे कई अपराध नगद की पनाह में ही जन्म लेते थे क्योंकि नगद का कोई सबूत नहीं होता।

बदलाव के साथ, हमें अपने संसाधन बढ़ाने हैं, आम लोगों के डिजिटल विनिमय सिखाना होगा। ऐसे में हमें डिजिटल उद्योगों के लिए और हाथों की जरुरत होगी- यहां नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। यहां कॉरपोरेट क्षेत्र को आगे आकर अपना सीएसआर या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साधनों का प्रयोग देश को डिजिटल मजबूती देने के लिए करना चाहिए। अब देश में ज्यादा डिजिटल प्रोजेक्टस पर काम करने की आवश्यकता बढ़ गई है, और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और सिखाने की भी। कुल मिलाकर रीमोनिटाइजेशन देश हित में उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे, आर्थिक सुधारों की दृष्टि से इसे लंबी रेस का घोड़ा कहा जा सकता है। ❑

नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन से गरीब कल्याण

स्वदेश सिंह

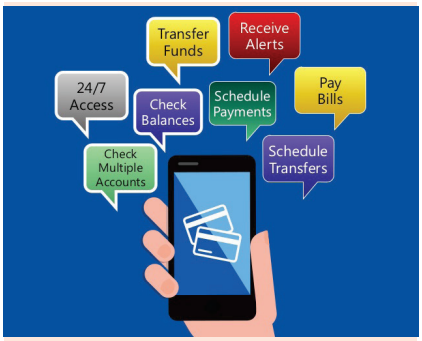

नोटबंदी अभियान और बाद में देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के कदम से कालाधन रखने वालों, नकली नोटों का कारोबार करने वालों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर उनका नुकसान हो रहा है तो लाभ किसका होगा। ये लाभ अब समाज के अंतिम तबके तक सीधे और बड़ी मात्रा में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कालाबाजारियों और भ्रष्ट लोगों को दुश्मन करार देते हुए कहा कि अगर दुश्मन भागेगा तो हम उसे दौड़ कर पकड़ेंगे। अगर वो अपनी रणनीति बदलेगा तो हम अपनी रणनीति भी बदलेंगे

आजादी के बाद शायद ही ऐसी कोई नीति, कार्यक्रम या अभियान हो जिसने हर एक आम भारतीय के जीवन पर इतना सीधा असर डाला हो। जितना विमुद्रीकरण ने डाला है। विमुद्रीकरण या नोटबंदी का अभियान, केंद्र सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका हर भारतीय के जनजीवन पर खासा असर पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने इसे असफल भी बताया है। वहीं बहुत से लोगों ने इसे गेम चेंजर भी कहा है और इसके कई लाभ भी गिनाएं हैं। शुरुआती रुझानों और प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर, 2016 के भाषण से पता चलता है कि इस अभियान के दूरगामी परिणाम होंगे।

नोट जमा करने की अवधि खत्म होने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री की घोषणाओं ने साफ कर दिया कि नोटबंदी का सीधा लाभ इस देश के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग तक पहुंचेगा। उन्होंने निम्न घोषणाएं कीं-

- छोटे व्यापारियों के लिए लघु उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट की सीमा 20 से बढ़ाकर 25 फीसदी।
- जो व्यवसायी डिजिटल लेन-देन करेंगे उनके लिए वर्किंग कैपिटल लोन 20 से बढ़ाकर 30 फीसदी।
- मुद्रा योजना के तहत होने वाला कुल धन आवंटन दोगुना होगा जिसके तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता।
- जिन किसानों ने रबी की फसल के लिए लोन ले रखा था उन्हें ऋण से 60 दिन की छूट।
- नाबार्ड कोष में सरकार 20000 करोड़ रुपए देगी, जिससे किसानों को सस्ती दर पर उधार मिल सके।
- 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे डेबिट कार्ड में बदला जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों की संख्या में 33 फीसदी वृद्धि।
- शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 लाख तक के लोन पर 4 फीसदी और 12 लाख तक के लोन पर 3 फीसदी की छूट।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख तक लोन लेकर घर बनाने पर 3 फीसदी की छूट।
- वरिष्ठ नागरिक द्वारा 7.5 लाख रुपए तक जमा करने पर अगले दस साल तक 8 फीसदी की दर से ब्याज।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपए तक की मदद।

नोटबंदी का उद्देश्य

नोटबंदी को समग्रता में समझे जाने की जरूरत है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार मिटाने के साथ-साथ समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीब आदमी का कल्याण था। सरकार ने इस दिशा में बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था। केंद्र में सरकार आने के तुरंत बाद कैबिनेट ने पहला निर्णय जहां कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का लिया, वहीं स्वैच्छिक आयकर योजना, जनधन योजना, ब्लैकमनी एक्ट, डीआरटी संशोधित लॉ, बेनामी सम्पत्ति एक्ट जैसे कानूनों को पास करके कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यवस्थागत एवं कानूनी प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए कदम उठाये गए। देश में जीएसटी कानून के भविष्य में कुशल उपयोग के लिए और कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक हैं। जेएनयू और आईआईएमसी, नई दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद कई मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं। सामाजिक-राजनैतिक विषयों पर शोधपरक लेखन। ईमेल : swadesh171@gmail.com

लिए विमुद्रीकरण आवश्यक था। आज देश में बैंकों के पास ऋण देने के लिए पहले से ज्यादा पैसा है और ब्याज दरें नीचे गिर रही हैं। अब अनौपचारिक और औपचारिक, दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठीक तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे राज्यों और केंद्र को अधिक आय होगी और हम एक साफ और बढ़ी हुई जीडीपी की तरफ बढ़ेंगे।

विमुद्रीकरण से पहले कालाधन जमा कराने की जो मुहिम शुरू की गई, उसके तहत करीब 62 हजार करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया। 8 नवबंर, 2016 को नोटबंदी लागू हुई, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। सरकार ने पूरे अभियान के दौरान दो बातों पर जोर दिया- नकली नोट और कालेधन को बाहर निकाल कर भ्रष्टाचार कम करना और नगदरहित लेन-देन की तरफ आगे बढ़ना। हम कह सकते हैं कि जिस मात्रा में देश में कालाधन था और कर के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या जितनी कम थी उसे ठीक करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाने जरूरी थे। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। नोटबंदी कालेधन और नकली नोटों का कारोबार करने वालों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इससे उन लोगों का मनोबल टूटा है, जो कालेधन और नकली नोटों से एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाकर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था के साथ ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे।

नोटबंदी का असर

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से 86 प्रतिशत करेंसी नोट बंद हो गए। इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के सामने की लंबी कतारों में खड़े आम लोगों, छोटे व्यापारियों और पर्यटकों को परेशानी तो झेलनी पड़ी। सरकार के इस निर्णय से हमारी नगदी अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा। नवंबर और दिसंबर के महीने में लोगों को नगदी की समस्या भी झेलनी पड़ी।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जल्द से जल्द नगदी की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन कई स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण इसमें थोड़ा समय लगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय स्थिरता की अर्धवार्षिक रिपोर्ट की भूमिका में लिखा कि हम सबको विमुद्रीकरण के कारण थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं लेकिन लंबे समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये अभियान घरेलू अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगा।

एक साक्षात्कार के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर के बारे में बताते हुए कहा कि इस अवधि में प्रत्यक्ष कर में 14.4 फीसदी, अप्रत्यक्ष कर में 26.2 फीसदी, केंद्रीय आबकारी कर में 43.3 फीसदी और सीमा कर में 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बीमा, पर्यटन, पेट्रोलियम और म्यूचुअल फंड के कारोबार में भी गुणात्मक बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले साल की तुलना में रबि की फसल की बुआई में भी 6.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

ऐसा माना गया कि नोटबंदी के कदम से कश्मीर में आतंकवादियों, छत्तीसगढ़ में माओवादियों और पाकिस्तान से नकली नोटों का कारोबार करने वालों को गहरा धक्का लगेगा क्योंकि ये सारी गतिविधियां कालेधन या नकली नोटों के माध्यम से ही अंजाम दी जाती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में नकली नोट छापने वाले दो प्रेस बंद हुए, कश्मीर में हो रही हिंसा में 60 फीसदी की कमी आई और हवाला के कामकाज में भी 50 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है।

संसाधन जितना नीचे तक, जितनी अधिक मात्रा में पहुंचेंगे सामाजिक न्याय उतना ही सुनिश्चित होगा। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री ने वितरणीय न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का ये कारगर कदम उठाया है।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विमुद्रीकरण के इस कदम का एक मुख्य लक्ष्य भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था पर घातक चोट पहुंचाना था, जो सरकारी खजाने और घरेलू अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। संजय मूकीम जोकि बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच में अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि ये समानांतर अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद का करीब 25-30 फीसदी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कालेधन की अर्थव्यवस्था की तरफ जाने वाले धन में कमी आएगी और वो औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी।

छोटी अवधि का एक लाभ ये भी हुआ है कि एक तरफ लोग बैंकों में पुरानी करेंसी जमा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नकद निकासी की सीमा निर्धारित कर दी गई है जिससे बैंकों के पास भारी मात्रा में नगद जमा हो गया है। इसकी वजह से बैंकों ने तमाम तरह की रियायतें देनी शुरू कर दी हैं और अब सस्ती दर पर लोन मिल रहे हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य ने एक साक्षात्कार में कहा कि लोन की दर जल्द ही और कम होगी। एक अन्य बड़े बैंक के अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि सरकार द्वारा डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन दिए जाने से बैंकों में नगदी हमेशा बनी रहेगी। इस कदम से कालाधन अब बैंकों में आ जाएगा, जिससे ना सिर्फ सरकार की देनदारी घटेगी, बल्कि सरकार का कोष भी बढ़ेगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए नोटबंदी के कदम की सराहना की है और कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को अब नगदरहित लेन-देन की दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए। नगदरहित व्यवस्था के दम पर भारत एक बड़े बदलाव का साक्षी बन सकता है। एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन टिरोल ने भी सरकार के कदम को सही बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने नोटबंदी करके भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की है।

डिजिटल लेन-देन

आज देश में 107 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है, 147 करोड़ बैंक अकाउंट में से 117 करोड़ सेविंग अकाउंट एवं 25 करोड़ जनधन अकाउंट है। 35 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, 40 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर से खातों का जुड़ाव एवं 75 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड भारत की डिजिटल कारोबारी व्यवस्था के विकास हेतु एक सक्षम प्लेटफार्म है। केंद्र सरकार द्वारा नगदरहित लेन-देन बढ़ाने के लिए भीम ऐप, यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस एवं रुपे-कार्ड के प्रयोग को बढ़ाना एक अच्छा कदम है।

इसलिए नोटबंदी के बाद सरकार ने नगदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने का जिम्मा उठाया जिसके तहत लोगों को डिजिटल लेन-देन करने पर तरह-तरह की रियायतें दी जा रही हैं। लोगों को जब नगदरहित लेन-देन

की आदत पड़ने लगेगी तो पैसा बैंकों में ही रहेगा इससे बैंक लोगों को अतिरिक्त लाभ पहुंचा सकेंगे। नगदरहित लेन-देन से लंबे समय में कई फायदे होंगे जो समय के साथ ही दिखेंगे। इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, कालेधन पर लगाम लगेगी, नए आयकरदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

न्याय और गरीब कल्याण

राजनीति की एक परिभाषा होती है- मूल्यों का आधिकारिक वितरण। ये वितरण नीचे तक तभी पहुंचेगा। जब आपके पास वितरण करने के लिए समुचित मात्रा में संसाधन और मूल्य होंगे क्योंकि हमारे यहां कई स्तर पर संसाधनों का रिसाव (लीकेज) हो जाता है। ये संसाधन जितना नीचे तक, जितनी अधिक मात्रा में पहुंचेंगे सामाजिक न्याय उतना ही सुनिश्चित होगा। नोटबंदी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री ने वितरणीय न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का ये कारगर कदम उठाया है।

पहले बैंक निजी क्षेत्र में हुआ करते थे लेकिन 1969 में उनका राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया जिसका उद्देश्य बैंकों को गरीबों और समाज के पिछड़े तबकों तक पहुंचाना था। जिससे उन्हें वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके। ऐसा सोचा गया था कि पूंजीपति का पैसा जब बैंक में पहुंचेगा तो उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा और गरीबों को लाभ होगा। लेकिन इतने सालों में हम समाज के सभी वर्गों तक बैंक की सुविधा ही नहीं पहुंचा पाए थे। केंद्र सरकार ने इसीलिए सबसे पहले 25 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट जनधन योजना के तहत खोले और करोड़ों की संख्या में रूपे कार्ड बांटे। अब इन रूपे कार्ड को डेबिट कार्ड में बदला जा रहा है।

आज भारी मात्रा में लोगों का पैसा बैंकों में पहुंच चुका है। अगर सही ढंग से नगदरहित व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ते गए तो बाजार में कालेधन में कमी आती जाएगी। इससे कर देने वालों की संख्या बढ़ेगी और सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होगी और गरीब कल्याण योजनाओं में धन का आवंटन बढ़ेगा। ऐसे वातावरण में सरकार समाज के कमजोर तबके के लिए अधिक से अधिक नीतियां और कार्यक्रम और बड़े बजट के साथ ला सकेगी। औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने से असंगठित क्षेत्र में हो रही लेन-देन को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। इन सबकी एक बानगी प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा में मिलती है। हम आशा कर सकते हैं कि आम बजट -2017 में भी ऐसी ही कई घोषणाएं सुनने को मिलेंगी।

नोटबंदी ने एक झटके में समाज में बराबरी लाने का भी काम किया है जो किसी और तरीके से करना नामुमकिन था। जिस आदमी के पास कालाधन था उसने कालेधन सरकारी खजाने में जमा करवाया और भारी टैक्स चुकाया। कइयों का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया क्योंकि सरकार ने पैसा जमा करने की एक सीमा तय कर दी थी। रियलस्टेट बाजार का एक बड़ा हिस्सा कालेधन से खड़ा हुआ था जिससे मकान और जमीन के दाम बहुत ऊंचे थे। सरकार के इस कदम से मकान और जमीन के दाम 30-50 फीसदी तक नीचे आ गए।

हवाला के माध्यम से बाजार में घूमते कालेधन की वजह से जमीन, मकान, सोना-चांदी की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होती थी। नोटबंदी से अब इन सबके दामों में भारी कमी आ गई है। लोगों को उतनी ही मात्रा में कालाधन जमा करने में अब लंबा समय लगेगा। इस तरह से कालाधन का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों में करने वालों की संख्या में भी कमी आएगी और देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियां भी कम होंगी।

नोटबंदी की वजह से लोग अब अपना पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में कर मिला करेगा और सरकार ये पैसा समाज की बेहतरी में लगाएगी और अस्पताल, शिक्षण संस्थान, सड़क और जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए दूसरी अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।

अगर किसी की हानि होती है तो किसी का लाभ भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी अभियान और बाद में देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के कदम से कालाधन रखने वालों, नकली नोटों का कारोबार करने वालों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर उनका नुकसान हो रहा है तो लाभ किसका होगा। ये लाभ अब समाज के अंतिम तबके तक सीधे और बड़ी मात्रा में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कालाबाजारियों को और भ्रष्ट लोगों को दुश्मन करार देते हुए कहा कि अगर दुश्मन भागेगा तो हम उसे दौड़ कर पकड़ेंगे। अगर वो अपनी रणनीति बदलेगा तो हम अपनी रणनीति भी बदलेंगे। अगर भ्रष्ट लोग बेइमानी की दूसरी तरकीब लाएंगे तो हम भी नए तरीके अपनाएंगे लेकिन अब उन्हें पनपने नहीं देंगे।

सत्ताधारी दल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव में माना गया है कि देशहित का यह (नोटबंदी) कार्य भारत के गरीबों के आर्थिक समायोजन, पारदर्शी शासन एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बड़ा पड़ाव है। विमुद्रीकरण की यह प्रक्रिया कर नहीं देने वालों के कालेधन को गरीबों और कमजोरों में वितरण से जुड़ी है। ❑

संदर्भ

- http://www.dnaindia.com/india/report & demonetization & pm & modi & criticises & opposition & for & openly & protecting & the & dishonest & slams & manmohan & singh & 228757
- http://www.dnaindia.com/money/report & rbi & governor & urjit & patel & upbeat & about & demonetization & effects & despite & short & term & disruptions & 228755
- http://www.indialivetoday.com/fm & arun & jaitley & talks & benefits & demonetization & economy & thanks & indian & peopl//87493.html
- http://economictimes.indiatimes.com/news/politics & and & nation/note & ban & takes & toll & on & terror & pak & counterfeit & presses & close & kashmir & violence & dips & 60/articleshow/ 56383135.cms\ from¾mdr
- http://www.cnbc.com/2016/11/21/india & demonetization & news & eÛpect & short & term & pain & analysts & say & as & growth & eÛpected & to & take & a & hit.html
- http://www.thehindu.com/ news/ national/ Cashless & economy & is & a & boon & says & Nobel & laureate & Muhammad & Yunus/article 16994985.ec
- http://www.indiane conomy.net/ splclassroom/ 314/what & are & the & longterm & benefits & of & demonetization/ #sthash.HSqXkVeV.dpuf
- http://indiaarising.com/15 & mind & blowing & immediate & benefits & demonetization & media & will & never & tellè
- http://www.forbes.com/sites /wadeshepard/ 2016/12/12/ one & month & in & whats & the & impact & of & indias & demonetization & fiasco/ #3f670c 1862eb
- http://www.japantimes.co.jp/ opinion/ 2016/ 11/27/ commentary/ world & commentary/ economic & political & risks & indias & demonetization/ #AWGX & sLaGPR1
- http://www.bjp.org/en/media & resources/ press & releases/ economic & resolution & passed & in & bjp & national & eÛecutive & meeting & at & ndmc & convention & centre & new & delhi & 07 & 01 & 2017
- http://pib.nic.in/newsite/ Print Release AaspÛ\ relid¾156204 & utm_source¾ dlvrAit & utm_medium¾twitter

पृष्ठ 46 से जारी...

इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, एसेसरीज के अलावा ऑनलाइन माध्यम से राशन *ग्रॉसरी* की सामग्री और फल-सब्जियों के खरीददारों की तादात में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बिगबास्केट, आटादाल डॉट कॉम, लोकल बनिया डॉट कॉम सहित तमाम छोटे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीददारी करने वालों की बढ़ती संख्या ने ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को और ज्यादा लोकप्रियता प्रदान की है।

इतना होने के बावजूद बाजार के विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में ऑनलाइन भुगतान को लेकर ज्यादा आशान्वित हैं। दरअसल, नगदरहित लेन-देन करने वाला एक बड़ा वर्ग महानगरों से आता है और टू एवं थ्री टीयर शहरों एवं गांवों में अब भी इस क्षेत्र से उम्मीद के मुताबिक लोग नहीं जुड़ सके हैं। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा 20 हजार करोड़ रूपए के निवेश से देश में ब्रॉडबैंड हाइवे के निर्माण करने और देश भर के 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ने की घोषणा की गयी है। एक बार ब्रॉडबैंड हाइवे स्थापित हो गया तो ग्रामीण इलाकों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने और नगदरहित अर्थव्यवस्था से जोड़ने में तेजी आने की उम्मीद है।

भारत में भुगतान उद्योग मुख्यत: दो भाग में बंटा हुआ है। मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट। मोबाइल बैंकिंग में जहां आईसीआईसीआई, एचडीएफसी व एसबीआई जैसे बड़े बैंकों का दबदबा है वहीं मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं जैसे एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन इत्यादि के साथ साझेदारी कर सेवा प्रदान कर रहीं हैं।

वर्ष 2019 तक भारतीय भुगतान गेटवे क्षेत्र का कुल लेन-देन 8,172.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदित हो कि ये सभी अनुमान देश में नोटबंदी लागू होने से पूर्व के हैं। केन *रिसर्च* के मुताबिक सुविधाओं से वंचित ग्रामीण आबादी और सख्त सरकारी नियम इस क्षेत्र के विकास में रोड़ा हैं लेकिन जिस प्रकार वर्तमान सरकार उदारवादी नीतियां अपना रही है उससे यह उद्योग संभावनाओं से भरा प्रतीत हो रहा है।

मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में मोबाइल की सहायता से लेन-देन करने वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। ऑनलाइन भुगतान के प्रति जागरुकता और कार्ड आधारित डिजिटल लेन-देन ने विभिन्न भुगतान गेटवेज को लोकप्रियता प्रदान की है। वित्तवर्ष 2012-2014 के बीच भुगतान इंडस्ट्री ने 142.9 प्रतिशत की उछाल दर्ज की।

केन रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार वर्ष 2019 तक भारतीय भुगतान गेटवे क्षेत्र का कुल लेन-देन 8,172.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदित हो कि ये सभी अनुमान देश में नोटबंदी लागू होने से पूर्व के हैं। *केन रिसर्च* के मुताबिक सुविधाओं से वंचित ग्रामीण आबादी और सख्त सरकारी नियम इस क्षेत्र के विकास में रोड़ा हैं लेकिन जिस प्रकार वर्तमान सरकार उदारवादी नीतियां अपना रही है उससे यह उद्योग संभावनाओं से भरा प्रतीत हो रहा है।❑

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

योजना
आगामी अंक
मार्च 2017
केन्द्रीय बजट 2017-18
(विशेषांक)

सामाजिक विनिमय: कमनगद अर्थव्यवस्था का आधार

पवन कुमार शर्मा

जनसामान्य की समस्याओं एवं देश में विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए पहले सरकार ने नगदरहित समाज का आह्वान किया किंतु भारत जैसे विशाल देश में एकदम से यह नारा समीचीन नहीं लगा तो सरकार ने कमनगद का आह्वान किया। कमनगद का आह्वान न केवल भारत की प्रकृति के अनुरूप है बल्कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत के सामाजिक जीवन में इसका प्रचलन बहुतायत में होता रहा है। भारत की समृद्धि, सामाजिक व्यवस्था एवं स्वच्छ आर्थिक व्यवहार के लिए कमनगद की भूमिका प्रायः महत्वपूर्ण रही है। इस शोध आलेख में भारत के उन्हीं अनछुए पहलुओं को समकालीन विमुद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है

आ लेख को शुरू करने और विषय के अंदर विस्तार से जाने के पूर्व हम सामाजिक व्यवहार व इसके लाभों को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवहार से तात्पर्य उस स्थिति से है जहां समाज का प्रत्येक हिस्सा एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझे और बिना किसी नकद विनिमय के उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सके। ऐसे विनिमय न सिर्फ मुद्राप्रवाह के कारण आने वाले अवांछित लीकेज को कम करते हैं बल्कि सामाजिक रीति-नीति व लोक-लाज के कारण समाज का हर हिस्सा दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य होता है। सामजिक विनिमय का सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसमें व्यक्ति का परिवार स्वावलंबी होता ही था बल्कि समाज भी स्वावलंबी होता था। परिवार समर्थ हो यह उद्देश्य नहीं था अपितु ग्राम/नगर समर्थ हो ऐसा विचार प्रचलित था। यथा परिवार में विवाह है तो विवाह से संबंधित समस्त सामग्री संपूर्ण गांव के परिवारों से जुटाने की प्रथा प्रचलन में थी। यह व्यवस्था जहां एक ओर सामाजिक सौहार्द की स्थापना करती थी वहीं मुद्रा के प्रचलन को भी सीमित करती थी।

भारतीय समाज में पाणिनी की स्थिति न केवल व्याकरणशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि उन्होंने अपने समय की संपूर्ण स्थितियों का वर्णन अपनी कालजयी कृति *अष्टाध्यायी* में विस्तार से किया है। यही कारण है कि पाणिनी न केवल व्याकरणशास्त्री बल्कि ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने व्याकरण के साथ-साथ समाज के अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। जो विषय *अष्टाध्यायी* में स्पष्ट न हो सके हैं उन पर उनके शिष्य कात्यायन और पतंजलि ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। पाणिनी का कालखंड आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व का माना जाता है।[1] पाणिनी के सूत्रों की कमियों को पूर्ण करने के लिए कात्यायन ने *वार्तिक* लिखी। कात्यायन के वार्तिकों में छूट गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर पतंजलि ने पाणिनी का *महाभाष्य* लिखा।[2]

पतंजलि ने *काशिका* के आलोक में पाणिनी के सूत्रों को शुद्ध रूप में स्वीकार किया है। पतंजलि का कालखंड आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व का माना जाता है।[3] उस समय पुनः वैदिक परंपराओं के आधार पर सामाजिक संरचना सुदृढ़ होने लगी थी। यदि हम वेदों का अध्ययन करें तो हमारे ध्यान में आता है कि उस समय में भी मुद्रा का प्रचलन अधिक नहीं हुआ था क्योंकि किसी भी स्थान पर ऋषि धन की कामना मुद्रा के रूप में नहीं करता है। यहां पर ऋषि इंद्र और *वायु* से *अन्न* की कामना करता है।[4] यानि *अन्न* समाज के तीन आवश्यक तत्वों (रोटी, कपड़ा और मकान) में से एक है। ऋषि *अन्न* के प्रति आश्वस्ति चाहता है जोकि आज की सरकारें खाद्य सुरक्षा गारंटी के रूप में अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं। *ऋग्वेद* के अध्ययन से अनेक बातें स्पष्ट होती है जो न केवल उस समय की मनोदशा को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि विकास में सहभाग की दिशा को निर्धारित करती हैं। यथा ऋषि *सरस्वती* नदी जोकि पतित पावन है, से भी *अन्न* की गारंटी चाहता है। *अन्न* न केवल खाद्य है, बल्कि वह स्वास्थ्य प्रदाता भी है। इस प्रकार से *अन्न* और स्वास्थ्य दोनों की गारंटी ऋषि ने प्रायः की

लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश के समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता (डीन) है। समाजशास्त्रीय सेमिनारों में इनकी सक्रिय उपस्थिति रही है। *भारत विद्या* के अध्येता हैं तथा संस्कृत वाङ्मय में वर्णित समकालीन मुद्दों को विश्लेषण के साथ युवा वर्ग के सम्मुख रखते हैं। ईमेलः pawan_sharma1967@yahoo.co.in

है। आगे वह *गाय* मांगता है। जो उस काल में विकास की प्रतीक थी। *गाय* स्वास्थ्य प्रदाता भी है। उसका दूध, धी मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करता है तथा उसके बछड़े कृषि और वाणिज्य में सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ऋषि देवता से व *सरस्वती* से मात्र *गाय* या अन्न ही नहीं मांगता, बल्कि उनके माध्यम से उनमें सान्निहित अन्य तत्वों की भी गारंटी चाहता है। आज की सरकार खाद्य सुरक्षा गारंटी स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी, वस्तु सेवाकर आदि के माध्यम से ये ही सब सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। यहीं पर ऋषि *सरस्वती* को पतित पावनी (यानि पतितों को पावन करने वाली) *अन्न युक्त* और *धनदात्री* कहता है तथा उसका आह्वान धन सहित करता है।[5] आगे एक मंत्र में ऋषि *गाय* मांगता है।[6]

इस प्रकार ऋग्वेद में इन्द्र आदि देवता धनप्रदायक हैं। धन के रूप में वे गाय, अश्व आदि की कामना करते हैं। अन्न भी धन का ही एक रूप है। इस प्रकार *ऋग्वेद* में धन के रूप में मुद्रा का प्रचलन प्राय: देखने को नहीं मिलता है। किंतु, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और त्रेता युग में प्रविष्ट होते है; वहां पर हम देखते है कि धन के रूप में मुद्रा और वस्तु दोनों ही प्रयुक्त होने लगी हैं। यद्यपि यहां पर धन के रूप में मुद्रा का व्यवहार कम और वस्तुओं का अधिक होता है। तभी तो सीता, राम के साथ वन जाते समय *गंगा* को पार करने से पहले उनसे राम के सकुशल वन से वापिस आने की प्रार्थना करते हुए गायें, वस्त्र और अन्नदान करने की बात करती हैं।[7] रूपये-पैसे की बात यहां नहीं थी लेकिन विभिन्न प्रकार के काम-धंधे करने वाली जातियों ने आकार लेना शुरू कर दिया था। तभी तो भरत जब राम को वापिस बुलाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो उनके साथ अनेक प्रकार के काम-धंधों में लगे व्यक्ति भी जाते हैं जो कि अपनी-अपनी जाति के प्रतिनिधि थे।[8]

इस प्रकार से वस्तुओं के उत्पादन से बाजार ने आकार लेना शुरू कर दिया था, और धन के रूप में मुद्रा और वस्तु दोनों का प्रचलन होने लगा था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: वस्तुओं का व्यवहार अधिक होता होगा और नगरीय क्षेत्रों में धन के रूप में दोनों प्रचलित रही होगीं।[9] रामायण काल में धन के रूप में मुद्रा[10] और वस्तु के प्रचलन का एक और प्रमाण जो मिलता है वह है, प्रजा की आय का छठा भाग *बलि* यानि कर के रूप में राजा ले।[11] कर के रूप में राजा के पास अन्न बहुतायत में एकत्रित हो जाता था इसका प्रमाण है कि राजा के गोदाम अन्न से भरे रहते थे और ये धान्यकोष कहलाते थे।[12] रामायण काल में वस्तु विनिमय व्यवहृत होता था। वस्तुओं के विनिमय-व्यापार को *निष्क्रय* कहते थे। गायों को विनिमय का सशक्त माध्यम माना जाता था।

रामायण में उल्लेख आता हैं शुन:शेप के माता-पिता एक लाख गायें लेकर अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गए थे।[13] रामायण में यह भी उल्लेख है कि कोई श्रेष्ठ गौ अनेक साधारण गौओं के बराबर होती थीं। यथा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से यह कहा था कि एक लाख गौ लेकर यह मूल्यवान कपिला गौ मुझे दे दो।[14] इस प्रकार प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के रूप में गौ और अन्न का प्रचलन सामान्य बात थी। कहीं-कहीं पर मुद्रा का प्रचलन भी दृष्टिगोचर होता है जैसे-राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को एक करोड़ *जांबूनद* और चालीस करोड़ *रजत* बांटे थे।[15] इसी प्रकार उत्तरकांड में लव-कुश के रामायण गान से प्रसन्न होकर राम उन्हें 18 हजार सोने के सिक्के देना चाहते थे।[16] इस प्रकार रामायण काल में भी विभिन्न प्रकार के व्यवहार में मुद्रा और वस्तु दोनों प्रचलन में थी। किंतु देखने में आता है कि मुद्रा कम और वस्तु अधिक प्रचलन में थी।

ऋग्वेद में धन के रूप में मुद्रा का प्रचलन प्राय: देखने को नहीं मिलता है। किंतु, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और त्रेता युग में प्रविष्ट होते है; वहां पर हम देखते है कि धन के रूप में मुद्रा और वस्तु दोनों ही प्रयुक्त होने लगी हैं। यद्यपि यहां पर धन के रूप में मुद्रा का व्यवहार कम और वस्तुओं का अधिक होता है।

इस प्रकार से रामायण का काल कम मुद्रा के चलन वाला काल खंड था। जनसामान्य प्राय: मुद्रा का व्यवहार नहीं करता था। ग्रामीण जीवन भी वस्तु के व्यवहार को ही प्राथमिकता देता था। रामायण में वर्णित ग्राम जिनको *घोष* कहा जाता था उनमें प्राय: व्यवहार की समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था और मनुष्य उनका आपस में विनिमय कर लेते थे। प्राचीन भारत में ग्राम गणराज्य की संकल्पना भी कमनगद समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इसके कारण अर्थतंत्र विकेन्द्रित था और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही पारस्परिक व्यवहार के चलते हो जाती थी। प्राचीन काल में आर्थिक भ्रष्टाचार में कमी का एक कारण यह भी था कि मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय होता था। जिस कारण से सामान्य नागरिक एक सीमा के बाद उनका भंडारण नहीं कर सकता था। उत्पादन की व्यवस्था भी गांव की आवश्यकता के अनुरूप ही होती थी। बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पाद की व्यवस्था अलग से होती थी। इस प्रकार से भ्रष्टाचार में सामान्य की सहभागिता प्राय: नहीं ही पाती थी। मुद्रा के चलन से जन-सामान्य भी भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गया तथा मुद्रा छिपाकर रखने से ही मुद्रास्फीति भी बढ़ गयी जिस कारण महंगाई बढ़ी।

यूरोप के साथ जब भारत का व्यापार होता था तो भारत उनके साथ रूपये/पैसे या मुद्रा में व्यवहार नहीं करता था क्योंकि उनकी मुद्रा भारतीय मुद्रा की तुलना में हल्की मानी जाती थी। भारतीय व्यापारी व्यापार के लिए सोना-चांदी मांगता था। यही कारण था कि समस्त यूरोप का सोना-चांदी खींचकर भारत आ गया था और कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाया। अंग्रेजों ने जब भारत में अपने पैर पसारे थे उस समय भारत की मुद्रा यूरोप की मुद्रा की अपेक्षा ज्यादा मजबूत थी। व्यापारिक आधिपत्य स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने भी भारत से मुद्रा के स्थान पर सोना-चांदी ले जाना प्रारंभ किया तब जाकर उनकी मुद्रा मजबूत हुई। तो ध्यान में आता है कि भारत की मजबूती और बाद में यूरोप की मजबूती के पीछे कमनगद अर्थव्यवस्था ही उत्तरदायी थी।

पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक *संपत्ति शास्त्र* में मुद्रा की कमजोरी और मजबूती पर विस्तार से लिखा है। यह पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई थी। पाणिनी के *अष्टाध्यायी* के ऊपर *महाभाष्य* लिखने वाले योगाचार्य महर्षि पतंजलि इस व्यवस्था पर अपने महाभाष्य में काशिका के सहयोग से विस्तार से प्रकाश डालते हैं। यों तो *महाभाष्य* में वाणिज्य और व्यापार पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है किंतु यहां पर हम उन पर चर्चा न करके उनके व्यवहार में आने वाले क्रियाकलापों पर प्रकाश डालेगें। *महाभाष्य* में व्यापार के लिए व्यवहित तथा पण्य दोनों धातुओं का प्रयोग

हुआ है। यद्यपि पण्य का क्षेत्र संकुचित था और उसका प्रयोग दुकानदारी के लिए होता था तथा बेची जाने वाली वस्तु पण्य कहलाती थी।[17] महाभाष्य का यह वैशिष्ट्य है कि *पण्य* के काम करने वाले का नाम कई बार *पण्य* वस्तुओं के नाम पर ही रख दिया जाता था। यथा-अयूथ बेचने वाले को *आपूपिक*, शष्कुली बेचने वाले को *शाष्कुलिक* और मोदक बेचने वाले को *मौदकिक* कहा जाता था।[18] अश्व बेचने वाले अश्व वाणिज एवं गौ बेचने *गौ वाणिज* कहलाते थे।[19] क्रय-विक्रय जिस स्थान पर होता था उसे *आपण* कहते थे।[20] बिक्री के लिए रखी वस्तु *क्रेय* कहलाती थी[21] तथा अन्य वस्तुओं को *क्रेय* कहते थे।[22] दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति तोल कर पहले उसका हिसाब करता था तब वह दूसरे ग्राहक को वस्तु तौलता था।[23]

इससे दो बात ध्यान में आती हैं एक तो वस्तु विनिमय प्रचलन में था तभी तो दुकानदार को हिसाब करने में समय लगता था। यदि मुद्रा प्रचलन में होती तो हिसाब में इतना समय नहीं लगता। दूसरा, तोलने के लिए बांट प्रचलन में थे। खरीदी हुई वस्तु *क्रति* कहलाती थी। और मूल्य के आधार पर उसको विशेष रूप से पुकारा जाता था। जैसे यदि मुद्रा से खरीदी जाती थी तो जितनी मुद्रा उसके लिए देते थे उतनी मुद्रा के नाम से उसे पुकारते थे यथा-दो सौ मुद्रा से खरीदी हुई वस्तु *द्विशता,*[24] *निष्क* से खरीदी हुई वस्तु, *नैष्किक* तथा दो *शूप* अन्न से खरीदी हुई वस्तु *द्विशूर्प* और उससे अधिक से खरीदी हुई वस्तु को *द्विशौर्पिक*[25] तथा *द्वितशमान* से क्रय की हुई वस्तुएं क्रमशः *आर्धिक*[26], *कार्षापणिक*[27], *अध्यर्थ* सौ *वर्णिक*[28], और *द्विशातमान*[29] कहलाती थीं। सामान्यतः मूल्यवान वस्तुओं के क्रय-विक्रय में मुद्रा का व्यवहार होता था।[30]

सामाजिक व्यवहार जिसमें मुद्रा का लेन-देन विशेष परिस्थितियों में ही होता होगा वे *पण्य* कहलाती थीं। ये साधारण दुकानदारी के अंतर्गत आती थीं। सामान्यतः दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इस श्रेणी में आती थीं। इनके क्रय-विक्रय में वस्तु विनिमय को प्रयुक्त किया जाता था। विनिमय में प्रायः अन्न का व्यवहार होता था, और अन्न का मापन सूप से किया जाता था।[31] वस्तु विनिमय के कारण ही समाज में सामाजिक समरसता का वातावरण बना रहता था क्योंकि सभी पारस्परिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर थे। *मुद्ग* और *माष* देकर भी वस्तुएं खरीदी जाती थीं।[32] *माप* के लिए कटोरे का भी उपयोग होता था, कटोरे को *कंस* भी कहते थे। कटोरा/कंस और अनाज देकर जो वस्तु क्रय की जाती थी वह *कंसिका* कहलाती थी।[33] शिल्पी, कृषक से अपने शिल्प के आधार पर व्यवहार करते थे यथा खटवा[34], *बैल, अश्व*[35], *कोष्टी*[36], *वस्त्र*[37] आदि देकर वस्तु परस्पर क्रय-विक्रय करते थे। *पण्य* की श्रेणी में निम्न वस्तुएं सम्मिलित मानी जाती थीं:

1. **खाद्यान्नः** मूंग, जौ, सब प्रकार के अन्न[38] दालें और यंगबीन[39] (घी) दही, उदश्वित, कुल्भाष, अयथ, शष्कुली, मोदक, फांट[40], गुड़[41],सर्ष[42], लवण[46], मांस।[44]

सामाजिक व्यवहार जिसमें मुद्रा का लेन-देन विशेष परिस्थितियों में ही होता होगा वे *पण्य* कहलाती थीं। ये साधारण दुकानदारी के अंतर्गत आती थीं। सामान्यतः दैनंदिन जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इस श्रेणी में आती थीं। इनके क्रय-विक्रय में वस्तु विनिमय को प्रयुक्त किया जाता था। विनिमय में प्रायः अन्न का व्यवहार होता था, और अन्न का मापन सूप से किया जाता था।

2. **शाकः** शाक[45], दाड़िम[46], द्राक्षा[47], विल्व[48], बदर आदि फल।
3. **पेयः** मद्य[49], मथित[50], सुरा मैरेय[51] (गुड़ या महुए से बनाई गई एक प्रकार की शराब) सुरा[52], (जौ से भी तैयार की जाती थी) आसुत[53] (भभके से खींची या चुआई गई शराब) कापिशायन[54], (अंगूर से बनी शराब, जो उत्तरी अफगानिस्तान के कापिशी प्रदेश से आती थी।)
4. **वस्त्रः** कौशेय[55], औम या औक[56], (लिनेन) और्ण या और्णक[57], भंगार (पटसन) से बने वस्त्र[58], इनके विशेष प्रकार तथा उपसंख्यान[59], आच्छादन[60], वृहतिका[61], प्रावार शाटी[62] , शाटक[63], कम्बल[64], पाण्डुकम्बल[65], पण्यकम्बल[66], तथा कौशेय, उमा, ऊर्णा, मंगा, कार्पास[67], तूल[68] आदि-आदि।
5. **सुगन्धः** किशर[69], नरद, नलद, सुमंगल, तगर, गुग्गुल, उशीर, हरिद्रा, कालालु[70], चन्द्रा[71], इन वस्तुओं को बेचने वाला आपणिक भी सुगन्ध कहलाता था। इस प्रकार से जातियों के अंदर भी उपजातियां आकार ले रही थीं और सामाजिक दृष्टि से सामाजिक ताना-बाना सुदृढ़ हो रहा था क्योंकि पारस्परिक अवलम्बन इसको मजबूती प्रदान करता था।
6. **अलंकारः** सोने-चांदी के आभूषण तथा कणिका, ललाटिका[72], रूचक, कुण्डल, स्वस्तिक, कटक, अंगद[73] किरीट आदि तथा लोहतिक[74], सस्यक[75], वैदुर्य[76] आदि मणियां।
7. **संगीत सामग्रीः** वाद्य तथा मुड्डुक[77], झर्झर (क्रमशः मृदंग तथा मंजीरा), वीणा[78], मुरज, पणव[79], पिढर (खंजड़ी), भेरी[80], आदि-आदि।
8. **मूर्तियां-** प्रतिकृतियां मिट्टी तथा धातु की बनी, यथा अश्वकादि, तथा शिक, स्कन्दक, विशाखक आदि मूर्तियां।[82]
9. **माल्यः** मालाएं तथा पुष्प उत्पलादि।[83]
10. **रागः** सब प्रकार के रंग यथा नीली[84], लाक्षा, रोचना, पीता, हरिद्रा, महारजन[85], काषाय आदि।
11. **चर्मः** सब प्रकार के अजिन[86], तथा द्वीपी (चीता) व्याघ्र[87], उष्ट्र[88], सिंह आदि के चर्म जो रथादि पर मढ़ने के लिए प्रयुक्त होते थे। चमड़े की बनी कुप्पियां या कुतुप[89], चमड़े से बने जूते[90], न घ्री[91], वाघ्री[92], वरत्रा, सनंगु, छदि आदि वस्तुएं तथा तलवार के म्यान आदि।[93]
12. **पात्रः** मिट्टी तथा धातु के पात्र- अमत्र[94], घट, घटी[95], शराब[96], कपाल[97] तथा कांस्यपात्र- पात्रियां[98], स्थली[99], पिठर आदि तथा अन्न तेल आदि वस्तुएं भरने के पात्र-बोरे, आवपन तथा गोणी[100], कुतुप उष्ट्रिका आदि।
13. **पशुः** बैल (गौ)[101], अश्व, हाथी, साल्व[102] के प्रसिद्ध बैल, काबुल के घोड़े[103], भेड़, बकरियां[104], ऊंट आदि।
14. **औजारः** दात्र[106], कुशी[107], युग[108], अक्ष[109], खनित्र[110], अरित्र[111], तन्त्र[112], प्रवाणि[113], हल[114], अभ्री[115] आदि।
15. **धातु और धातु निर्मित वस्तुएं:** लोहे की शृंखला,[116] (पशुओं के बांधने के लिए) अयः शूल[117] (कील-कांटे) लोहे के तार[118], शंकुला[119] छोटी कांटिया[120] इध्म प्रव्रश्चन (कुल्हाड़ी), पलाका शातन आदि लोहे की वस्तुएं तथा सोना-चांदी, लौहा तांबा[123] रांगा, सीसा, टीन आदि

धातुएं, चुम्बक[124] तथा अच पदार्थ यथा लाख (यतु) आदि जिसका व्यापार पर्याप्त विस्तृत था। इसको लाक्षा भी कहते हैं और इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी आता है।

धातुओं से बने, तोमर, धनुष-बाण (लोहे की फाल वाले)[126] असि[127] परशु[128] आदि लोहे के घड़े[129] आदि।

16. **तुला:** तराजू तौलने के बांट, परिमाण आदि।[130]
17. **वाहन:** शकट,[131] शकटी[132] रथ,[133] नौका[134]। इन सबके अतिरिक्त दैनन्दिन जीवन से संबंधित और बहुत सी वस्तुओं की भरमार है महाभाष्य में।

उपर्युक्त अध्ययन से यह तो स्पष्ट होता ही है कि पतंजलि के काल में अनेक प्रकार की वस्तुएं क्रय-विक्रय प्रक्रिया का हिस्सा थीं और उनसे संबंधित अनेक प्रकार की जातियां भी आकार ले रही थीं। परंतु विनिमय भी बहुतायत में प्रचलन में था। दैनंदिन जीवन से संबंधित अधिकांश वस्तुएं सामाजिक व्यवहार के द्वारा ही क्रय-विक्रय की जाती थीं। इस प्रकार से न केवल सामाजिक ताना-बाना सुदृढ़ होता था बल्कि पारस्परिक अवलंबन के कारण समाज में सौहार्द्र भी बना रहता था। प्राचीन भारत में प्रत्येक ग्राम स्वयं में एक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई के नाते व्यवहार करता था। इसके दो लाभ दृष्टिगोचर होते थे। एक, तो समाज व्यवस्था विकेन्द्रीकरण पर आधारित थी तथा दूसरा, मुद्रा का सीमित चलन होने के नाते समाज में भ्रष्टाचारण न्यूनतम था।

समकालीन भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था प्रचलन में लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वे न केवल सुपरिणामकारी हैं बल्कि भारत के स्वावलंबन में भी सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यद्यपि, प्राचीन भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवहार की संपूर्ण व्यवस्था वर्तमान में लागू करना न तो संभव है और न ही उपयोगी होगी। किंतु प्राचीन व्यवस्था हमारे सम्मुख एक प्रतिमान के रूप में है। इसी के आधार पर जिन वस्तुओं के क्रय-विक्रय में मुद्रा का चलन अनिवार्य हो वहीं पर मुद्रा का व्यवहार करें शेष क्षेत्रों में सामाजिक व्यवहार के अनेक प्रादर्श हमारे सम्मुख हैं। यथा चेक, कार्ड, ई-बैंकिंग आदि-आदि। यदि ऐसा हो पाया तो इस व्यवस्था से न केवल मुद्रा का संकट हल होगा, बल्कि मुद्रा के सीमित मात्रा में छपने से मुद्रास्फीति भी कम होगी, साथ ही भ्रष्टाचार भी न्यूनतम होगा।

समस्त आर्थिक व्यवहार धरातल पर होने से सरकार के कर के स्रोत में वृष्टि होगी, इस वृद्धि से विकास में गति आएगी और जनता पर लगने वाले विभिन्न करों को भी व्यवस्थित किया जा सकेगा। आज की अवस्था में आयकर का दबाव आम आदमी (सभी प्रकार के मध्यम वर्ग) पर अत्यधिक है क्योंकि अनेक प्रकार के करों से होने वाले राजस्व की प्राप्ति न्यूनतम हैं। एकमात्र आयकर ही ऐसा है जिसके द्वारा राजस्व की वसूली व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। किन्तु, कमनगद व्यवस्था से अन्न करों के द्वारा राजस्व में वृद्धि होगी। प्राचीन भारत में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि और सौहार्द के पीछे इसी सामाजिक व्यवहार की महती भूमिका थी। वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये उपभोक्तावाद को नियंत्रित करता है क्योंकि मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को वस्तुओं के बदले क्रय करता है जो उसके लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार अपरिग्रह को व्यावहारिक रूप से लागू करने का ये सबसे बड़ा माध्यम ही भारत में यही युग-युगों से व्यवहृत होता रहा है। इसी व्यवहार को आधुनिक प्रकार से एक बार पुन: भारत की 'चिति' के अनुरूप व्यवहार में लाने से भारत को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ❑

संदर्भ

1. वासुदेव शरण अग्रवाल, पाणिनीकालीन भारत वर्ष, द चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 1996, पृष्ठ 464
2. प्रभुदयाल अग्निहोत्री, पतंजलि कालीन भारत, ईस्टर्न बुकलिंकर्स दिल्ली, द्वितीय संशोधित संस्करण, 2007 की भूमिका, पृष्ठ- (पग)
3. तदैव, प्राककथन, (अ)
4. ऋग्वेद 1/2/4,
5. तदैव 1/3/10
6. तदैव 1/4/2
7. वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर, 37 वॉ पुनर्मुद्रण, सं. 2066, अयोध्याकाण्ड 52 वे सर्गका 88 वॉ श्लोक।
8. तदैव 83 वें अध्याय का 12-16 वे श्लोंक.. 9. तदैव 2/33/27.. 10. तदैव 2/32/10.. 11. तदैव बालकाण्ड के 5 वें अध्याय का 14 वॉ श्लौक।
12. तदैव अयोध्या काण्ड के 36 वे अध्याय का 7 वॉ श्लोक।.. 13. तदैव बालकाण्ड 1/61/3.. 14. तदैव 1/53/9.. 15. तदैव 1/14/51, 54.. 16. तदैव, 7/94/17-18
17. 3.1.101, काशिका
18. 4.4.51 काशिका
19. 6.2.13 काशिका
20. 3.3.119 काशिका
21. 6.1.82 काशिका
22. तदैव
23. 3.1.11- काशिका
24. 5.1.19 काशिका
25. 5.1.20 काशिका
26. 5.1.25 काशिका
27. तदैव
28. 5.11.29 काशिका
29. तदैव
30. 3.1.25 काशिका
31. 5.1.37 काशिका
32. तदैव
33. 5.2.25 काशिका
34. 8.1.3 काशिका
35. 4.11.30 काशिका
36. 1.96 काशिका
37. 1.1.36 काशिका
38. 3.2.93 काशिका
39. 5.2.23 काशिका
40. 4.4.51 काशिका
41. 4.4.103 काशिका
42. 4.4.51 काशिका
43. 4.4.52 काशिका
44. 6.2.128 काशिका
45. तदैव
46. 1.2.45 काशिका
47. 4.2.98 काशिका
48. 4.3.136 काशिका
49. 3.1.10 काशिका
50. 5.3.83 काशिका
51. 2.2.29 काशिका
52. 4.2.25 काशिका
53. 5.2.112 काशिका
54. 4.2.98 काशिका
55. 4.3.42 काशिका
56. 4.3.158 काशिका
57. तदैव
58. 7.4.44 काशिका
59. 7.4.44 काशिका
60. 4.3.143 काशिका
61. 5.4.6 काशिका
62. 1.1.36 काशिका
63. तदैव
64. 4.2.11 काशिका
65. तदैव
66. 6.2.42 काशिका
67. 4.3.136 काशिका
68. 3.1.125 काशिका
69. 4.4.53 काशिका
70. 4.4.54 काशिका
71. 2.2.8 काशिका
72. 4.3.65 काशिका
73 1.3.2 काशिका
74. 5.2.30 काशिका
75. 5.3.68 काशिका
76. 4.3.84 काशिका
77. 4.4.56 काशिका
78. 3.3.65 काशिका
79. 4.4.55 काशिका
80. 1.1.70 काशिका
81. 5.3.96 काशिका
82. 5.3.99 काशिका
83. 6.3.65 काशिका
84. 4.2.2 काशिका
85. 4.2.2 काशिका
86. 6.2.194 काशिका
87. तदैव
88. 4.3.60 काशिका
89. 5.3.89 काशिका
90. 5.1.14 काशिका
91. 3.2.182 काशिका
92. 5.1.2 काशिका
93. 4.2.144 काशिका
94. 4.2.14 काशिका
95. 3.2.9 काशिका
96. 1.1.72 काशिका
97. 4.1.88 काशिका
98. 1.4.101 काशिका
99. 4.1.82 काशिका
100. 4.1.82 काशिका
101. 6.2.13 काशिका
102. 4.2.136 काशिका
103. 6.2.42 काशिका
104. 2.1.69 काशिका
105. 4..2..60 काशिका
106. 3.2.182 काशिका
107. 4.4.42 काशिका
108. 4.4.76 काशिका
109. 6.3.104 काशिका
110. 3.2.184 काशिका
111. तदैव
112. 5.2.70 काशिका
113. 6.4.160 काशिका
114. 3.11..26 काशिका
115. 4.4.26 काशिका
116. 5.2.79 काशिका
117. 5.2.76 काशिका
118. 1.1.49 काशिका
119. 2.1.1 काशिका
120. 2.2.6 काशिका
121. 2.2.8 काशिका
122. 3.1.7 काशिका
123. 4.3.138 काशिका
124. 3.1.7 काशिका
125. 4.4.95 काशिका
126. 3.2.9 काशिका
127. 1.4.1 काशिका
128. 1.4.23 काशिका
129. 4.1.1 काशिका
130. 4.4.11 काशिका
131. 1.1.1 काशिका
132. 6.1.30 काशिका
133. तदैव
134. 1.1.1 काशिका

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

भ्रष्टाचार और काले धन के
खिलाफ़ लड़ाई के लिए
कैशलेस भुगतान
की ओर बढ़ा भारत

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए
विशेष प्रोत्साहन

डिजिटल बनिए, लाभ उठाइए

केंद्र सरकार की पेट्रोलियम पीएसयू पर डिजिटल भुगतान करने पर 0.75% की छूट

2016-17 में नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान के लिए आरएफ़आईडी कार्ड/ फास्ट टैग्स का इस्तेमाल करने पर 10% की छूट

उपनगरीय रेल नेटवर्क पर 1 जनवरी 2017 से मासिक या सीजनल टिकट की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर 0.5% की छूट

ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा

2000 रुपये तक की लेन-देन पर किसी प्रकार का डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज/ एमडीआर नहीं लगेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के उपभोक्ता पोर्टल से बेची गई बीमा प्रीमियम पर 10% तक की क्रेडिट या छूट

नाबार्ड की मदद से सरकार 4.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 'रुपे किसान कार्ड' जारी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों की सहायता करेगी।

नाबार्ड के माध्यम से सरकार ऐसे एक लाख गांवों, जिनकी आबादी 10,000 से कम है, वहां कम से कम 2 पीओएस डिवाइस लगाने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं कि डिजिटल भुगतान पर लगने वाले ट्रांजेक्शन शुल्क/एमडीआर का भुगतान उपभोक्ता नहीं बल्कि सरकार वहन करे।

DAVP 15201/13/0138/1617

कैशलेस भुगतान के 5 आसान तरीके

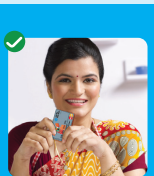

कार्ड्स, पीओएस

आधार एनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम

यूपीआई
आपकी बैंक के यूपीआई एप्प के द्वारा भुगतान करें

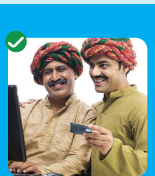

प्रीपेड वॉलेट

यू.एस.एस.डी
फीचर फोन से लेन देन करना है आसान

मेरा मोबाइल... मेरा बैंक... मेरा बटुवा...

ज्यादा बचत, ज्यादा सुविधा

भारत में न्यायालयों के ऐतिहासिक विकास पर पुस्तक का लोकार्पण

प्रकाशन विभाग ने हाल में भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर *कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट* शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। भारत के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर ने संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय व इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को कॉफी-टेबल पुस्तिका के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें संग्रहणीय महत्व के कई सारे चित्र हैं।

'*कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट*' का लेखन प्रमुख न्यायधीशों, वकीलों और विधि विशेषज्ञों व अन्य ने सर्वोच्च न्यायलय द्वारा गठित एक संपादकीय मंडल के विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया। यह भात में न्यायालयों के ऐतिहासिक को खोजने की दिशा महत्वपूर्ण प्रयास है। पुस्तक देश में मौजूद विविध न्याय प्रणालियों व व्यवस्थाओं की पहचान कर उनके ऐतिहासिक उद्भव को चिन्हित कर वर्तमान न्याय प्रणाली के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। भारत के न्यायालयों, भारतीय न्यायिक प्रणाली से नागरिकों को सुस्पष्ट शैली में अवगत कराती है।

प्रकाशन विभाग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों का संग्रह करता है और ऐसी सूचनाओं वाली गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का उत्पादन व विक्रय करके इनका प्रचार-प्रसार करने का काम करता है।

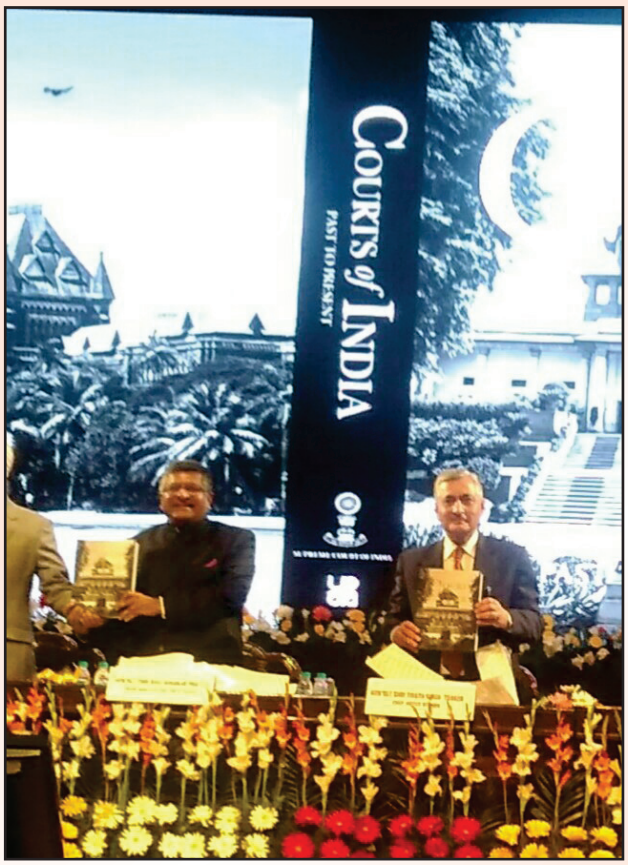

भारत के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय व इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक का विमोचन करते हुए।

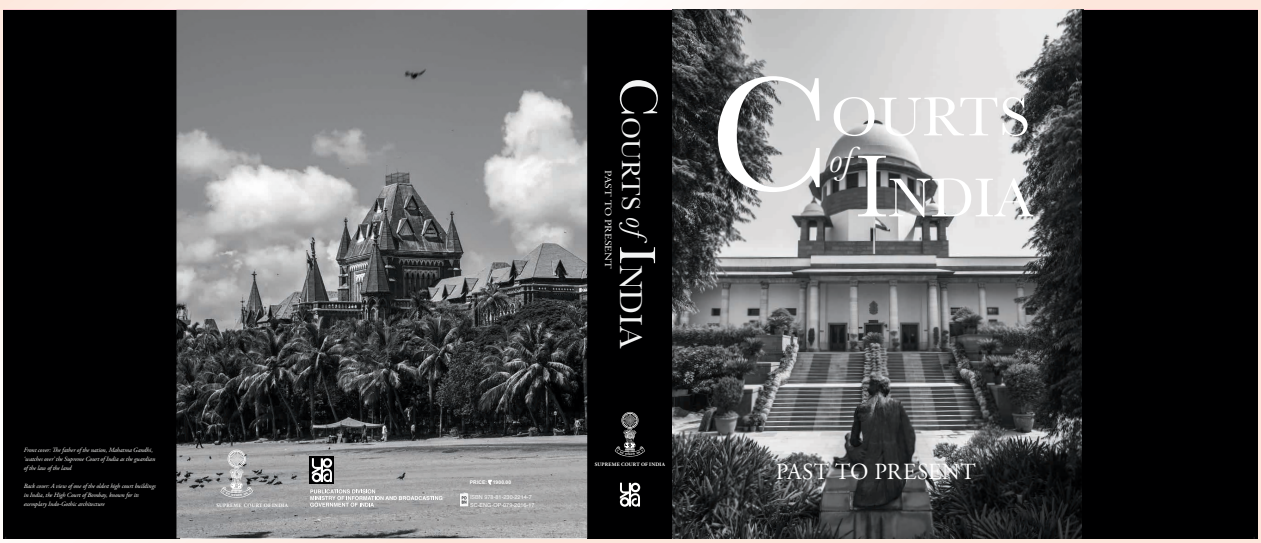

विश्व पुस्तक मेला, 2017 में प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग ने प्रत्येक वर्ष की तरह 7-15 जनवरी, 2017 के बीच नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले, 2017 में भागीदारी की। कला, संस्कृति और विरासत पर आधारित पुस्तकों के प्रकाशन के संदर्भ में अग्रणी, प्रकाशन विभाग को आगंतुकों से काफी उत्साहवर्द्धक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए।

प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय नायकों की जीवनियों, भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान, पर्यावरण और बाल साहित्य जैसे भारतीय परिदृश्य के विविध पहलुओं के संरक्षण के साथ-साथ उन्हें प्रस्तुत करता है। प्रकाशन विभाग ने 100 खंडों में अंग्रेजी में *कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी* (सीडब्ल्यूएमजी) और हिन्दी में *सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय* सहित गांधीवादी विचार पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन्हें गांधीजी की रचनाओं का सबसे व्यापक और अधिकृत संग्रह माना जाता है।

भारत शृंखला आधुनिक भारत के निर्माता और हाल ही में *राष्ट्रपति भवन पुस्तक शृंखला* तथा भारत के न्यायालय पर आधारित प्रकाशनों ने पाठकों का ध्यान काफी आकर्षित किया। आगंतुकों ने प्रकाशन विभाग की ई-बुक्स में भी अपनी रूचि दिखाई। प्रकाशन विभाग की ई-बुक्स के विवरण के लिए विशेष तौर पर ई-कियोस्क भी लगाये गए थे। इस दौरान कई आगंतुक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के ग्राहक बनें।

इस मेले में बाल साहित्य, इतिहास, संस्कृति व अन्य समसामयिक विषयों सहित विभिन्न विषयों पर आधारित चौदह पुस्तकों का विमोचन किया गया। जिनमें लाइव्स दैट इंस्पायर खंड-I, II, III, वनवासी बच्चे, उपहार, सांची की गुड़िया, भारत की लोक-कथाएं, विवेकानंद की कहानी, भारत के गौरव भाग-II, पर्यावरण और विकास, भारतीय लोक साहित्य : परम्परा और

परिदृश्य, हिन्दी और उसकी उपभाषाएं, अपनी हिन्दी संवारें, असम और मेघालय की प्रेस पत्रकारिता, गणेश शंकर विद्यार्थी, जवाहर लाल नेहरू: श्रद्धांजलि आदि शामिल हैं।

मेले के दौरान तीन पुस्तक परिचर्चाएं भी आयोजित की गई, जो *बाल साहित्य लेखन की चुनौतियां, अतुल्य भारत की छवियां* और *लिटरेचर ऑन महात्मा गांधी : रीचिंग आऊट टू यूथ इन डिजिटल एज* शीर्षक पर आधारित थीं।

प्रकाशन विभाग ने डेबिट/क्रेडिट कार्ड और भारत कोष पोर्टल के माध्यम से मुद्राहीन लेन-देन की सुविधा उपलब्ध करायी। जिसके नतीजे काफी सकारात्मक रहे। कुल बिक्री में लगभग 20

प्रतिशत बिक्रियां डेबिट/क्रेडिट काड्र्स द्वारा की गई थीं। नौ दिनों तक चले पुस्तक मेले के दौरान प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं की अनुमानित बिक्री 17.00 लाख रूपये से भी अधिक हुई, जो प्रकाशन विभाग के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक है। ❑

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
23 जनवरी 2017 को प्रकाशित • 29-30 जनवरी, 2017 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

बाजार में उपलब्ध

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 2016-17

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के
सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री.
विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय अर्थव्यवस्था
के प्रश्न-पत्र एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी.

Code No. 791
₹ 270/-

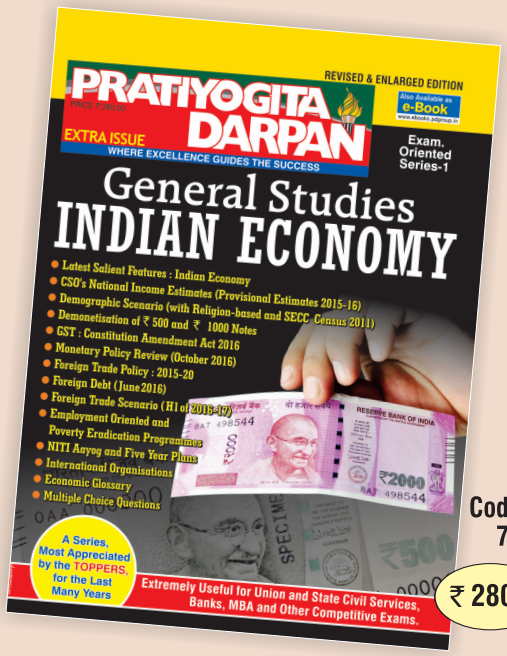

Code No. 790
₹ 280/-

टॉपर्स की राय में...

- .....मैंने अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का अध्ययन किया.
  —गौरव सिंह सोगरवाल
  सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान
- .....प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक निश्चित रूप से बेहद उपयोगी रहे हैं. मैंने वार्षिकांक, अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक सदैव बड़े चाव से पढ़े हैं.
  —प्रेमसुख डेलू
  सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में हिन्दी माध्यम से तृतीय स्थान
- ....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक विद्यार्थियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इसमें अर्थव्यवस्था जैसे कठिन विषय को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
  —मंगलेश दुबे
  उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2015 में द्वितीय स्थान
- .....प्रतियोगिता दर्पण का अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण है.
  —ज्योति मौर्या
  उ.प्र. सिविल सेवा परीक्षा, 2015 में (महिला वर्ग में तृतीय स्थान)
- .....मुझे इतिहास व अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक काफी अच्छे लगे.
  —सूरज सिंह
  सिविल सेवा परीक्षा, 2014 में हिन्दी माध्यम से चयनित
- .....प्रतियोगिता दर्पण के अर्थशास्त्र व राजव्यवस्था अतिरिक्तांक काफी अच्छे लगे.
  —संतोष कुमार राय
  सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान पर चयनित

मुख्य आकर्षण

-: भारतीय अर्थव्यवस्था–प्रमुख विशेषताएं
-: राष्ट्रीय आय : 2015-16 (अनंतिम आँकड़े) -: इण्डिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015
-: जनांकिकीय परिदृश्य एवं जनगणना 2011 (धर्म आधारित जनगणना सहित)
-: कृषि, उद्योग, बैंकिंग एवं यातायात सम्बन्धी नवीन तथ्य -: विदेशी व्यापार : H1 2016-17
-: नई विदेश व्यापार नीति : 2015-20 -: भारत पर विदेशी ऋण : जून 2016
-: वस्तु एवं सेवा कर : संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू
-: ₹ 500 एवं ₹ 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण -: मौद्रिक नीति समीक्षा (अक्टूबर 2016)
-: प्रमुख रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
-: नीति आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं -: प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन -: आर्थिक शब्दावली
-: नवीनतम आर्थिक तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रतियोगिता दर्पण | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088